




वार्षिक प्रतिवेदन

2015-16



मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल – 462016

विषय सूची

अध्याय क्रमांक	विवरण	पृष्ठ संख्या
अध्याय —1	प्रस्तावना	
अध्याय —2	राज्य बोर्ड का गठन	
अध्याय —3	बोर्ड की बैठकें	
अध्याय —4	जल एवं वायु गुणवत्ता के लिये प्रबोधन तंत्र	
अध्याय —5	पर्यावरणीय समस्यायें और इसके नियंत्रण हेतु किये जा रहे उपायों की वर्तमान स्थिति	
अध्याय —6	पर्यावरणीय अनुसंधान	
अध्याय —7	पर्यावरणीय प्रशिक्षण	
अध्याय —8	पर्यावरणीय जागरूकता एवं जन—भागीदारी	
अध्याय —9	पर्यावरणीय प्रदूषण नियंत्रण हेतु की गई न्यायालयीन कार्यवाही	
अध्याय —10	बोर्ड के वित्त और लेखे	
अध्याय —11	वार्षिक योजना, 2016—2017	
अध्याय —12	राज्य बोर्ड द्वारा किये गये अन्य महत्वपूर्ण कार्य	

परिशिष्ट:-

1. बोर्ड के सदस्य
2. बोर्ड की मुख्यालय स्तर पर संरचना एवं प्रदेश के विभिन्न अंचलों में कार्यालय
3. जल उपचार संयंत्र लगाने वाले उद्योगों, अस्पतालों एवं खदानों की सूची
4. वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने वाले उद्योगों, अस्पतालों एवं संस्थानों की सूची
5. प्रकाशन

प्रस्तावना

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वर्ष 2015–2016 का वार्षिक प्रतिवेदन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39 (2) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 35(2) के परिपालन में राज्य शासन को प्रस्तुत करने के लिये तैयार किया गया है।

मध्यप्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत गठित एक सांविधिक संगठन है। राज्य में प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के लिये सर्वप्रथम सितम्बर 1974 में बोर्ड गठित किया गया था। प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित कुछ अन्य अधिनियम लागू किये जाने से बोर्ड का कार्यक्षेत्र और अधिक व्यापक हो गया। वर्तमान में बोर्ड निम्नलिखित अधिनियमों के दायित्व का निर्वहन कर रहा है:—

1. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974
2. जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977
3. वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981
4. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत,
- 4.1 परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2008
- 4.2 परिसंकटमय रसायनों का विनिर्माण, भंडारण और आयात नियम, 1989
- 4.3 जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हस्तन) नियम, 1998
- 4.4 अपशिष्ट प्लास्टिक (प्रबंध और प्रहस्तन) नियम, 2011
- 4.5 नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2000
- 4.6 बैटरी (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2001
- 4.7 ई-अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) 2011
5. मध्यप्रदेश जैव अनाशय अपशिष्ट (नियंत्रण) अधिनियम, 2004
- 5.1 मध्यप्रदेश जैव अनाशय अपशिष्ट (नियंत्रण) नियम, 2006

बोर्ड का मुख्य उद्देश्य राज्य में जल स्रोतों एवं वायु गुणवत्ता पर सतत निगरानी रखना व उसको स्वच्छ बनाये रखना है। अधिनियमों एवं नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु नीति निर्धारण, सामान्य प्रशासन तथा अन्य एजेन्सियों से सामंजस्य बनाये रखते हुए पर्यावरणीय प्रदूषण से संबंधित विषयों पर जन-चेतना लाना आदि कार्य भी बोर्ड द्वारा सम्पादित किये जाते हैं।

पर्यावरण सुधार के क्षेत्र में सतत अनुसंधान हेतु बोर्ड मुख्यालय में विभिन्न आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित राज्य स्तरीय अनुसंधान एवं विकास केन्द्र है। क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रयोगशालाएँ भी कार्यरत हैं।

राज्य बोर्ड के कार्य :

- जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन से संबद्ध किसी विषय पर राज्य सरकार को सलाह देना,
- जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन के लिए व्यापक कार्यक्रम की योजना बनाना तथा उसके निष्पादन को सुनिश्चित करना,
- जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन से संबंधित जानकारी एकत्र करना और उसका प्रसार करना,
- जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन की समस्याओं से संबंधित अन्वेषण और अनुसंधान को बढ़ावा देना, उनका संचालन करना और उसमें भाग लेना,
- मल या व्यावसायिक बहिःस्त्राव की अभिक्रिया के लिए संकर्म एवं संयंत्रों का निरीक्षण करना,
- वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रों में वायु की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए ऐसे अन्तरालों पर जैसा आवश्यक समझे ऐसे क्षेत्रों का निरीक्षण करना,
- बहिःस्त्रावों के निस्सारण के परिणाम स्वरूप प्राप्त हो रहे जल की गुणवत्ता के लिए बहिःस्त्राव मानक अधिकथित करना, उनमें उपन्तरण करना या उन्हें बातिल करना,
- केन्द्रीय बोर्ड से परामर्श करके तथा केन्द्रीय बोर्ड द्वारा वायु की गुणवत्ता के लिए अधिकथित मानकों को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक संयंत्रों और मोटर गाड़ियों से वातावरण में वायु प्रदूषणकारी के उत्सर्जन अथवा अन्य किसी स्त्रोत से जो जहाज अथवा वायुयान न हो, वातावरण में वायु प्रदूषणकारी के निस्सारण के लिए मानक अधिकथित करना,
- मल एवं व्यावसायिक बहिःस्त्राव की अभिक्रिया की मितव्यी और विश्वसनीय पद्धतियों निकालना,
- कृषि में मल और उपयुक्त व्यावसायिक बहिःस्त्रावों के उपयोग की पद्धतियों विकसित करना,
- भूमि पर मल और उपयुक्त व्यावसायिक बहिःस्त्रावों के व्ययन की दक्ष पद्धतियों विकसित करना,
- सरिताओं या कुओं में अपशिष्ट के निस्सारण के निवारण, नियंत्रण या उपशमन के आदेश करना, उसमें उपन्तरण करना या उसे वापस लेना,
- राज्य सरकार को किसी ऐसे उद्योग के परिसर अथवा अवस्थान के बारे में सलाह देना जिसके चलाये जाने से वायु प्रदूषण अथवा सरिता या कुएँ का प्रदूषण संभाव्य है,
- सरिता या कुएँ से जल के नमूनों का अथवा मल या व्यावसायिक बहिःस्त्राव के नमूनों का विश्लेषण कराने के लिए प्रयोगशालाएँ स्थापित करना, एवं
- ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना, जो केन्द्रीय बोर्ड या राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाएँ या उसे समय-समय पर सौंपे जायें ।


क्षेत्रीय कार्यालयों के दायित्व :

- उद्योगों एवं स्थानीय संस्थाओं के प्रदूषण / प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था संबंधी निरीक्षण ।
- क्षेत्र में स्थित उद्योगों के नियाव एवं उत्सर्जन की मानिटरिंग ।
- क्षेत्र की परिवेशीय वायु गुणवत्ता की मॉनिटरिंग, ध्वनि स्तर, वाहन उत्सर्जन मापन कार्य ।
- उद्योग स्थापित करने हेतु प्रस्तावित स्थल का पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्तता बावत् जॉच कार्य ।
- प्राकृतिक जल स्रोतों, नदियों, तालाबों, नालों आदि की मॉनिटरिंग ।
- पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील स्थलों पर राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता प्रबोधन कार्यक्रम के अन्तर्गत मॉनिटरिंग ।
- लघु श्रेणी के उद्योगों एवं नगर पालिका परिषदों को सम्मति जारी करना, सम्मति का नवीनीकरण करना ।
- वृहद् एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों के सम्मति / सम्मति नवीनीकरण से संबंधित प्रतिवेदन अनुशंसा सहित मुख्यालय को प्रस्तुत करना । प्रदूषण संबंधी शिकायतों के निवारण हेतु कार्यवाही करना ।
- क्षेत्र में प्राकृतिक जल स्रोतों, नदियों आदि में घरेलू जल-मल से जल गुणवत्ता प्रभावित होने पर इसके नियंत्रण हेतु योजना बनाना ।
- जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 के प्रावधानों के तहत जल उपयोग संबंधी जानकारी मुख्यालय भेजना ।
- पर्यावरण जन-चेतना हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना ।

2. राज्य बोर्ड का गठन

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन राज्य शासन द्वारा केन्द्रीय जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा— 4 (2) में उल्लेखित प्रावधान अनुसार किया जाता है। संचालक मण्डल में 17 सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है।

आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर 17 सदस्यीय संचालक मण्डल में अध्यक्ष तथा सदस्य सचिव के अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा मनोनीत राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच सदस्य, स्थानीय निकायों के पांच प्रतिनिधि, कृषि, मछली पालन एवं उधोग की श्रेणी से तीन अशासकीय सदस्य तथा राज्य शासन के स्वामित्व / नियंत्रण द्वारा संचालित किये जाने वाले निगमों या कम्पनियों के दो प्रतिनिधि शामिल किये जाते हैं। बोर्ड के सदस्यों की सूची परिशिष्ट-1 में तथा संगठनात्मक संरचना एवं कार्यालयों का विवरण परिशिष्ट-2 में प्रस्तुत है।



3. बोर्ड की बैठकें

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम् 1974 की धारा— 8 के अनुसार विचाराधीन वर्ष में बोर्ड की 04 बैठकें आयोजित की गईः

क्र.	बैठक संख्या	तिथि	स्थान	उपस्थित सदस्यों की संख्या
1	137	29 / 07 / 2015	भोपाल	9
2	138	16 / 09 / 2015	भोपाल	9
3	139	28 / 11 / 2015	भोपाल	8
4	140	27 / 02 / 2016	भोपाल	7

बैठक में लिये गये महत्वपूर्ण निर्णय

- म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के आदेशानुसार बैकलॉग पद, उपयंत्री, निम्न श्रेणी लिपिक, वाहन चालक, भूत्य / चौकीदार, प्रयोगशाला सहायक / सेम्पलर, प्रयोगशाला परिचारक, रसायनज्ञ के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु व्यावसायिक परीक्षा मण्डल के माध्यम से कार्यवाही कर साथ ही उपयंत्री एवं प्रयोगशाला परिचारक के पदों हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के आदेशानुसार योग्यता में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
- जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) (म0प्र0) नियम 1975 के नियम 26 में संशोधन हेतु प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
- एम0पी0 वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रोजेक्ट पीथमपुर, जिला – धार द्वारा प्रदेश के खतरनाक अपशिष्ट अपवहन हेतु कॉमन ट्रीटमेंट, स्टोरेज एवं डिस्पोजल फैसिलिटी के विकास हेतु भारत सरकार एवं म0प्र0 शासन से प्राप्त वित्तीय सहायता रिलीज. करने की अनुमति अध्यक्ष, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
- पर्यावरणीय अधिनियमों के अन्तर्गत की जाने वाली कार्यवाही को में विकेवपदह इनेपदमे अनुसार संपादित करने हेतु म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी आदेशों का अनुसमर्थन किया गया।
- औद्योगिक क्षेत्र मण्डीद्वीप, जिला – रायसेन में क्षेत्रीय कार्यालय, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल के कार्यालय भवन निर्माण को म0प्र0 गृह एवं अधोसंरचना विकास मण्डल से कराने हेतु रूपये 4.26 करोड़ की प्रशासकीय एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।
- सिंहरथ – 2016 के दौरान क्षेत्रीय अधिकारी, उज्जैन को वित्तीय एवं प्रशासनिक व्यय रूपये 1.00 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई।
- पुराने वाहन कण्डम करने व नये वाहन क्रय करने हेतु अध्यक्ष, म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अधिकृत किया गया।
- दैनंदिनी कार्यों के निष्पादन एवं प्रयोगशाला संबंधी उपकरणों के रख-रखाव हेतु वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित की गई।
- वित्तीय वर्ष 2016–17 के बजट अनुमान पर स्वीकृति प्रदान की गई।
- म0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की प्रयोगशालाओं द्वारा जल स्त्रोतों की बायो मॉनीटरिंग संबंधी कार्यों हेतु विश्लेषण दरें निर्धारित की गई।
- न्यायालयीन प्रकरणों में बोर्ड का पक्ष प्रस्तुत करने वाले अधिवक्ताओं की फीस निर्धारण का अनुमोदन किया गया।
- क्षेत्रीय कार्यालयों के पुर्नगठन एवं क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं की कार्य प्रणाली के निर्धारण का अनुमोदन किया गया।

4. जल एवं वायु गुणवत्ता के लिये प्रबोधन तंत्र

राज्य में जल एवं वायु गुणवत्ता को स्वच्छ बनाये रखने एवं इस पर सतत निगरानी हेतु निगरानी नेटवर्क का विकास बोर्ड के संसाधनों तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचालित राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय योजनाओं के अन्तर्गत हुआ है :

वायु गुणवत्ता प्रबोधन :


वायु गुणवत्ता प्रबोधन, वायु गुणवत्ता प्रबंध का एक महत्वपूर्ण अंग है। वायु गुणवत्ता प्रबोधन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

- ◆ वर्तमान वायु गुणवत्ता की स्थिति तथा प्रवृत्ति का निर्धारण।
- ◆ शहरी योजना एवं औद्योगिक स्थापनाओं के लिए आवश्यक आधारभूत वायु गुणवत्ता आंकड़े उपलब्ध कराना, तथा
- ◆ वायु गुणवत्ता मानकों पर खरा उत्तरने के लिए उद्योगों तथा अन्य स्रोतों के प्रदूषण को नियंत्रित करना।

1. राष्ट्रीय वायु मॉनिटरिंग प्रोग्राम (एन.ए.एम.पी.)

इस योजना के अंतर्गत राज्य के 14 प्रमुख शहरों में 37 अलग-अलग स्थानों पर (आवासीय, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों वाले स्थान) सप्ताह में दो बार लगभग 24 घण्टे वायु मॉनिटरिंग का कार्य किया जाता है। इस दौरान सल्फर डाई आक्साइड, नाइट्रोजन के आक्साइड, रेस्पायरेबल संस्पेंडेड पार्टीकुलेट मेटर (पी.एम.-10) एवं पी.एम. 2.5 प्रचालकों का परीक्षण परिवेशीय वायु में किया जाता है। वर्ष 2015-16 के दौरान एकत्रित एवं विश्लेषित किये गये नमूनों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	पैरामीटर	वर्ष 2015-16
1	SO ₂	14974
2	NOx	14987
3	RSPM (PM ₁₀)	8272
4	PM _{2.5}	1664
5	Lead	04
6	Nickel	02



उक्त परिणाम क्षेत्रीय प्रयोगशाला द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आनलाईन प्रेषित किये जाते हैं।

(2) उद्योगों के चिमनियों के उत्सर्जन एवं परिवेशीय वायु की निगरानी :-

उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उद्योगों से अत्यधिक मात्रा में धूल के कण एवं हानिकारक गैसों का उत्सर्जन सम्भावित होता है, जो चिमनियों के द्वारा या सीधे ही वायु मण्डल में विस्सारित होते हैं इस प्रकार उद्योग के आस-पास के वातावरण के प्रदूषित होने की सम्भावना रहती है। इस वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु उद्योगों द्वारा ई.एस.पी. वेग फ़िल्टर आदि वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों की स्थापना की जाती है। औद्योगिक गतिविधियों के फलस्वरूप सम्भावित वायु प्रदूषण पर सतत निगरानी रखे हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अपने क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं के माध्यम से उद्योगों की चिमनियों से हो वाले उत्सर्जन एवं निकटवर्ती परिवेशीय वायु की निगरानी हेतु नियमित मॉनिटरिंग करता है। वर्ष 2015–16 में चिमनियों के कुल 448 एवं औद्योगिक/शहरीय परिवेशीय वायु के कुल 1882 नमूने एकत्रित कर विश्लेषित किये गये।

3. वाहन जनित प्रदूषण का सर्वेक्षण

वाहन जनित प्रदूषण के नियंत्रण हेतु किये जा रहे कार्यों का विवरण :-

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रत्येक क्षेत्रीय प्रयोगशाला को प्रति वर्ष वाहनों के उत्सर्जन की जॉच हेतु लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। वर्ष 2015–2016 में क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं (भोपाल, इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, गुना, जबलपुर, रीवा, सतना एवं सागर, शहडोल, सिंगरौली, कटनी, छिंदवाड़ा) के माध्यम से कुल लक्ष्य 15780 वाहनों के उत्सर्जन की जॉच का बोर्ड द्वारा प्रस्तावित किया गया था।

जॉच किये गये वाहनों का विवरण :-

वर्ष 2015–2016 में कुल 17725 वाहनों के उत्सर्जन की जॉच की गई, जिसमें से 859 वाहन (4.84 प्रतिशत) निर्धारित मानकों से अधिक उत्सर्जन करते पाये गये।



सर्वेक्षण के निष्कर्ष एवं की गई सिफारिशें :-

उपरोक्त नगरों में चलने वाले अधिकांश डीजल चलित टैम्पो, मिनी बसों के उत्सर्जन निर्धारित मानकों से अधिक पाये गये। मोटर यान अधिनियम, 1988 के अनुसार वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही का अधिकार परिवहन विभाग को है। बोर्ड द्वारा किये गये सर्वेक्षण के आधार पर वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु परिवहन विभाग को समय-समय पर सुझाव दिये जाते हैं एवं जन मानस में वाहनों से होने वाले प्रदूषण के सम्बन्ध में जन-जागरूकता लाने के प्रयास किये जाते हैं। सम्बन्धित विभाग को दिये गये सुझाव निम्नलिखित हैं :-

- (1) मोटर यान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत डीजल तथा पेट्रोल से चलने वाले वाहनों की नियमित जॉच।
- (2) ईंधन में मिलावट को रोकने हेतु पेट्रोल पम्पों द्वारा प्रदाय किये जा रहे तथा वाहनों द्वारा उपयोग किये जा रहे, ईंधन की नियमित जॉच।
- (3) अत्यधिक व्यस्त मार्गों को एकांकी घोषित किया जाना।
- (4) शासकीय वाहनों के उत्सर्जन की जॉच किया जाना।
- (5) वाहनों से होने वाले प्रदूषण एवं उनमें सुधार कैसे सम्भव हो, समझाईश वाहनों की जॉच के समय दी जानी चाहिए।
- (6) पेट्रोल तथा डीजल चलित वाहनों में सी.एन.जी. (कम्प्रेस्ड नेच्यूरल गैस) का उपयोग किया जाना।


कुल (पेट्रोल एवं डीजल चलित) वाहन उत्सर्जन मापन (वर्ष 2015–2016)

क्रमांक	शहर	वार्षिक लक्ष्य (वाहन संख्या)	उत्सर्जन जॉच किये गये वाहनों की संख्या		
			उत्सर्जन जॉच किये गये वाहनों की संख्या	मानक से अधिक उत्सर्जन करते पाये गये वाहनों की संख्या	मानक से अधिक उत्सर्जन करते पाये गये वाहनों की संख्या का प्रतिशत
1	भोपाल	1500	2221	155	6.97
2	उज्जैन	1500	1500	54	3.6
3	गुना	1080	1080	0	0.0
4	इंदौर	1500	1503	19	1.05
5	धार	1500	1501	2	0.13
6	सागर	1200	1240	87	7.01
7	ग्वालियर	1500	1522	137	9.00
8	जबलपुर	1500	1531	150	9.71
9	छिन्दवाड़ा		600	70	11.66
10	रीवा	900	608	27	4.44
11	सतना	900	1118	87	7.78
12	शहडोल	900	1451	71	4.89
13	सिंगरौली	900	900	0	0.0
14	कटनी	900	900	0	0.0
	कुल योग	15780	17725	859	4.86

ध्वनि प्रदूषण सर्वेक्षण

शोर प्रदूषण नियंत्रण हेतु किये जा रहे कार्यों का विवरण :-

बोर्ड द्वारा ध्वनि स्तर का सर्वेक्षण व मापन संबंधी कार्य वाणिज्यिक, आवासीय, शांत एवं औद्योगिक क्षेत्रों में बोर्ड के क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं के माध्यम से सम्पन्न कराया जाता है। वर्ष 2015–2016 में कुल लक्ष्य 5472 नमूनों का निर्धारित किया गया था एवं इसके विरुद्ध कुल 12141 नमूनों का ध्वनि स्तर मापन किया गया जिसमें से 4844 (39.89 प्रतिशत) नमूने निर्धारित मानकों से अधिक पाये गये।



क्षेत्रीय कार्यालयों में किये गये शोर प्रदूषण सर्वेक्षण का विवरण :—

वर्ष 2015–2016 में प्रदेश के क्षेत्रीय कार्यालयों (भोपाल, इंदौर, धारा, जबलपुर, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, उज्जैन, गुना, सागर, सतना, रीवा शहडोल, सिंगरौली, कटनी) द्वारा ध्वनि स्तर मापन किया गया।

ध्वनि स्तर निर्धारित मानकों से अधिक पाये जाने के मुख्य कारण अत्यधिक वाहनों का आवागमन, वाणिज्यिक गतिविधियों, वाहनों में प्रेशर हार्न का उपयोग वैवाहिक एवं धार्मिक आयोजनों के दौरान लाउड स्पीकर / अत्यधिक तेज ध्वनि वाले संगीत प्रणाली का उपयोग करना, जनरेटर सेट का उपयोग एवं दीपावली और अन्य त्यौहारों के दौरान अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले पटाखों का उपयोग करना है।

क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किया गया ध्वनि उत्सर्जन मापन

क्रमांक	शहर	वार्षिक लक्ष्य (काउन्ट्स)	ध्वनि स्तर मापन		
			कुल ध्वनि स्तर मापन की संख्या	मानक से अधिक पाये गये ध्वनि स्तर मापन की संख्या	मानक से अधिक पाये गये ध्वनि स्तर मापन का प्रतिशत
1	भोपाल	576	1897	1003	52.87
2	उज्जैन	576	1728	1001	57.92
3	उना	432	564	156	27.65
4	इंदौर	432	309	142	45.95
5	धार	432	336	86	25.59
6	सागर	288	438	276	63.08
7	ग्वालियर	576	1508	937	62.13
8	जबलपुर	576	1056	366	34.65
9	छिन्दवाड़ा		50	0	0
10	रीवा	432	360	97	26.94
11	सतना	288	1177	387	32.88
12	शहडोल	288	1290	118	9.14
13	सिंगराली	288	232	56	24.13
14	कटनी	288	1196	219	18.31
	कुल योग	5472	12141	4844	39.89

जल गुणवत्ता प्रबोधन

जल के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मानव अस्तित्व, उद्योग, खेती के लिए स्वच्छ जल एक आवश्यक स्थाई स्त्रोत है। नदी, तालाब, झील और कुएँ पेयजल के मुख्य स्त्रोत हैं।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक प्रमुख कार्य जल प्रदूषण से संबंधित तकनीकी एवं सांख्यिकीय आंकड़ों को एकत्र करना, संकलित करना तथा उन्हें विश्लेषित करना है। अतः नियमित प्रबोधन तथा निगरानी बहुत आवश्यक है।

राज्य में जल गुणवत्ता के निगरानी हेतु निम्नलिखित योजनाओं के अन्तर्गत कार्य किया जा रहा है:-

1. विश्व पर्यावरणीय प्रबोधन पद्धति (जेम्स)

यह परियोजना जल निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ करने, जल गुणवत्ता संबंधित आंकड़ों की विश्वसनीयता बढ़ाने तथा चुने हुये खतरनाक पदार्थों का जल गुणवत्ता पर प्रभाव के अध्ययन हेतु केन्द्रीय बोर्ड के सहयोग से राज्य में वर्ष 1976 से निरन्तर जारी है।

परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के 5 सम्पर्लिंग स्थानों से वर्ष 2015-16 में कुल 52 नमूने एकत्रित कर विश्लेषण कार्य किया गया। प्राप्त परिणाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित किये गये। विश्लेषित परिणामों के आधार पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राकृतिक जल स्त्रोतों के प्रदूषण स्तर का ऑकलन कर उनका वर्गीकरण उपयोगिता सुनिश्चित करने हेतु किया जाता है।

2. भारतीय राष्ट्रीय जल संसाधन प्रबोधन पद्धति (मीनार्स) :-

यह परियोजना केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड की सहायता से राज्य के प्राकृतिक जल स्त्रोतों की गुणवत्ता पर निगरानी रखने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई थी। वर्ष 2015-16 के दौरान इस योजना में कुल 1429 नमूने एकत्रित कर विश्लेषित किये गये तथा विश्लेषण परिणाम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित किये गये। विश्लेषण परिणामों के आधार पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्राकृतिक जल स्त्रोतों के प्रदूषण स्तर का ऑकलन कर उनका वर्गीकरण किया जाता है।

3. प्राकृतिक जल स्त्रोतों की निगरानी :-

प्राकृतिक जल स्त्रोतों की मॉनिटरिंग के अंतर्गत प्रदेश की प्रमुख नदियों, उसकी सहायक नदियों, झीलों, बॉधों, तालाबों एवं नालों से वर्ष 2015-16 में कुल 5541 जल नमूने एकत्रित कर विश्लेषण कार्य किया गया। विश्लेषण परिणामों के आधार पर भारतीय मानक आई.एस. 2296 के अनुसार प्रदेश की नदियों का वर्गीकरण किया जाता है।

4. औद्योगिक दूषित जल की निगरानी :-

उद्योग द्वारा उत्पादन प्रक्रियां एवं घरेलू कार्यों में जल का उपयोग किया जाता है तथा उपयोग पश्चात ही दूषित जल उत्पन्न होता है। उसका शोधन हेतु बोर्ड उद्योगों को निर्देश देता है, कि निस्सारित होने वाले जल का शोधन, दूषित जल उपचार संयंत्रों में इस प्रकार करें, कि शोधित दूषित जल गुणवत्ता बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हों। उद्योगों से निस्सारित दूषित जल के नमूने बोर्ड अपनी क्षेत्रीय प्रयोगशाला के माध्यम से एकत्रित कराकर उनकी गुणवत्ता का नियमित आकलन करता है। वर्ष 2015-16 में विभिन्न उद्योगों से कुल 2605 दूषित जल नमूने एकत्रित कर विश्लेषित किये गये।

5. पर्यावरणीय समस्याएँ और इसके नियंत्रण हेतु किये जा रहे उपायों की वर्तमान स्थिति

बोर्ड द्वारा राज्य में जल एवं वायु गुणवत्ता प्रबोधन तंत्र के अन्तर्गत विभिन्न जल स्त्रोतों, प्रदूषणकारी उद्योगों के निस्सारण बिन्दुओं व परिवेशीय वायु के नमूने एकत्र कर विश्लेषण कार्य किया जाता है। वाहनों से होने वाले उत्सर्जनों तथा ध्वनि प्रदूषण की भी जॉच की जाती है। प्रदेश में स्थापित सभी उद्योगों को उनके द्वारा किये जा रहे उत्सर्जनों/निस्त्रावों की गुणवत्ता निर्धारित मापदण्डों के अनुसार रखने के लिये निर्देश दिये जाते हैं। इसके अन्तर्गत उद्योगों को सक्षम जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण लगाया जाना आवश्यक है।

राज्य में प्रदूषणकारी उद्योग तथा इन उद्योगों/संस्थानों/खदानों में स्थापित जल प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	विवरण	वृहद्, मध्यम एवं लघु श्रेणी के उद्योग / संस्थान / खदानें
1	कुल जल प्रदूषणकारी उद्योग	12842
2(अ)	उद्योगों की संख्या, जिनके द्वारा दूषित जल उपचार संयंत्र स्थापित किये गये हैं।	12842
(ब)	उद्योगों की संख्या, जिनके द्वारा स्थापित दूषित जल उपचार संयंत्रों में उन्नयन/ सुधार कार्य किया गया है।	197

राज्य में प्रदूषणकारी उद्योग तथा इन उद्योगों/संस्थानों में स्थापित वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	विवरण	वृहद्, मध्यम एवं लघु श्रेणी के उद्योग / संस्थान / खदानें
1	कुल वायु प्रदूषणकारी उद्योग	13422
2(अ)	उद्योगों की संख्या, जिनके द्वारा वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण स्थापित किये गये हैं।	13422
(ब)	उद्योगों की संख्या, जिनके द्वारा स्थापित वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों में उन्नयन/ सुधार कार्य किया गया है।	150

प्रदेश में स्थापित उद्योगों की कुल संख्या 13,654 हैं, जिसमें वृहद् श्रेणी के 516, मध्यम श्रेणी के 1,012 तथा लघु श्रेणी के 12,126 उद्योग शामिल हैं। उद्योगों की श्रेणी वर्गीकरण के अनुसार संख्या लाल श्रेणी में – 7,182, नारंगी श्रेणी में – 4,015 एवं हरी श्रेणी में – 2,457 है।

विचाराधीन वर्ष में दूषित जल उपचार व्यवस्था तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में सुधार/ स्थापना करने वाले उद्योगों/संस्थानों/खदानों की सूची कमशः परिशिष्ट 3 एवं 4 पर है।

उद्योगों की स्थापना सम्मति एवं संचालन हेतु जारी सम्मतियाँ :

बोर्ड द्वारा उद्योगों के संचालन के पूर्व जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु सक्षम प्रदूषणकारी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित करने हेतु जल एवं वायु अधिनियमों के अन्तर्गत जारी की जाने वाली सम्मति को दो चरणों में विभक्त किया गया है। नये उद्योगों एवं पूर्व से कार्यरत ऐसे उद्योग जिनके द्वारा अपनी उत्पादन क्षमता में वृद्धि अथवा उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तन किया जाता है को उनकी स्थापना के पूर्व स्थापना सम्मति जारी की जाती है जिसमें उद्योगों को उत्पन्न होने वाले निस्त्राव एवं उत्सर्जन हेतु मानक का निर्धारण कर उक्त मानकों तक उपचार व्यवस्था स्थापित करने के निर्देश दिये जाते हैं।

वर्ष 2015–16 में कुल 2080 वृहद, मध्यम एवं लघु श्रेणी के उद्योगों को ऑनलाईन स्थापना सम्मतियाँ जारी की गई हैं। जिन उद्योगों द्वारा उद्योग स्थापना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है उनको सशर्त उत्पादन सम्मति प्रदान की जाती हैं। वर्ष 2015–16 में कुल 6195 वृहद, मध्यम एवं लघु श्रेणी के उद्योगों को ऑन लाईन उत्पादन सम्मतियाँ तथा सम्मति नवीनीकरण जारी किये गये हैं।

वर्ष 2015–16 में मुख्यालय द्वारा वृहद/मध्यम एवं क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा लघु श्रेणी के उद्योगों को जारी स्थापना सम्मति, उत्पादन सम्मति तथा सम्मति नवीनीकरण का विवरण निम्नानुसार हैः—

क्रमांक	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	स्थापना सम्मति की संख्या	उत्पादन सम्मति एवं सम्मति नवीनीकरण की संख्या	योग
1	भोपाल	381	905	1286
2	इन्दौर	312	770	1082
3	धार	120	462	582
4	उज्जैन	183	521	704
5	गुना	59	210	269
6	ग्वालियर	95	476	571
7	सागर	149	487	636
8	सतना	67	408	475
9	रीवा	85	150	235
10	कटनी	91	371	462
11	शहडोल	124	349	473
12	सिंगराली	49	184	233
13	जबलपुर	264	713	977
14	छिंदवाड़ा	101	189	290
	कुल योग	2080	6195	8275

उद्योगों का सम्मति नवीनीकरण :

बोर्ड द्वारा उद्योगों को जारी जल एवं वायु सम्मति शर्तों के पालनार्थ उद्योगों द्वारा स्थापित प्रदूषणरोधी व्यवस्थाओं के संचालन एवं की जा रही कार्यवाही के आंकलन हेतु उक्त सम्मतियों का नवीनीकरण किया जाता है। सामान्यतः हरी श्रेणी के उद्योगों की सम्मतियों का नवीनीकरण 15 वर्ष तक, नारंगी श्रेणी के उद्योगों की सम्मतियों का नवीनीकरण 10 वर्ष तक एवं लाल श्रेणी के उद्योगों की सम्मतियों का नवीनीकरण 05 वर्ष तक एक साथ किये जाने का भी प्रावधान है।

पर्यावरण प्रभाव अध्ययनः—

उद्योगों/संस्थानों/खदानों द्वारा पर्यावरण पर होने वाले प्रभाव के आंकलन हेतु ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन प्रतिवेदन तैयार किये जाते हैं, जिनकी प्रति बोर्ड में जमा कराई जाती है। विचाराधीन वर्ष में जिन उद्योगों/संस्थानों/खदानों द्वारा पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन प्रतिवेदन बोर्ड में प्रस्तुत किये गये हैं उनका विवरण परिशिष्ट "1" अनुसार है।

वृक्षारोपण :-

पर्यावरण उन्नयन की दृष्टि से उद्योग परिसर तथा उसके आसपास के क्षेत्र में वृक्षारोपण कराये जाने संबंधी शर्त का समावेश किया जाता है। वर्ष 2015–16 में 50 हजार संख्या से अधिक वृक्षों का रोपण कराने वाले 09 उद्योगों की सूची परिशिष्ट "2" अनुसार है।

पर्यावरण विवरण

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत उद्योग संचालन में गतवर्ष में उपयोग किये गये संसाधनों जैसे – कच्चे पदार्थों की खपत, जल खपत, प्रति यूनिट उत्पादन विवरण, निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना होता है। जिसके आधार पर उद्योग स्वयं अपना संचालन का पुनरावलोकन कर सकता है कि, गतवर्ष प्रति यूनिट उत्पादन के लिये विभिन्न संसाधनों की कितनी खपत हुई है। इस आधार पर उद्योग स्वप्रेरणा से प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु सुरक्षात्मक कदम उठा सकता है। उक्त हेतु विभिन्न उद्योगों द्वारा प्रतिवर्ष पर्यावरण विवरण निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन प्रस्तुत किये जाते हैं।

परिशिष्ट 1

वर्ष 2015–16 में पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन रिपोर्ट प्रस्तुत करने वाले उद्योगों/संस्थानों/खदानों की सूची

क्र.	उद्योग का नाम
1.	मेसर्स स्पेशल स्लास्ट लिमि., ग्राम शाहगढ़, तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर
2.	मेसर्स भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, भिटौनी, जिला जबलपुर
3.	श्री राजीव चड्ढा आयरन और बेनीफिकेशन प्लांट, ग्राम गांधीग्राम, तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर
4.	म.प्र. सड़क विकास निगम द्वारा जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन एवं भोपाल जिलों से गुजरने वाले वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक-12 जबलपुर से भोपाल, कि.मी. 10.400 से कि.मी. 301.800 के प्रस्तावित 4 लेनिंग के अन्तर्गत नरसिंहपुर जिले में आने वाले राजमार्ग के खण्ड कि.मी. 65.120 से कि.मी. 130.200 (कुल लम्बाई 65.080 कि.मी.)
5.	मेसर्स नेक्टर माइनिंग कंपनी, ग्राम कुर्चे एवं मनसकरा, तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर
6.	मेसर्स एच.पी.ओर प्रोसेसस प्रा.लिमि., ओद्योगिक क्षेत्र हड्गढ़, तहसील सिहोरा, जिला जबलपुर
7.	म.प्र. सड़क विकास निगम द्वारा जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन एवं भोपाल जिलों से गुजरने वाले वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक-12 जबलपुर से भोपाल, कि.मी. 10.400 से कि.मी. 301.800 के प्रस्तावित 4 लेनिंग के अन्तर्गत जबलपुर जिले में आने वाले राजमार्ग के खण्ड कि.मी. 10.400 से कि.मी. 65.120 (कुल लम्बाई 54.720 कि.मी.)
8.	मेसर्स गेलेकसी माईन एण्ड मिनरल्स, हरदुआ कला रेटेराईट एण्ड डोलोमाईट माईन, ग्राम हरदुआ कला, तहसील मझौली, जिला जबलपुर
9.	मेसर्स धरमसी मोरारजी केमिकल्स कंपनी लिमिटेड, ग्राम फड़की मोहगांव, तहसील परसवाडा, जिला बालाघाट
10.	मेसर्स विधि एलायस प्रा.लिमि. कटगङ्गरी भेगनीज और माईन, ग्राम कटगङ्गरी, तहसील लालवरा, जिला बालाघाट
11.	मेसर्स करन मिनिरल्स, ग्राम करमझ, जिला सीधी
12.	मेसर्स जय प्रकाश एसोसिएटेस लिमिटेड, नरौरा लाईम स्टौन माईन, ग्राम सोनरा, जिला रीवा
13.	मेसर्स एस.एन.एस. भिनिरल्स लिमिटेड, ग्राम थमोनी खुर्द, तहसील विजयराघवगढ़, जिला कटनी
14.	मेसर्स स्काई प्लास्ट माइन्स, ग्राम सेझा, तहसील बड़वारा, जिला कटनी
15.	मेसर्स प्रकाश तोपनानी, ग्राम रितुआ, तहसील बहोरीबंद, जिला कटनी
16.	मेसर्स सरोजरानी अगरवाल, ग्राम सेझा, तहसील बड़वारा, जिला कटनी
17.	मेसर्स उजाला मर्चन्ट ट्रेडर्स लिमि., ग्राम गुरहा, तहसील बड़वारा, जिला कटनी
18.	मेसर्स लक्ष्मी गौर मार्बल प्रा.लिमि., ग्राम छपारा, तहसील बहोरीबंद, जिला कटनी
19.	मेसर्स लक्ष्मी मार्बल इण्डस्ट्रीज (3.36 हेक्टेयर), ग्राम छपारा, तहसील बहोरीबंद, जिला कटनी
20.	मेसर्स लक्ष्मी मार्बल इण्डस्ट्रीज (1.17 हेक्टेयर), ग्राम छपारा, तहसील बहोरीबंद, जिला कटनी
21.	मेसर्स राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, ग्राम बद्रेही, तहसील बहोरीबंद, जिला कटनी
22.	मेसर्स डी.एम. मार्बल, ग्राम छपारा, तहसील बहोरीबंद, जिला कटनी
23.	मेसर्स केशरी नंदन मार्बल प्रा.लिमि., ग्राम अमोच, तहसील बहोरीबंद, जिला कटनी
24.	मेसर्स एकशन मार्बल, ग्राम अमोच, तहसील बहोरीबंद, जिला कटनी
25.	मेसर्स महावीर कोल रिसोर्सेस प्रा.लिमि., ग्राम चिरहुली, तहसील बड़वारा, जिला कटनी
26.	मेसर्स एन.एम. दुवास एण्ड लाईम कंपनी प्रा.लिमि., ग्राम कहर्गांव, जिला कटनी

27.	मेसर्स सुखदेव प्रसाद शंकर प्रसाद गोयनका, ग्राम जमुवानि कला, तहसील विजयराघवगढ़, जिला कटनी
28.	मेसर्स रीजनल वर्कशॉप, डब्ल्यू.सी.एल., कन्हान एरिया, छिंदवाड़ा
29.	मेसर्स नंदन यू.जी. माइन्स, डब्ल्यू.सी.एल., कन्हान एरिया, छिंदवाड़ा
30.	मेसर्स अम्बाड़ा ओ.सी. कोल माइन्स, डब्ल्यू.सी.एल., कन्हान एरिया, छिंदवाड़ा
31.	मेसर्स नंदन कोलवाशरी, डब्ल्यू.सी.एल., कन्हान एरिया दमुआ, छिंदवाड़ा
32.	मेसर्स अम्बाड़ा यू.जी. कोल माइन्स, डब्ल्यू.सी.एल., कन्हान एरिया, छिंदवाड़ा
33.	मेसर्स मोआरी भूमिगत कोयला खदान, डब्ल्यू.सी.एल., कन्हान एरिया, छिंदवाड़ा
34.	मेसर्स झारना भूमिगत कोयला खदान, डब्ल्यू.सी.एल., कन्हान एरिया, छिंदवाड़ा
35.	मेसर्स तानरी भूमिगत कोयला खदान, डब्ल्यू.सी.एल., कन्हान एरिया, छिंदवाड़ा
36.	मेसर्स घोड़वाड़ी यू.जी. कोल माइन्स, डब्ल्यू.सी.एल., कन्हान एरिया, छिंदवाड़ा
37.	मेसर्स दमुआ यू.जी. कोल माइन्स, डब्ल्यू.सी.एल., कन्हान एरिया, छिंदवाड़ा
38.	मेसर्स दमुआ ओ.सी. कोल माइन्स, डब्ल्यू.सी.एल., कन्हान एरिया, छिंदवाड़ा
39.	राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण केन-वेतवा लिंक प्रोजेक्ट फेस-2, ग्राम दीदावनी, जिला शिवपुरी
40.	राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण केन-वेतवा लिंक प्रोजेक्ट फेस-2, ग्राम पिपरोद, जिला अशोकनगर
41.	मेसर्स ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड, ग्राम लुहारी, हटा, जिला दमोह
42.	मेसर्स जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन (सोनपुर मध्यम सिंचाई परियोजना, तहसील केसली, जिला सागर)
43.	मेसर्स जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन (सूरजपुर मध्यम सिंचाई परियोजना, तहसील केसली, जिला सागर)
44.	मेसर्स जल संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन (सूरजपुर मध्यम सिंचाई परियोजना, तहसील केसली, जिला छतरपुर, जिला छतरपुर)
45.	मेसर्स एम.पी. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन (क्षमता विस्तार-48.785 हेक्टेयर), मडवेवरा, जिला छतरपुर
46.	मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमि., भोपाल, जबलपर - भोपाल रोड (एन .एच. 12) के उन्नयन /विस्तारीकरण की परियोजना
47.	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की मोरण्ड- गंजाल सिंचाई परियोजना जिला- होशंगाबाद/ हरदा/ वैतूल
48.	श्री संकठा प्रसाद द्विवेदी, माइन्स जनार्दनपुर, रकवा 25.256 हेक्टेयर, जिला सतना
49.	श्री कमलेन्द्र सिंह माइन्स लालपुर, रकवा 17.471 हेक्टेयर, जिला सतना
50.	श्री राघवेन्द्र कुमार अग्रवाल, रामस्थान लाइम स्टोन माइन, रकवा 7.28 हेक्टेयर, जिला सतना
51.	मेसर्स जयप्रकाश एसोसियेट्स लिमि., बरती फिफिर लाइम स्टोन माइन्स, रकवा 1 59.218 हेक्टेयर, जिला सतना
52.	श्री कमलाकर चतुर्वेदी ककलपुर चूना पत्थर माइन्स, रकवा 100.385 हेक्टेयर, जिला सतना
53.	मेसर्स कुन्जीलाल ईश्वरी प्रसाद अग्रवाल वर्लई ओकर्स, बाक्साइट, लेटराइट एवं व्हाइट क्ले माइन्स, रकवा 8.094 हेक्टेयर, जिला सतना
54.	श्रीमती उमिला त्रिपाठी, चूना पत्थर एवं लेटराइट माइन्स, ग्राम तिहाई, रकवा 8.09 हेक्टेयर, जिला सतना
55.	श्रीमती उमिला त्रिपाठी, चूना पत्थर एवं लेटराइट माइन्स, ग्राम तिहाई, रकवा 8.09 हेक्टेयर, जिला सतना
56.	श्री मुकुन्द जैसवाल विरहुली लाइम स्टोन माइन्स, रकवा 29 .951 हेक्टेयर, तहसील रघुराजनगर, जिला सतना
57.	मेसर्स के.जे.एस. सीमेंट लिमि., पिपरहट लाइम स्टोन माइन्स, रकवा 7 .316 हेक्टेयर, तहसील मैहर, जिला सतना
58.	मेसर्स श्री शिवकुमार अग्रवाल माइन्स कामा खुइया, रकवा 16 .19 हेक्टेयर, तहसील विरसिंहपुर, जिला सतना
59.	मेसर्स गैवीनाथ इन्टरप्राइजेज अबेर माइन्स, रकवा 21.794 हेक्टेयर, तहसील कोटर, जिला सतना
60.	श्रीमती रत्ना सिंह अबेर लाइम स्टोन एवं लेटराइट माइन्स, रकवा 17 .408 हेक्टेयर, ग्राम अबेर, तहसील कोटर, जिला सतना
61.	मेसर्स अग्रवाल डिस्टलरीज प्रा.लिमि., बड़वाह, जिला खरगोन

वर्ष 2015–16 में 50 हजार संख्या से अधिक वृक्षों का रोपण कराने वाले उद्योगों/संस्थानों/खदानों की सूची

क्र.	उद्योग का नाम
1.	मेसर्स जे.पी. रीवा सीमेंट यूनिट ऑफ जयप्रकाश एसोसियेट्स लिमिटेड, जिला रीवा
2.	मेसर्स जे.पी. सीधी सीमेंट यूनिट ऑफ जयप्रकाश एसोसियेट्स लिमिटेड, जिला सीधी
3.	मेसर्स ए.सी.सी. लिमिटेड, कैमोर, जिला कटनी
4.	मेसर्स अमलोरी प्रोजेक्ट, नार्दन कोल फील्ड्स लिमि., सिंगरौली
5.	मेसर्स निंगाही प्रोजेक्ट, नार्दन कोल फील्ड्स लिमि., सिंगरौली
6.	मेसर्स दुधिचुआ प्रोजेक्ट, नार्दन कोल फील्ड्स लिमि., सिंगरौली
7.	मेसर्स ब्लाक बी प्रोजेक्ट, नार्दन कोल फील्ड्स लिमि., सिंगरौली
8.	मेसर्स ओरियन्ट पेपर मिल्स, अमलई, जिला शहडोल
9.	नगर निगम, इन्दौर

जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन

जीव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हस्तन) नियम, 1998 दिनांक 20 जुलाई 1998 से प्रभावशील है, जिसके अंतर्गत चिकित्सा संस्थानों से उत्पन्न होने वाले जीव चिकित्सीय अपशिष्ट के प्रबंधन, उपचार एवं निपटान संबंधी प्रावधान है। वर्ष 2015–2016 तक राज्य में कुल 2853 शैय्यायुक्त चिकित्सा संस्थान तथा 537 अन्य चिकित्सा संस्थान यथा— ब्लड बैंक, पैथालॉजी एवं एक्स-रे इत्यादि (कुल 3390 चिकित्सा संस्थान) चिन्हित किये गये हैं। नियमों के प्रावधान अनुसार क्लीनिक ब्लड बैंक एवं अन्य चिकित्सीय संस्थान जो प्रतिमाह 1000 रोगियों से कम का इलाज करते हैं उन्हे बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त करना आवश्यक नहीं है। तदानुसार मध्यप्रदेश में वर्ष 2015–2016 के अंत तक 2088 चिकित्सा संस्थानों को प्राधिकार के दायरे में लाया जा चुका है।

शैय्यायुक्त चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध कुल विस्तरों की संख्या 71417 चिन्हित की गई है। केन्द्र शासन द्वारा प्रवर्तित उपरोक्त नियमों के परिपालनार्थ तथा संयुक्त जीव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार व्यवस्था बाबत् प्रसारित मार्गदर्शिका अनुसार प्रदेश में अस्पतालों द्वारा पृथक—पृथक उपचार व्यवस्था निर्मित किये जाने के स्थान पर संयुक्त जीव चिकित्सा अपशिष्ट निपटान व्यवस्थाओं की स्थापना के प्रयास किये जा रहे हैं। इसी तारतम्य में वर्तमान में 14 स्थानों पर कुल 15 संयुक्त जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्थाएँ की गई हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:—

क्रमांक	स्थान	संख्या	संचालक संस्था का नाम
01	ग्वालियर	1 (इंसीनरेटर)	मे. जयारोग्य अरपताल द्वारा स्थापित एवं मे. डेविस सर्जिकों द्वारा संचालित
02	जबलपुर	1 (इंसीनरेटर)	मे. एलिट इंजीनियर्स द्वारा स्थापित एवं संचालित
03	इंदौर	1 (इंसीनरेटर)	मे. हॉस्पिन इंसीनरेटर प्रा० लि० द्वारा स्थापित एवं संचालित ।
04	भोपाल	2 (इंसीनरेटर)	मे. भोपाल इंसीनरेटर प्रा० लि० द्वारा स्थापित एवं संचालित मे. पीपुल्स कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस द्वारा स्थापित एवं संचालित ।
05	सागर	1 (डीप बरियल)	मे. बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर द्वारा स्थापित एवं मे. डेविस सर्जिकों द्वारा संचालित
06	छिंदवाड़ा	1 (डीप बरियल)	मे. चन्द्रा प्रोजेक्ट द्वारा स्थापित एवं संचालित ।
07	सतना	1 (इंसीनरेटर)	मे. इण्डो वाटर मैनेजमेण्ट सतना, द्वारा स्थापित एवं संचालित ।
08	आगरा, उत्तर प्रदेश	1 (इंसीनरेटर) (राज्य के बाहर)	मे. दत्त इंटरप्राइजेस आगरा द्वारा आगरा मे संचालित । (मुरैना का वेर्स्ट परिवहन हेतु)
09	शक्तिनगर, उत्तर प्रदेश	1 (इंसीनरेटर) (राज्य के बाहर)	मे. लेबको इन्स्ट्रूमेन्ट लखनऊ द्वारा संचालित ।(सीधी का वेर्स्ट परिवहन हेतु)
10	सिवनी	1 (इंसीनरेटर)	मे. कृपा वेर्स्टेज सिवनी द्वारा स्थापित एवं संचालित
11	रतलाम	1 (इंसीनरेटर)	मे. बायो मेडिकल एसोसियेशन, रतलाम द्वारा रतलाम मे स्थापित एवं संचालित ।
12	सीहोर	1 (इंसीनरेटर)	मे. इन्वायरमेण्टल प्रोटेक्शन कार्पोरेशन, सीहोर द्वारा सिहोर मे स्थापित एवं संचालित ।
13	झाँसी, उत्तर प्रदेश	1 (इंसीनरेटर) (राज्य के बाहर)	मे. मेडिकल पाल्यूशन डिस्पोजल कमेटी, झाँसी द्वारा संचालित । (शिवपुरी का वेर्स्ट परिवहन हेतु)
14	उमरिया	1 (इंसीनरेटर)	मे. एम.पी. बायो मेडिकल वेर्स्ट डिस्पोजल सिरस्टम ग्राम इंटौर जिला उमरिया द्वारा स्थापित एवं संचालित ।

उपरोक्त संयुक्त जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्थाओं में प्रदेश के 2793 चिकित्सा संस्थान जुड़ गये हैं जबकि अन्य संस्थानों द्वारा अपनी व्यक्तिगत सुविधाओं के आधार पर जीव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन किया जा रहा है।

प्रशिक्षण एवं सेमिनार:-

चिकित्सा संस्थानों के चिकित्सकों एवं अन्य कर्मचारियों को जीव चिकित्सा अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु जागरूक एवं प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से प्रदेश में जगह-जगह पर सेमीनारों एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। बोर्ड द्वारा नियमों के प्रभावी कियान्वयन बाबत् प्रदेश में 'राज्य स्तरीय जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन तकनीकी सलाहकार समिति' का गठन किया गया है। समिति की तृतीय बैठक दिनांक

25.06.2015 को आयोजित की गयी है। बैठक में जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन के नियमों को अधिक प्रभावी ढंग से कियान्वयित किये जाने की समीक्षा एवं कार्यशाला की गई।

परिसंकटमय अपशिष्ट प्रबंधन

भारत में विभिन्न गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले परिसंकटमय अपशिष्टों के प्रबंधन के लिये भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम 2008 दिनांक 24 / 09 / 2008 से अधिसूचित किये गये हैं, जिसके तहत् मध्य प्रदेश में कुल 1792 उधोगों को प्राधिकार दिये गये हैं जिसमें से प्रदेश के वृहद् एवं मध्यम श्रेणी के 682 तथा लघु श्रेणी के 1110 उधोगों को प्राधिकार जारी किये गये हैं।

मध्य प्रदेश में कुल प्राधिकृत उधोगों की संख्या (क्षेत्रीय कार्यालय वार) निम्नानुसार है।

क्र.	क्षेत्रीय कार्यालय	उधोगों की संख्या
1.	भौपाल	176
2.	धार	280
3.	गुना	36
4.	उज्जैन	152
5.	रींवा	64
6.	सतना	38
7.	सागर	45
8.	ग्वालियर	175
9.	जबलपुर	313
10.	इन्दौर	375
11.	शहडोल	73
12.	सिंगराँली	30
13.	कटनी	35
	कुल संख्या	1792

मध्य प्रदेश में स्थित प्राधिकृत उधोगों से जनित अपशिष्टों का अपवहन निम्न विधियों से किया जाता है।

(अ)	इंसीनरेबल अपशिष्ट	-	मैट्रिक टन	10349.6785
(ब)	लेण्डफिल हेतु	-	मैट्रिक टन	167583.525
(स)	पुर्नउपयोग / विक्रय हेतु	-	मैट्रिक टन	109030.788
अपशिष्ट की कुल मात्रा			मैट्रिक टन	28,6,963.9975

प्रदेश के 12 उधोगों द्वारा स्वयं के परिसर में भस्मक (Incinerator) लगाकर अपशिष्टों के दहन की व्यवस्था की है एवं 10 उधोगों ने अपशिष्टों को अपवहित करने हेतु स्वयं की डिस्पोजल साईट विकसित की है तथा उसमें अपशिष्टों का अपवहन किया जा रहा है।

परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम 2008 के तहत परिसंकटमय अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले सभी उधोगों को उनके द्वारा जनित अपशिष्टों के सुरक्षित अपवहन की व्यवस्था करनी करनी होती है। प्रदेश के 10 उधोगों द्वारा स्वयं के परिसर में भस्मक (Incinerator) लगाकर अपशिष्टों के दहन की व्यवस्था की गई है एवं 9 उधोगों ने अपशिष्टों को अपवहन करने के लिये स्वयं की डिस्पोजल साईट विकसित की है तथा उसमें अपशिष्टों का अपवहन किया जा रहा है।

परिसंकटमय अपशिष्टों अपवहन हेतु मध्य प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर जिला-धार में स्थल चिन्हित कर मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम भोपाल द्वारा बिडिंग के माध्यम से फैसिलिटी ऑपरेटर के रूप में मेसर्स रामकी इन्वायरो इंजीनियर लिमिटेड, हैदराबाद का चयन बिल्ड ऑन ऑपरेट एण्ड ट्रांसफर के आधार (BOOT basis) पर कॉमन ट्रीटमेंट, स्टोरज डिस्पोजल फैसिलिटी (सी.टी.एस.डी.एफ.) विकसित करने हेतु किया गया था। मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इंदौर द्वारा परिसंकटमय अपशिष्टों के अपवहन हेतु सुविधा के विकास हेतु लगभग 60 एकड़ भूमि प्लांट नं.104 औद्योगिक क्षेत्र-2, पीथमपुर धार में आवंटित की है।

फैसिलिटी आपरेटर द्वारा स्थल की ई.आई.ए. तैयार करने के पश्चात ईआईए नोटिफिकेशन 1994 के प्रावधानों के तहत लोक सुनवाई की प्रक्रिया करवाई गई व तदुपरांत मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्थल को अधिसूचित किया गया था। पीथमपुर जिला धार में कॉमन ट्रीटमेंट, स्टोरेज डिस्पोजल फैसिलिटी की स्थापना मेसर्स एम.पी वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी पीथमपुर के नाम से की गई है। इस डिस्पोजल साईट में निम्न सुविधाओं का विकास किया गया है:-

1. अपशिष्टों के भडांरण हेतु व्यवस्था ।
2. अपशिष्टों के सॉलिडीफिकेशन / स्टेबलाईजेशन हेतु व्यवस्था ।
3. सिक्योर्ड लेण्डफिल सेल ।
4. लेण्डफिल से उत्पन्न होने वाले लीचेट के उपचार हेतु सोलर एवॉपोरेशन पाँड ।
5. अपशिष्टों के विश्लेषण कार्यो हेतु प्रयोगशाला ।
6. अन्य सुविधा जैसे वे ब्रिज, वॉशिंग वे इत्यादि ।
7. इंसिनरेशन

इस सुविधा में खतरनाक अपशिष्टों के डायरेक्ट एवं उपचार उपरांत भूमि भराव (लेण्डफिल) करने की क्षमता निम्नानुसार है:-

1.	डायरेक्ट लेण्डफिल	-	50,000.00	मैट्रिक टन प्रतिवर्ष
2.	सॉलिडीफिकेशन / स्टेबलाईजेशन	-	20,000.00	मैट्रिक टन प्रतिवर्ष
3.	इंसीनरेशन	-	20,000.00	मैट्रिक टन प्रतिवर्ष

इस सुविधा द्वारा नवम्बर 2006 से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है तथा मार्च 2015 तक इसमें लगभग 64743 मैट्रिन टन अपशिष्ट का अपवहन भी किया जा चुका है।

परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम 2008 के अंतर्गत वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विकसित की गई वेबसाईट 'नेशनल हजार्डस वेस्ट इनफोरमेशन सिस्टम' में बोर्ड द्वारा Inventorisation की जानकारी अपलोड की गई है, यह जानकारी के अतिरिक्त 2009 एवं 2010 के Inventorisation जानकारी भी उक्त वेबसाईट पर अपलोड की गई है। पूरे देश में मध्य प्रदेश पहला प्रदेश है जिसके द्वारा उक्त जानकारी को नेशनल हजार्डस वेस्ट इनफोरमेशन सिस्टम में अपलोड किया गया है जिसकी वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रशंसा की गई।

बोर्ड द्वारा उधोगों का समय-समय पर निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाता है कि उद्योगों द्वारा नियमों का सुचारू रूप से पालन किया जाये तथा आवश्यकता के अनुसार उधोगों को उचित मार्गदर्शन दिया जाता है। नियमों का पालन न करने वाले उधोगों को नियमानुसार दिशा निर्देश जारी कर, कार्यवाही की जाती है।

लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991

उद्योग / संस्थान द्वारा परिसंकटमय रसायन के हथालन, संचलन अथवा इससे संबंधित गतिविधियों के दौरान कोई दुर्घटना घटित होने पर प्रभावित व्यक्तियों को तात्कालिक राहत प्रदान करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 तथा उक्त अधिनियम के प्रावधानों को कियान्वित करने के लिये लोक दायित्व बीमा नियम 1991, दिनांक 01.04.1991 से प्रभावशील किये गये हैं। लोक दायित्व बीमा नियम 1991 की धारा-5 के तहत संबंधित जिला कलेक्टर को अपने क्षेत्राधिकार में किसी भी तरह की परिसंकटमय पदार्थों के हथालन, संचलन अथवा इससे संबंधित गतिविधियों के दौरान हुई दुर्घटना पर कार्यवाही करने तथा धारा-6 में दुर्घटना होने पर केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण रिलीफ फंड स्कीम 2008 के तहत तात्कालिक राहत पहुंचाने हेतु कार्यवाही करने के अधिकार है।

उक्त अधिनियम की धारा-2(डी) के तहत अधिसूचित 179 प्रकार के परिसंकटमय रसायनों की निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में हथालन करने वाले स्वामी / उद्योग / संस्थान को लोक दायित्व बीमा पॉलिसी लेना अनिवार्य है। प्रभावित व्यक्तियों को तात्कालिक राहत पहुंचाने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा-7(अ) के तहत, पर्यावरण रिलीफ फंड स्कीम 2008 अधिसूचित की गई है, जिसके अनुसार स्वामी / उद्योग / संस्थान को लोक दायित्व बीमा पॉलिसी की प्रीमियम राशि के बराबर की प्रीमियम राशि का योगदान पर्यावरण रिलीफ फंड स्कीम में करना अनिवार्य है। लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 की धारा 13 तथा 18 (अधिसूचना दिनांक 19.03.1993) के अनुसार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी उधोग / संस्थान द्वारा परिसंकटमय रसायन का उचित रूप से हथालन न करने तथा नियम की अवहेलना करने पर न्यायालयीन कार्यवाही कर सकता है।

बैटरीज प्रबंधन एवं हथालन

भारत शासन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक का.आ. 432 (अ) दिनांक 16.05.2001 द्वारा बैटरी (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2001 बनाया गया है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक बैटरीज, विनिर्मातक, आयातकर्ता, मरम्मत करने वाले, समायोजन, व्यवहारी, पुनः चक्रणकर्ता, उपभोक्ता और बैटरी के विनिर्माण, प्रसंस्करण, क्रय, विक्रय व उपयोग में लगे प्रमुख उपभोक्ताओं की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में भरकर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित की जाती है।

प्रदेश में वर्ष 2015-16 तक 49 पुनः पंजिकरण किये गये हैं। जिसमें केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा अनुमोदित पर्यावरण प्रिय तकनीकी से आयोजित लेड एसिड बैटरीयों से लेड एवं प्लास्टिक का पुनः चक्र किया गया है।

पुनःचक्रित प्लास्टिक विनिर्माण, उपयोग एवं अपशिष्ट प्रबंधन :—

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक का.आ. 249 / (अ) दिनांक 04.02.2011 के माध्यम से पुनःचक्रित प्लास्टिक (विनिर्माण एवं उपयोग और अपशिष्ट प्रबंधन) नियम 1999 की उन बातों के सिवाय ऐसे अधिकमण से पहले की गई या करने से रोका किया गया है। अधिकांत करते हुये – “ अपशिष्ट प्लास्टिक ” (प्रबंधन और प्रहस्तन) नियम 2011 जारी किये गये है। उपरोक्त अधिसूचना नियम –4 के अंतर्गत विहित प्राधिकारी नियुक्त किये गये है।

(क) प्राधिकरण, विनिर्माण, पुनःचक्रित और व्ययन से संबंधित इन नियमों के उपबंधों के प्रवर्तन के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में प्रदूषण नियंत्रण समिति होगी।

(ख) प्लास्टिक अपशिष्ट के उपयोग, संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन और व्ययन से संबंधित इन नियमों के उपबंधों के प्रवर्तन के लिए संबंध नगरपालिका प्राधिकरण होगी।

प्लास्टिक नियमों को प्रभावशाली ढंग से लागू करने हेतु राज्य शासन की मदद से प्रदेश के सभी जिलों में जिला प्रकोष्ठों का गठन किया है, जिससे अमानक पॉलिथीन कैरीबैग के प्रचलन को नियंत्रित करना अधिक प्रभावी हुआ है।

म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट निष्पादन के संबंध में पूर्व में की जा रही कार्यवाही के अंतर्गत वर्ष 2015–16 के दौरान नगर निगम / नगर पलिका / नगर पंचायत के संयुक्त तत्वाधान में प्रदेश भर में 15 स्थानों पर छापामार कार्यवाही कर अमानक स्तर की लगभाग 200 कि.ग्रा. पॉलीथीन जब्त की गई है।

वर्ष के दौरान म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रदेश में लगभग 123 जन – जगरूकता कार्यक्रमों के अंतर्गत रैली, चित्रकला प्रतियोगीता, प्रदर्शनी, नुककड़ नाटक से मिनार वर्कशाप इत्यादि कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं।

01 जुलाई 2015 से राज्य शासन द्वारा प्रदेश के धार्मिक व पर्यटन महत्व के उज्जैन, ओरछा, महेश्वर, ओंकारेश्वर, अमरकंटक, मैहर, पचमढ़ी, मॉदू, चित्रकूट, मंडलेश्वर, दतिया, तथा सॉची नगरों में पॉलीथीन कैरी बैग का उपयोग प्रतिबंधित करने की दृष्टि से संबंधित खरगौन, अनूपपुर, सतना, उज्जैन, दतिया, खंडवा, टीकमगढ़, होशंगाबाद, रायसेन, एवं धार जिला कलेक्टरों द्वारा पॉलीथीन कैरी बैग उपयोग के संबंध में निषेधात्मक आदेश प्रसारित किये गये हैं।

बोर्ड द्वारा वर्ष 2009–10 से प्लास्टिक कचरे का सीमेंट किलन में कोयले के साथ सहदहन की व्यवस्था की गई है, वर्तमान में 7 सीमेंट उद्योगों में यह व्यवस्था है, एवं वर्ष 2015–16 के दौरान लगभग 7861.93 मीट्रिक टन प्लास्टिक एवं अभी तक कुल 19449.217 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरे का सीमेंट किलन में सहदन किया जा चुका है।

ई–वेस्ट प्रबंधन

ईव–वेस्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2011, मई 2012 से प्रभावशील है। नियमों में ई–वेस्ट के प्रबंधन संबंधी प्रावधानों को लागू करने में मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की विभिन्न जिम्मेदारियां हैं। जिसमें कलेक्शन सेंटर, डिस्मेंटलर्स, रिसाईक्लार्स को प्राधिकार/पंजीयन दिये जाने के साथ–साथ प्रदेश में ई–वेस्ट इवेटराईजेशन का कार्य भी शामिल है। प्रदेश में अभी तक 15 कलेक्शन सेंटर, 03 डिस्मेंटलर्स एवं 01 रिसाईक्लार्स स्थापित होकर कार्यरत हैं।

बोर्ड द्वारा मध्य प्रदेश के समस्त 10 संभाग में ई–वेस्ट इवेटराईजेशन का कार्य संपादित कराया गया। जिसका प्रतिवेदन मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग को भी भेजा गया है। ई–वेस्ट संबंधी विभिन्न जानकारी बोर्ड कार्यालयीन वेब–साईट www.mppcb.nic.in पर उपलब्ध है।

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन :—

भारत सरकार द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम 2000 बनाये गये हैं, जिनके तहत धारा-4, (1) में नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन एवं निपटान करने का दायित्व नगरीय निकाय एवं नियमों के संपूर्ण कियान्वयन करने की जिम्मेदारी धारा (5) के अंतर्गत संबंधित जिला कलेक्टर की है तथा नियम 6 में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दायित्व उल्लेखित है उक्त नियम पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत है। घरेलू कचरे का पृथक्करण, संग्रहण तथा व्यवरित अपवहन हेतु आवश्यक कार्यवाही नियम में दिये प्रावधान अनुसार संबंधित नगरीय निकाय को करनी है।

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का दायित्व घरेलू अपशिष्ट का डिस्पोजल स्थल के आस-पास जल एवं वायु गुणवत्ता मापन तथा कम्पोस्ट गुणवत्ता मापन का है। भूमि — भरण स्थल पर कार्य समापन पश्चात मॉनिटरिंग करना है। नगरीय निकायों को बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त करने तथा बोर्ड को वार्षिक प्रतिवेदन भेजने का दायित्व है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का दायित्व प्राप्त वार्षिक प्रतिवेदन को एकजाई रूप में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजना है।

प्रदेश में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की वर्तमान स्थिति :—

प्रदेश में 15 नगर पालिका निगम, 361 नगर पालिका परिषद / नगर परिषद एवं 05 छावनी परिषद कुल 381 नगरीय निकाय संस्थान हैं। 05 छावनी परिषद नगरीय प्रशासन विभाग में समाहित नहीं है। 376 नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद / नगर परिषद की कुल जनसंख्या 20390746 है। जिससे प्रतिदिन 6678 मैट्रिक टन / नगरीय ठोस अपशिष्ट का निस्सारण होता है।

बोर्ड द्वारा प्रमुख रूप से नियमों के पालन हेतु निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :—

1. बोर्ड मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से नगरीय निकायों / स्थानीय नागारिकों को जागरूक करने हेतु पर्याप्त संख्या में सेमीनार / वर्कशॉप / संगोष्ठी / रैली आदि कार्यक्रम समय-समय पर आयोजित किये गये हैं, इसके अतिरिक्त समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा नगरीय निकायों में जाकर नियमों के पालन के परिप्रेक्ष्य में संबंधित नगर पालिका अधिकारी / स्वास्थ्य अधिकारी / सफाई अधिकारी से चर्चा की गई तथा उन्हें समझाई दी गयी।
2. नियमों के प्रभावी कियान्वयन कराने हेतु समय-समय पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त मार्गदर्शन संबंधित निकायों को भेजे गये तथा नियमों के पालन बावत् पत्र / निर्देश / समझाइश जारी किये गये हैं।
3. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-5 के अंतर्गत नगरीय निकायों को निर्देश दिये गये हैं तथा निकायों से पालन प्रतिवेदन / योजना मांगी गयी है। मध्य प्रदेश शासन को भी सूचित किया गया है।

6. पर्यावरणीय अनुसंधान

पर्यावरण के क्षेत्र में सतत रूप से अनुसंधान का बहुत महत्व है। उद्योगों के निस्त्रावों एवं उत्सर्जनों पर नियंत्रण तथा उपचार हेतु नई-नई प्रणालियाँ विकसित होती जा रही हैं। इन प्रणालियों की प्रदेश की जल, वायु एवं भौगोलिक परिस्थितियों के परिपेक्ष्य में उपादेयता परखकर उसे प्रचलित करने के उद्देश्य से मुख्यालय में विभिन्न आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित अनुसंधान केन्द्र कार्यरत है। विचाराधीन वर्ष में केन्द्रीय प्रयोगशाला में निम्नलिखित परियोजनाओं पर कार्य किया गया—

1. भोपाल शहर के संवेदनशील क्षेत्रों की पर्यावरणीय वस्तु स्थिति में एयरोसोल प्रदूषण का अध्ययन:-

वायु में निलम्बित कणों का मुख्य स्त्रोत शहरी विकास है, जिसके अंतर्गत वाहन, रेल यातायात, उद्योग एवं व्यवसाय इत्यादि सम्मिलित हैं। मनुष्य तथा प्राकृतिक वातावरण पर वायु प्रदूषण का बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है चूंकि वायु प्रदूषण विशेषतः एयरोसोल एक वैश्विक समस्या है।।

संवेदनशील क्षेत्रों की श्रेणी में स्कूल, चिकित्सालय, मॉल, एयरपोर्ट इत्यादि आते हैं जिनकी वृद्धि विगत 10 वर्षों में आवासीय क्षेत्रों में हुई है। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य भोपाल शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में कणीय प्रदूषण (विशेषतः पीएम 10 तथा पीएम 2.5) तथा एयर टॉकिस्क के आधारभूत आंकड़े एकत्रित करना है जिसमें चिकित्सालय, स्कूल, मॉल एवं एयरपोर्ट सम्मिलित हैं।

भोपाल शहर के संवेदनशील क्षेत्रों से प्राप्त किये गये निलम्बित कण प्रदूषण (पीएम10 तथा पीएम 2.5) के आधारभूत आंकड़े तथा एयरटॉकिस्क स्तर, भविष्य में वायु प्रदूषण संबंधित उच्च स्तरीय अध्ययन के लिए उपयोगी होगा। अतः बोर्ड द्वारा मध्यप्रदेश के भोपाल शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में एयरोसोल प्रदूषण का प्रारंभिक निरीक्षण का कार्य किया गया।

2. भोपाल एवं इंदौर शहर के नगरीय ठोस अपशिष्ट पदार्थों के भूमि-भराव क्षेत्रों का पर्यावरणीय अध्ययन:-

औद्योगिकरण व शहरी विकास के कारण शहरों के आसपास नगरीय ठोस अपशिष्ट की वृद्धि हुई है। भारत में परम्परागत रूप से नगरीय ठोस अपशिष्ट का निष्पादन भूमि-भराव कर किया जाता है। जिसमें से कुछ अपशिष्ट पदार्थ सेहत के लिए हानिकारक व पर्यावरण प्रदूषक कारक होते हैं।

केन्द्रीय प्रयोगशाला मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल द्वारा भोपाल एवं इंदौर शहर के नगरीय ठोस अपशिष्ट भूमि-भराव क्षेत्रों से विभिन्न पर्यावरणीय घटकों (वायु, जल, मृदा) में होने वाले प्रदूषण का आंकलन किया गया।

3. नर्मदा नदी जैव निरीक्षण:-

म० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा, नर्मदा नदी जैव निरीक्षण” परियोजना का कार्य संपादित किया जा रहा है, इस कार्य के तहत नर्मदा नदी के उदगम स्थल अमरकंटक से लेकर म. प्र. की अन्तिम सीमा बड़वानी (कोटेश्वर) तक कुल 30 बिंदुओं पर अक्षेत्रकी जीवों द्वारा जल की गुणवत्ता की जॉच संबंधित अध्ययन कार्य किया गया। अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि नर्मदा नदी के जल की गुणवत्ता उक्त स्थानों पर वर्ग ए से वर्ग सी स्तर की प्राप्त हुई हैं।

Accreditation

Central Lab is enlisted vide Gazette Notification dated 8/02/2008 under Water [Pollution Control & Prevention] Act, 1974 under section 16[3]. Since its inception, the lab has obtained following accreditation:

- Environmental Protection Act [1986]
- NABL-ISO/ IEC 17025:2005 [International Quality System] in the year 2011 [for water and waste water].
- OHSAS 18001:2007 - [Occupational Health and Safety Assessment Series] Certification in the year 2013 for occupation health & Safety of the laboratory personnel.

Central lab is among very few laboratory within all State Pollution Control Board's Laboratory having the NABL - ISO/IEC 17025:2005 quality management certification including OHSAS 18001:2007 Certification and recognition under EPAct 1986.

इस सुविधा द्वारा नवम्बर 2006 से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है तथा मार्च 2015 तक इसमें लगभग 64743 मैट्रिन टन अपशिष्ट का अपवहन भी किया जा चुका है।

परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन, हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम 2008 के अंतर्गत वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विकसित की गई वेबसाइट "नेशनल हजार्ड्स वेस्ट इनफोरमेशन सिस्टम" में बोर्ड द्वारा Inventorisation की जानकारी अपलोड की गई है, यह जानकारी के अतिरिक्त 2009 एवं 2010 के Inventorisation जानकारी भी उक्त वेबसाइट पर अपलोड की गई है। पूरे देश में मध्य प्रदेश पहला प्रदेश है जिसके द्वारा उक्त जानकारी को नेशनल हजार्ड्स वेस्ट इनफोरमेशन सिस्टम में अपलोड किया गया है जिसकी वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रशंसा की गई।

बोर्ड द्वारा उधोगों का समय-समय पर निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाता है कि उधोगों द्वारा नियमों का सुचारू रूप से पालन किया जाये तथा आवश्यकता के अनुसार उधोगों को उचित मार्गदर्शन दिया जाता है। नियमों का पालन न करने वाले उधोगों को नियमानुसार दिशा निर्देश जारी कर, कार्यवाही की जाती है।

लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991

उधोग / संस्थान द्वारा परिसंकटमय रसायन के हथालन, संचलन अथवा इससे संबंधित गतिविधियों के दौरान कोई दुर्घटना घटित होने पर प्रभावित व्यक्तियों को तात्कालिक राहत प्रदान करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 तथा उक्त अधिनियम के प्रावधानों को कियान्वित करने के लिये लोक दायित्व बीमा नियम 1991, दिनांक 01.04.1991 से प्रभावशील किये गये हैं। लोक दायित्व बीमा नियम 1991 की धारा-5 के तहत संबंधित जिला कलेक्टर को अपने क्षेत्राधिकार में किसी भी तरह की परिसंकटमय पदार्थों के हथालन, संचलन अथवा इससे संबंधित गतिविधियों के दौरान हुई दुर्घटना पर कार्यवाही करने तथा धारा-6 में दुर्घटना होने पर केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण रिलीफ फंड स्कीम 2008 के तहत तात्कालिक राहत पहुंचाने हेतु कार्यवाही करने के अधिकार है।

उक्त अधिनियम की धारा-2(डी) के तहत अधिसूचित 179 प्रकार के परिसंकटमय रसायनों की निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में हथालन करने वाले स्वामी / उधोग / संस्थान को लोक दायित्व बीमा पॉलिसी लेना अनिवार्य है। प्रभावित व्यक्तियों को तात्कालिक राहत पहुंचाने के लिये केन्द्र सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा-7(अ) के तहत पर्यावरण रिलीफ फंड स्कीम 2008 अधिसूचित की गई है, जिसके अनुसार स्वामी / उधोग / संस्थान को लोक दायित्व बीमा पॉलिसी की प्रीमियम राशि के बराबर की प्रीमियम राशि का योगदान पर्यावरण रिलीफ फंड स्कीम में करना अनिवार्य है। लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 की धारा 13 तथा 18 (अधिसूचना दिनांक 19.03.1993) के अनुसार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी उधोग / संस्थान द्वारा परिसंकटमय रसायन का उचित रूप से हथालन न करने तथा नियम की अवहेलना करने पर न्यायालयीन कार्यवाही कर सकता है।

बैटरीज प्रबंधन एवं हथालन

भारत शासन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना कमांक का.आ. 432 (अ) दिनांक 16.05.2001 द्वारा बैटरी (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2001 बनाया गया है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक बैटरीज, विनिर्मातक, आयातकर्ता, मरम्मत करने वाले, समायोजन, व्यवहारी, पुनः चक्रणकर्ता, उपभोक्ता और बैटरी के विनिर्माण, प्रसंस्करण, कय, विकय व उपयोग से लगे प्रमुख उपभोक्ताओं की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में भरकर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रेषित की जाती है।

प्रदेश में वर्ष 2015-16 तक 49 पुनः पंजिकरण किये गये हैं। जिसमें केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा अनुमोदित पर्यावरण प्रिय तकनीकी से आयोजित लेड एसिड बैटरीयो से लेड एवं प्लास्टिक का पुनः चक्र किया गया है।

पुनःचकित प्लास्टिक विनिर्माण, उपयोग एवं अपशिष्ट प्रबंधन:-

भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक का.आ. 249 / (अ) दिनांक 04.02.2011 के माध्यम से पुनःचकित प्लास्टिक (विनिर्माण एवं उपयोग और अपशिष्ट प्रबंधन) नियम 1999 की उन बातों के सिवाय ऐसे अधिकमण से पहले की गई या करने से रोका किया गया है। अधिकांत करते हुये – “ अपशिष्ट प्लास्टिक ” (प्रबंधन और प्रहस्तन) नियम 2011 जारी किये गये है। उपरोक्त अधिसूचना नियम -4 के अंतर्गत विहित प्राधिकारी नियुक्त किये गये हैं।

(क) प्राधिकरण, विनिर्माण, पुनःचक्रित और व्ययन से संबंधित इन नियमों के उपबंधों के प्रवर्तन के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में प्रदूषण नियंत्रण समिति होगी।

(ख) प्लास्टिक अपशिष्ट के उपयोग, संग्रहण, पृथक्करण, परिवहन और व्ययन से संबंधित इन नियमों के उपबंधों के प्रवर्तन के लिए संबंध नगरपालिका प्राधिकरण होगी।

प्लास्टिक नियमों को प्रभावशाली ढंग से लागू करने हेतु राज्य शासन की मदद से प्रदेश के सभी जिलों में जिला प्रकोष्ठों का गठन किया है, जिससे अमानक पॉलीथीन कैरीबैग के प्रचलन को नियंत्रित करना अधिक प्रभावी हुआ है।

म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट निष्पादन के संबंध में पूर्व में की जा रही कार्यवाही के अंतर्गत वर्ष 2015 –16 के दौरान नगर निगम / नगर पालिका / नगर पंचायत के संयुक्त तत्वाधान में प्रदेश भर में 15 स्थानों पर छापामार कार्यवाही कर अमानक स्तर की लगभाग 200 कि.ग्रा. पॉलीथीन जब्त की गई है।

वर्ष के दौरान म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रदेश में लगभग 123 जन – जगरूकता कार्यक्रमों के अंतर्गत रैली, चित्रकला प्रतियोगीता, प्रदर्शनी, नुककड़ नाटक से मिनार वर्कशाप इत्यादि कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं।

01 जुलाई 2015 से राज्य शासन द्वारा प्रदेश के धार्मिक व पर्यटन महत्व के उज्जैन, ओरछा, महेश्वर, ओंकारेश्वर, अमरकंटक, मैहर, पचमढ़ी, मॉडू चित्रकूट, मंडलेश्वर, दतिया, तथा सॉची नगरों में पॉलीथीन कैरी बैग का उपयोग प्रतिबंधित करने की दृष्टि से संबंधित खरगौन, अनूपपुर, सतना, उज्जैन, दतिया, खंडवा, टीकमगढ़, होशंगाबाद, रायसेन, एवं धार जिला कलेक्टरों द्वारा पॉलीथीन कैरी बैग उपयोग के संबंध में निषेधात्मक आदेश प्रसारित किये गये हैं।

बोर्ड द्वारा वर्ष 2009–10 से प्लास्टिक कचरे का सीमेंट विलन में कोयले के साथ सहदहन की व्यवस्था की गई है, वर्तमान में 7 सीमेंट उद्योगों में यह व्यवस्था है, एवं वर्ष 2015–16 के दौरान लगभग 7861.93 मीट्रिक टन प्लास्टिक एवं अभी तक कुल 19449.217 मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरे का सीमेंट विलन में सहदहन किया जा चुका है।

ई-वेस्ट प्रबंधन

ई-वेस्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2011, मई 2012 से प्रभावशील है। नियमों में ई-वेस्ट के प्रबंधन संबंधी प्रावधानों को लागू करने में मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की विभिन्न जिम्मेदारियां हैं। जिसमें कलेक्शन सेंटर, डिस्मेंटलर्स, रिसाईक्लार्स को प्राधिकार / पंजीयन दिये जाने के साथ – साथ प्रदेश में ई-वेस्ट इंवेटराईजेशन का कार्य भी शामिल है। प्रदेश में अभी तक 15 कलेक्शन सेंटर, 03 डिस्मेंटलर्स एवं 01 रिसाईक्लार्स स्थापित होकर कार्यरत हैं।

बोर्ड द्वारा मध्य प्रदेश के समस्त 10 संभाग में ई-वेस्ट इंवेटराईजेशन का कार्य संपादित कराया गया। जिसका प्रतिवेदन मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग को भी भेजा गया है। ई-वेस्ट संबंधी विभिन्न जानकारी बोर्ड कार्यालयीन वेब-साईट www.mppcb.nic.in पर उपलब्ध है।

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन :—

भारत सरकार द्वारा नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम 2000 बनाये गये हैं, जिनके तहत धारा-4, (1) में नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन एवं निपटान करने का दायित्व नगरीय निकाय एवं नियमों के संपूर्ण कियान्वयन करने की जिम्मेदारी धारा (5) के अंतर्गत संबंधित जिला कलेक्टर की है तथा नियम 6 में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दायित्व उल्लेखित है उक्त नियम पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत है। घरेलू कचरे का पृथक्करण, संग्रहण तथा व्यवरिथत अपवहन हेतु आवश्यक कार्यवाही नियम में दिये प्रावधान अनुसार संबंधित नगरीय निकाय को करनी है।

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का दायित्व घरेलू अपशिष्ट का डिस्पोजल स्थल के आस-पास जल एवं वायु गुणवत्ता मापन तथा कम्पोस्ट गुणवत्ता मापन का है। भूमि — भरण स्थल पर कार्य समापन पश्चात मॉनिटरिंग करना है। नगरीय निकायों को बोर्ड से प्राधिकार प्राप्त करने तथा बोर्ड को वार्षिक प्रतिवेदन भेजने का दायित्व है। मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का दायित्व प्राप्त वार्षिक प्रतिवेदन को एकजार्इ रूप में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजना है।

प्रदेश में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की वर्तमान स्थिति :—

प्रदेश में 15 नगर पालिका निगम, 361 नगर पालिका परिषद / नगर परिषद एवं 05 छावनी परिषद कुल 381 नगरीय निकाय संस्थान हैं। 05 छावनी परिषद नगरीय प्रशासन विभाग में समाहित नहीं है। 376 नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद / नगर परिषद की कुल जनसंख्या 20390746 है। जिससे प्रतिदिन 6678 मैट्रिक टन / नगरीय ठोस अपशिष्ट का निस्सारण होता है।

बोर्ड द्वारा प्रमुख रूप से नियमों के पालन हेतु निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :—

1. बोर्ड मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से नगरीय निकायों/स्थानीय नागरिकों को जागरूक करने हेतु पर्याप्त संख्या में सेमीनार/वर्कशॉप/संगोष्ठी/रैली आदि कार्यक्रम समय-समय पर आयोजित किये गये हैं, इसके अतिरिक्त समस्त क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा नगरीय निकायों में जाकर नियमों के पालन के परिप्रेक्ष्य में संबंधित नगर पालिका अधिकारी/स्वास्थ्य अधिकारी/सफाई अधिकारी से चर्चा की गई तथा उन्हें समझाई दी गयी।
2. नियमों के प्रभावी कियान्वयन कराने हेतु समय-समय पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राप्त मार्गदर्शन संबंधित निकायों को भेजे गये तथा नियमों के पालन बावत् पत्र/निर्देश/समझाइश जारी किये गये हैं।
3. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-5 के अंतर्गत नगरीय निकायों को निर्देश दिये गये हैं तथा निकायों से पालन प्रतिवेदन/योजना मांगी गयी है। मध्य प्रदेश शासन को भी सूचित किया गया है।

6. पर्यावरणीय अनुसंधान

पर्यावरण के क्षेत्र में सतत रूप से अनुसंधान का बहुत महत्व है। उद्योगों के निस्त्रावों एवं उत्सर्जनों पर नियंत्रण तथा उपचार हेतु नई—नई प्रणालियाँ विकसित होती जा रही हैं। इन प्रणालियों की प्रदेश की जल, वायु एवं भौगोलिक परिस्थितियों के परिपेक्ष्य में उपादेयता परखकर उसे प्रचलित करने के उद्देश्य से मुख्यालय में विभिन्न आधुनिक उपकरणों से सुरक्षित अनुसंधान केन्द्र कार्यरत है। विचाराधीन वर्ष में केन्द्रीय प्रयोगशाला में निम्नलिखित परियोजनाओं पर कार्य किया गया—

1. भोपाल शहर के संवेदनशील क्षेत्रों की पर्यावरणीय वस्तु स्थिति में एयरोसोल प्रदूषण का अध्ययन:-

वायु में निलम्बित कणों का मुख्य स्रोत शहरी विकास है, जिसके अंतर्गत वाहन, रेल यातायात, उद्योग एवं व्यवसाय इत्यादि सम्मिलित हैं। मनुष्य तथा प्राकृतिक वातावरण पर वायु प्रदूषण का बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है चूंकि वायु प्रदूषण विशेषतः एयरोसोल एक वैशिष्टक समस्या है।।

संवेदनशील क्षेत्रों की श्रेणी में स्कूल, चिकित्सालय, मॉल, एयरपोर्ट इत्यादि आते हैं जिनकी वृद्धि विगत 10 वर्षों में आवासीय क्षेत्रों में हुई है। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य भोपाल शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में कणीय प्रदूषण (विशेषतः पीएम 10 तथा पीएम 2.5) तथा एयर टॉकिस्क के आधारभूत आंकड़े एकत्रित करना है जिसमें चिकित्सालय, स्कूल, मॉल एवं एयरपोर्ट सम्मिलित हैं।

भोपाल शहर के संवेदनशील क्षेत्रों से प्राप्त किये गये निलम्बित कण प्रदूषण (पीएम10 तथा पीएम 2.5) के आधारभूत आंकड़े तथा एयरटॉकिस्क स्तर, भविष्य में वायु प्रदूषण संबंधित उच्च स्तरीय अध्ययन के लिए उपयोगी होगा। अतः बोर्ड द्वारा मध्यप्रदेश के भोपाल शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में एयरोसोल प्रदूषण का प्रारंभिक निरीक्षण का कार्य किया गया।

2. भोपाल एंव इंदौर शहर के नगरीय ठोस अपशिष्ट पदार्थों के भूमि-भराव क्षेत्रों का पर्यावरणीय अध्ययन:-

औद्योगिकरण व शहरी विकास के कारण शहरों के आसपास नगरीय ठोस अपशिष्ट की वृद्धि हुई है। भारत में परम्परागत रूप से नगरीय ठोस अपशिष्ट का निष्पादन भूमि-भराव कर किया जाता है। जिसमें से कुछ अपशिष्ट पदार्थ सेहत के लिए हानिकारक व पर्यावरण प्रदूषक कारक होते हैं।

केन्द्रीय प्रयोगशाला मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल द्वारा भोपाल एंव इंदौर शहर के नगरीय ठोस अपशिष्ट भूमि-भराव क्षेत्रों से विभिन्न पर्यावरणीय घटकों (वायु, जल, मृदा) में होने वाले प्रदूषण का आंकलन किया गया।

3. नर्मदा नदी जैव निरीक्षण:-

म0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा, नर्मदा नदी जैव निरीक्षण' परियोजना का कार्य संपादित किया जा रहा है, इस कार्य के तहत नर्मदा नदी के उद्गम स्थल अमरकंटक से लेकर म. प्र. की अन्तिम सीमा बड़वानी (कोटेश्वर) तक कुल 30 बिंदुओं पर अक्षेत्रकी जीवों द्वारा जल की गुणवत्ता की जॉच संबंधित अध्ययन कार्य किया गया। अध्ययन से यह ज्ञात हुआ है कि नर्मदा नदी के जल की गुणवत्ता उक्त स्थानों पर वर्ग ए से वर्ग सी स्तर की प्राप्त हुई है।

Accreditation

Central Lab is enlisted vide Gazette Notification dated 8/02/2008 under Water [Pollution Control & Prevention] Act, 1974 under section 16[3]. Since its inception, the lab has obtained following accreditation:

- Environmental Protection Act [1986]
- NABL- ISO/ IEC 17025:2005 [International Quality System] in the year 2011 [for water and waste water].
- OHSAS 18001:2007 - [Occupational Health and Safety Assessment Series] Certification in the year 2013 for occupation health & Safety of the laboratory personnel.

Central lab is among very few laboratory within all State Pollution Control Board's Laboratory having the NABL - ISO/IEC 17025:2005 quality management certification including OHSAS 18001:2007 Certification and recognition under EPAct 1986.

उद्देश्य

7. पर्यावरणीय प्रशिक्षण

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 17 (1) (ड) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 17 (1) (घ) के अन्तर्गत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यों में प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण कार्य है। पता लगाये गये लक्ष्य समूहों के लिये प्रदूषण के निवारण, रोकथाम एवं नियंत्रण जैसे विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण आवश्यक है।

प्रशिक्षण की आवश्यकता:

बोर्ड में निम्नलिखित क्षेत्र में प्रशिक्षण की आवश्यकता प्रमुखता से है, ताकि बोर्ड में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को सहमति प्रबंध तथा बहिसाव व उत्सर्जन मानकों के कियान्वयन इत्यादि को सरलता व कुशलतापूर्वक संपादन हेतु तैयार किया जाये।

- ◆ वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों और बहिसाव शोधन इकाईयों/उपकरणों का प्रचालन एवं अनुरक्षण।
- ◆ पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं के प्रबंध, प्रचालन और अनुरक्षण।
- ◆ जल एवं वायु गुणवत्ता प्रबोधन पद्धति।
- ◆ प्रयोगशाला विश्लेषणात्मक पद्धति, गुणवत्ता सुनिश्चितता एवं विश्लेषणात्मक गुणवत्ता नियंत्रण।
- ◆ सहमति पत्र प्रबंध और मानकों का निर्धारण।
- ◆ पर्यावरणीय परीक्षण, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा पर्यावरणीय प्रबंध पद्धति।
- ◆ खतरनाक अपशिष्ट का प्रबंधन, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन, आंकड़ों का विश्लेषण और कानूनी पहलुओं जैसे विशिष्ट विषयों में प्रशिक्षण।

उक्त के परिपेक्ष्य में बोर्ड के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु समय—समय पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। अन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रशिक्षण/कार्यशाला आदि में भी उन्हें भेजा जाता है। बोर्ड में अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं छात्रों को भी समय—समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा अन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित संगोष्ठी प्रशिक्षण आदि में नामित बोर्ड के अधिकारी एवं कर्मचारियों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	विषय	आयोजक	स्थान	दिनांक	प्रतिभागी
1.	Conference of the Environment and Forest Ministers of states	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली	विज्ञान भवन नई दिल्ली	06 एवं 07 अप्रैल 2015	1. डॉ. एन.पी. शुक्ला अध्यक्ष म. प्र.प्र.नि.यो. भोपाल. 2. श्री ए.ए.मिश्रा सदस्य सचिव
2.	One day Workshop on Environment Impact assessment Challenges in India & way forward	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली	विज्ञान भवन नई दिल्ली	25 अप्रैल 2015	1. श्री ए.ए.मिश्रा सदस्य सचिव म.प्र.प्र.नि.यो. भोपाल 2. अभय कुमार साक्षीना, मु.रसा.म.प्र.प्र.नि.यो. भोपाल
3.	Consultation meeting on Draft Waste Management Rules, 2015	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली	विज्ञान भवन नई दिल्ली	01 मई 2015	1. ए.ए.मिश्रा स.सचिव म.प्र.प्र.नि.यो. भोपाल

4.	15 RP-13-GE-WSP-B: Workshop on Development of Ecocities from 23-26 June 2015 Taipei, Taiwan.	राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्, नई दिल्ली	ताईवान	23 से 26 जून 2015	1. श्री वी.के. अहिरवार अधि. यंजी. म.प्र.प्र.नि.वो. भोपाल
5.	Training Programme 15-IN- 34-GE-TRC-A Training of Trainers and Consultants in Green Productivity	राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्, नई दिल्ली	ताईवान	06 से 24 जुलाई 2015	श्री सुनील श्रीवास्तव वैज्ञा. थो.का. म.प्र. प्र. नि.वोर्क इन्वेर
6.	Training for air quality management plan	Central for Science Environmental New Delhi	नई दिल्ली	20 से 31 जुलाई 2015	1. श्री संजय राजभूष रसा. के.प्र. म.प्र.प्र.नि. वो. भोपाल 2. श्री ए.यू. वेग क. वैज्ञा. म.प्र.प्र.नि.वो. भोपाल
7.	Training Programme 15-IN- 33-GE-TRC-A Training Course on Management Consultancy on Green Productivity	राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्, नई दिल्ली	नेही कीजी	27 जुलाई से 05 अगस्त 2015	1. एन.पी. शुभला अव्यक्ति.म.प्र. प्र.नि.वोर्ड भोपाल
8.	Demonstration of Software under development in	केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण वोर्क प्रयोगिक एवं वन मंत्रालय (भारत सरकार) नई दिल्ली	नई दिल्ली	28 जुलाई 2015	श्री राजेन्द्र चतुर्वेदी वैज्ञा. म.प्र.प्र.नि.वोर्क भोपाल
9.	Conference on 'sustainable urban Habitat'	योजना एवं वास्तुकला विद्यालय भोपाल म.प्र. भोपाल	भोपाल म.प्र.	08 अगस्त 2015	1. श्री आदेश श्रीवास्तव कार्य.यंजी. म.प्र. प्र.नि. वो. भोपाल 2. श्री हर्षकर्ण उक्तर वैज्ञा. म.प्र.प्र.नि.वो. भोपाल
10.	Training-cum-Workshop on "Appropriate Decentralized Wastewater Treatment for Housing Complex, Townships – A NaWaTech . Experience	सी.एस.आई.आर राष्ट्रीय पर्यावरण अनियात्रिकी अनुसंधान संरचना, नागपुर	नागपुर	17 से 20 अगस्त 2015	1. श्री आर.के. गुप्ता दो.अधि. म.प्र. प्र.नि.वो. इन्वेर 2. श्री बृजेश रामा सहा.यंजी. म.प्र.प्र.नि. वो. भोपाल 3. श्री के.पी. सोनी. सहा.यंजी. थो.का. म.प्र. प्र.नि.वो.उज्ज्वल 4. श्री आर.आर. सेंगर कार्य.यंजी. थो.का.. भोपाल
11.	Training Programme on Environment Management & Minimization organized by NPC New Delhi and mppcb bhopal	राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् एवं म.प्र. प्रदूषण नियन्त्रण वोर्क भोपाल	होटल पलाश भोपाल	18 से 20 अगस्त 2015	वोर्क के अधि. एवं कर्मचारी एवं उद्योगी के प्रतिनिधि
12.	Nomination of Technical Expert for CIIS Initiatives on Increasing AFR Usage in Cement Industry "Expert Group Meeting"	कफेलरेशन ऑफ इंडिया इण्डस्ट्री हैदराबाद	हैदराबाद	31 एवं 01 सितम्बर 2015	1. डॉ. पी.एस. बुन्देला थो.का. म.प्र.प्र.नि.वो. भोपाल
13.	Metrology and Traceability in Chemical Testing Uncertainty Measurement and Proficiency Testing in Air Quality Measurement"	केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण वोर्क. नई दिल्ली	नई दिल्ली	सितम्बर का दूसरा सप्ताह 2015	1. पी.के. श्रीवास्तव वैज्ञा. म.प्र.प्र.नि.वो. भोपाल 2. राजेन्द्र चतुर्वेदी वैज्ञा. म.प्र.प्र.नि.वो. भोपाल
14.	Training for compliance monitoring and Enforcement	Central for Science Environmental, New Delhi	नई दिल्ली	01 से 18 सितम्बर 2015	1. श्री वी.के. श्रीवास्तव रसायनका थो.का.सामग्र 2. श्री चन्द्रशेखर पटेल रसा. म.प्र.प्र.नि. वो. सतना

15.	Training Programme on Monitoring Techniques of Organic Pollutants (PA H and VOC)	राष्ट्रीय भूगोलिकीय अनुसंधान संस्थान वैशालिक तथा औद्योगिक अनु परिषद, हैदराबाद	हैदराबाद	07 से 09 अक्टूबर 2015	1. डॉ. सच्चा मोखले वैज्ञा. केन्द्रीय प्रयोगशाला म.प्र.प्र.नि.वो. भोपाल 2. डॉ. दीपक चले वैज्ञा. म.प्र.प्र.नि.वो. उज्जैन
16.	Training Programme on E-Waste Management	International Institute of Waste Management, Bhopal	भोपाल	30 एवं 31 अक्टूबर 2015	1. श्री कान्ति धीधरी अधियंत्री क्षे.का.म.प्र.प्र.नि.वो. इन्दौर 2. श्री मुकेश श्रीवारसत राहा. यंत्री क्षे.का. म.प्र.प्र.नि.वो. उज्जैन
17.	Environmental Aspects of Water Resources Projects	National Water Academy, Pune	पुणे	16 से 20 नवम्बर 2015	1. मनोज जैन कै.मु.म.प्र.प्र.नि.वो. भोपाल
18.	Global Warming & Climate Change	Environmental Planning & Coordination Organization, Bhopal	अररा. कॉलोनी भोपाल	21 से 22 नवम्बर 2015	1. श्री ए.ए. मिश्रा सदर्य सचिव म.प्र.प्र.नि.वो. भोपाल 2. श्री पी.एस. बुचेला क्षे.का. म.प्र.प्र.नि.वो. भोपाल 3. डॉ. चुनील सुपाकरण वैज्ञा. म.प्र.प्र.नि.वो. भोपाल
19.	5 days Residential Training Programme on Vehicular Emission and exhaust monitoring and modeling'	Technical Engineering Research Institute, New Delhi	नई दिल्ली	23 से 27 नवम्बर 2015	1. श्री हर्षवर्धन उपकर वैज्ञा. म.प्र.प्र.नि.वो. भोपाल 2. डॉ. राहुल द्विवेदी वैज्ञा. म.प्र.प्र.नि.वो. सतना
20.	"Recent trends in Environmental Monitoring & Control Strategies"	Indian Institute of Technology, Rurki (U.K.)	रुडकी	26 से 28 नवम्बर 2015	1. श्री आर के. रोहितास राहा. यंत्री. क्षे.का. म.प्र.प्र.वो. गुना 2. श्री एस.एन. पाटिल मुख्य रक्ता. म.प्र.प्र.नि.वो. भोपाल
21.	CPCB sponsored Training Programme on "Source emission monitoring"	भारत हेली इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड प्रदूषण नियंत्रण अनुसंधान, हरिद्वार, उत्तराखण्ड	हरिद्वार	02 से 04 दिसम्बर 2015	1. श्री वृजभोजन पटेल कनि.वैज्ञा. क्षे.का. म.प्र.नि.वो. शहडोल 2. श्री चन्द्रशेखर पटेल कनि.वैज्ञा. म.प्र.प्र.नि.वो. भोपाल
22.	Waste Management	International Institute Waste Management, Bhopal	अररा. कॉलोनी भोपाल	07 से 09 दिसम्बर 2015	1. श्रीमती मीना मिश्रा कनि.वैज्ञा. क्षे.का. म.प्र.प्र.नि.वो. भोपाल 2. श्री रवि भारती कनि.वैज्ञा.क्षे.का. म.प्र.प्र.नि.वो. भोपाल
23.	Training Programme for Environment Regulator Waste management policies issues challenges and way forward	Center for science and Environment, New Delhi	नई दिल्ली	07 से 18 दिसम्बर 2015	1. डॉ. आरती आग्रवाल वैज्ञा. म.प्र.प्र.नि.वो. भोपाल 2. डॉ. तस्तीम रूफी वैज्ञा. क्षे.का.भोपाल

24.	"Source apportionment study and Air Quality Index For capacity building of SPCB officials for preparation of Air Quality Index plans for Non-Attainment cities for overall improvement of Ambient air quality Index" regarding.	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल	भोपाल	21 दिसम्बर 2015	1. डॉ. रोता कारों मु. वि.अधि. स.प्र.प्र.नि.वो. भोपाल 2. डॉ. श्यामानुज तिवारी मुख्य रसा. न. प्र.प्र.नि.वो. भोपाल 3.डॉ. राजश्री शुक्ला वैज्ञा. म.प्र.प्र.नि.वो. भोपाल क्षे.अधि./प्रयोगशाल भोपाल उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर,इन्दौर, रायगढ़,सांगानी, देवदास,नामगढ़ा,
25.	Training Programme on Waste minimization in Auto mobile & Pharma Industries	मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल	इन्दौर	06 से 08 जनवरी 2016	1. श्री अमर रायक अमी.संजी. म.प्र.प्र.नि.वो. भोपाल 2. श्री ली.एस. साय अमी.संजी. म.प्र.प्र.नि.वो. भोपाल
26.	Training Programme water quality management plan	Central for Science Environmental, New Delhi	नई दिल्ली	18 से 22 जनवरी 2016	1. श्री गौ.एस. गाहरवार कनिवै.क्षे.का. म.प्र.प्र. नि.वो. जबलपुर 2. श्री आर.के. मासताकर क्षे.कार्या. भोपाल
27.	Training Programme on Environmental data interpretation, Compilation, analysis, presentation and reporting	INDIAN STATISTICAL INSTITUTE, New Delhi	नई दिल्ली	01 से 06 फरवरी 2016	1. श्रीमति. ऊजा बाधम कनिवै.म.प्र.प्र.नि.वो. भोपाल 2. श्रीमति. प्रेमलता सोंगारा क.वै. म.प्र.प्र. नि.वो. इन्दौर
28.	Training programme on "Compliance, Monitoring and Enforcement" for State pollution control office	Central for Science Environmental, New Delhi	नई दिल्ली	01 से 19 फरवरी 2016	1. श्री संजय झोड़ प्र.यो.परिचायक का.क्षे.म. प्र.प्र.नि.वो. ग्वालियर 2. श्रीमति. आरा कुमारी प्र.यो.परिचायक का.क्षे. म.प्र.प्र.नि.वोर्ड छिन्दवाडा 3. श्री के.वी. शर्मा प्र.यो.परिचायक.क्षे.का. म.प्र.प्र.नि.वो. गुना
29.	Training Programme on "Roadmap for Brick Kiln Sector, Challenges and Opportunities"	Central for Science Environmental, New Delhi	नई दिल्ली	08 फरवरी 2016	1. श्री आलीक जैन अधि. यंत्री. म.प्र. प्र.नि.वो. ग्वालियर
30.	CPCB sponsored Training Programme on "Ambient air and Stack Monitoring techniques"	INDIAN INSTITUDTE OF TOXICOLOGY RESEARCH, Lucknow	लखनऊ	15 से 17 फरवरी 2016	1. श्री राजनोड गान्ड वैज्ञा. क्षे.का. म.प्र.प्र.नि.वो. इन्दौर 2. श्री एस.एस. चौहान कनि. वैज्ञा. क्षे.का. म.प्र.प्र.नि.वो. इन्दौर

उद्देश्य

7. पर्यावरणीय प्रशिक्षण

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 17 (1) (ड) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 17 (1) (घ) के अन्तर्गत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यों में प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण कार्य है। पता लगाये गये लक्ष्य समूहों के लिये प्रदूषण के निवारण, रोकथाम एवं नियंत्रण जैसे विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षण आवश्यक है।

प्रशिक्षण की आवश्यकता:

बोर्ड में निम्नलिखित क्षेत्र में प्रशिक्षण की आवश्यकता प्रमुखता से है, ताकि बोर्ड में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को सहमति प्रबंध तथा बहिस्नाव व उत्सर्जन मानकों के क्रियान्वयन इत्यादि को सरलता व कुशलतापूर्वक संपादन हेतु तैयार किया जाये।

- ◆ वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों और बहिस्नाव शोधन इकाईयों/उपकरणों का प्रचालन एवं अनुरक्षण।
- ◆ पर्यावरणीय प्रयोगशालाओं के प्रबंध, प्रचालन और अनुरक्षण।
- ◆ जल एवं वायु गुणवत्ता प्रबोधन पद्धति।
- ◆ प्रयोगशाला विश्लेषणात्मक पद्धति, गुणवत्ता सुनिश्चितता एवं विश्लेषणात्मक गुणवत्ता नियंत्रण।
- ◆ सहमति पत्र प्रबंध और मानकों का निर्धारण।
- ◆ पर्यावरणीय परीक्षण, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा पर्यावरणीय प्रबंध पद्धति।
- ◆ खतरनाक अपशिष्ट का प्रबंधन, जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन, आंकड़ों का विश्लेषण और कानूनी पहलुओं जैसे विशिष्ट विषयों में प्रशिक्षण।

उक्त के परिपेक्ष्य में बोर्ड के अधिकारियों/कर्मचारियों हेतु समय—समय पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। अन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित प्रशिक्षण/कार्यशाला आदि में भी उन्हें भेजा जाता है। बोर्ड में अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं छात्रों को भी समय—समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा अन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित संगोष्ठी प्रशिक्षण आदि में नामित बोर्ड के अधिकारी एवं कर्मचारियों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रं.	विषय	आयोजक	स्थान	दिनांक	प्रतिभागी
1.	Conference of the Environment and Forest Ministers of states	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली	विज्ञान भवन नई दिल्ली	06 एवं 07 अप्रैल 2015	1. डॉ. एन.पी. शुक्ला अध्यक्ष म. प्र.प्र.नि.यो. भोपाल. 2. श्री ए.ए.मिश्रा सदस्य राजिव
2.	One day Workshop on Environment Impact assessment Challenges in India & way forward	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली	विज्ञान भवन नई दिल्ली	25 अप्रैल 2015	1. श्री ए.ए.मिश्रा सदस्य सचिव म.प्र.प्र. नियंत्रण बोर्ड भोपाल 2. अमय कुमार सक्सेना, मु. रसा, म. प्र.प्र.नि.यो. भोपाल
3.	Consultation meeting on Draft Waste Management Rules, 2015	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली	विज्ञान भवन नई दिल्ली	01 मई 2015	1. ए.ए.मिश्रा स.सचिव म.प्र.प्र.नि.यो. भोपाल

4.	15 RP-13-GE-WSP-B: Workshop on Development of Ecocities from 23-26 June 2015 Taipei, Taiwan.	राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्, नई दिल्ली	ताईवान	23 से 26 जून 2015	1. श्री कौशिक, अहिरवार अधि. यंत्री, म.प्र.प्र.नि.वो. भोपाल
5.	Training Programme 15-IN-34-GE-TRC-A Training of Trainers and Consultants in Green Productivity	राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्, नई दिल्ली	ताईवान	06 से 24 जुलाई 2015	श्री सुनील श्रीवास्तव वैज्ञा. थो.का. म.प्र.प्र.नि.वो. इन्डॉर
6.	Training for air quality management plan	Central for Science Environmental New Delhi	नई दिल्ली	20 से 31 जुलाई 2015	1. श्री सजय राजपूत रसा. को.प्र. म.प्र.प्र.नि.वो. भोपाल 2. श्री ए.यू. बैग क. वैज्ञा. म.प्र.प्र.नि.वो. भोपाल
7.	Training Programme 15-IN-33-GE-TRC-A Training Course on Management Consultancy on Green Productivity	राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्, नई दिल्ली	नेही कीजी	27 जुलाई से 05 अगस्त 2015	1. एन.पी. शुक्ला अव्याख. म.प्र. प्र.नि.वो. भोपाल
8.	Demonstration of Software under development in ----	केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड पर्यावरण एवं बन संचालय (भारत सरकार) नई दिल्ली	नई दिल्ली	28 जुलाई 2015	श्री राजेन्द्र चतुर्वेदी वैज्ञा. म.प्र.प्र.नि.वो. भोपाल
9.	Conference on 'sustainable urban Habitat'	योजना एवं वास्तुकला विद्यालय भोपाल, म.प्र., भोपाल	भोपाल म.प्र.	08 अगस्त 2015	1. श्री आदेश श्रीवास्तव कार्य.यंत्री म.प्र. प्र.नि.वो. भोपाल 2. श्री हर्षवर्ण उपकर वैज्ञा. म.प्र.प्र.नि.वो. भोपाल
10.	Training-cum-Workshop on "Appropriate Decentralized Wastewater Treatment for Housing Complex, Townships – A NaWaTech . Experience	सी.एस.आई.आर राष्ट्रीय पर्यावरण अभियानिकी अनुसंधान संस्थान, नागपुर	नागपुर	17 से 20 अगस्त 2015	1. श्री आर के. गुप्ता थो.अधि. म.प्र. प्र.नि.वो. इन्डॉर 2. श्री वृजेश शमां लाल.यंत्री म.प्र.प्र.नि.वो. भोपाल 3. श्री के.पी. सोनी. सहा.यंत्री. थो.का. म.प्र. प्र.नि.वो.उज्ज्वेन 4. श्री आरआर. सेंगर कार्य.यंत्री. थो.का. भोपाल
11.	Training Programme on Environment Management & Minimization organized by NPC New Delhi and mppcb bhopal	राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् एवं म.प्र. प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, भोपाल	होटल पलाश भोपाल	18 से 20 अगस्त 2015	बोर्ड के अधि. एवं कर्मचारी एवं उद्योगो के प्रतिनिधि
12.	Nomination of Technical Expert for CIIS Initiatives on Increasing AFR Usage in Cement Industry "Expert Group Meeting"	कम्पनेडरेशन ऑफ इंडिया इण्डस्ट्री हैंदरावाद	हैंदरावाद	31 एवं 01 सितम्बर 2015	1. डॉ. पी.एस. बुन्देला थो.का. म.प्र.प्र.नि.वो. भोपाल
13.	Metrology and Traceability in Chemical Testing Uncertainty Measurement and Proficiency Testing in Air Quality Measurement"	केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, नई दिल्ली	नई दिल्ली	सितम्बर का दूसरा राष्ट्राध 2015	1. श्री.के. श्रीवास्तव वैज्ञा. म.प्र.प्र.नि.वो. भोपाल 2. राजेन्द्र चतुर्वेदी वैज्ञा. म.प्र.प्र.नि.वो. भोपाल
14.	Training for compliance monitoring and Enforcement	Central for Science Environmental, New Delhi	नई दिल्ली	01 से 18 सितम्बर 2015	1. श्री कौशिक, श्रीवास्तव रसायनकार से.का.सागर 2. श्री बन्द्रेश्वर पटेल रसा. म.प्र.प्र.नि.वो. सतना


15.	Training Programme on Monitoring Techniques of Organic Pollutants (PA H and VOC)	राष्ट्रीय भूगोलिकीय अनुसंधान संस्थान वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनु. परिषद, हैदराबाद	हैदराबाद	07 से 09 अक्टूबर 2015	1. डॉ. संचया मोखले वैज्ञा. केन्द्रीय प्रयोगशाला म.प्र.प्र.नि. वा. भोपाल 2. डॉ. दीपक काले वैज्ञा. म.प्र.प्र.नि.वा. उज्जैन
16.	Training Programme on E-Waste Management	International Institute of Waste Management, Bhopal	भोपाल	30 एवं 31 अक्टूबर 2015	1. श्री कान्ति चौधरी अधि. यंत्री थे.का.म.प्र.प्र.नि.वा. इन्डोर 2. श्री मुकेश श्रीजारस्तव सहा. यंत्री थे.का. म.प्र.प्र.नि.वा. उज्जैन
17.	Environmental Aspects of Water Resources Projects	National Water Academy, Pune	पुणे	16 से 20 नवम्बर 2015	1. मनोज जैन क.वै.मु. म.प्र.प्र.नि.वा. भोपाल
18.	Global Warming & Climate Change	Environmental Planning & Coordination Organization, Bhopal	अरेसा कॉलोनी भोपाल	21 से 22 नवम्बर 2015	1. श्री ए.ए. मिश्रा सादर्य संचिव म.प्र.प्र.नि.वा. भोपाल 2. श्री पी.एस. बुन्देला थे.का. म.प्र.प्र.नि.वा. भोपाल 3. डॉ. सुनील सुधाकरण वैज्ञा. म.प्र.प्र.नि.वा. भोपाल
19.	5 days Residential Training Programme on 'Vehicular Emission and exhaust monitoring and modeling'	Technical Engineering Research Institute, New Delhi	नई दिल्ली	23 से 27 नवम्बर 2015	1. श्री हर्षवर्ण उडकर वैज्ञा. म.प्र.प्र.नि.वा. भोपाल 2. डॉ. राधुल हिंदेवी वैज्ञा. म.प्र.प्र.नि.वा. सतना
20.	"Recent trends in Environmental Monitoring & Control Strategies"	Indian Institute of Technology, Rurki (U.K.)	रुडकी	26 से 28 नवम्बर 2015	1. श्री आर.के. रोहितास सहा. यंत्री. थे.का. म.प्र.प्र.वा. मुमा 2. श्री एस.एन. पाटिल मुख्य रक्ता. म.प्र.प्र.नि.वा. भोपाल
21.	CPCB sponsored Training Programme on "Source emission monitoring"	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड प्रदूषण नियंत्रण अनुसंधान, हरिद्वार, उत्तराखण्ड	हरिद्वार	02 से 04 दिसम्बर 2015	1. श्री वृजमोहन पटेल कनि.वैज्ञा. थे.का. म.प्र.प्र.नि.वा. शहडोल 2. श्री चन्द्रशेखर पटेल कनि.वैज्ञा. म.प्र.प्र.नि.वा. भोपाल
22.	Waste Management	International Institute Waste Management, Bhopal	अरेसा कॉलोनी भोपाल	07 से 09 दिसम्बर 2015	1. श्रीमती. मीना मिश्रा कनि.वैज्ञा. म.प्र.प्र.नि.वा. भोपाल 2. श्री रघु भारती कनि.वैज्ञा.का. म.प्र.प्र.नि.वा. भोपाल
23.	Training Programme for Environment Regulator Waste management policies issues challenges and way forward	Center for science and Environment, New Delhi	नई दिल्ली	07 से 18 दिसम्बर 2015	1. डॉ. आरती आग्रवाल वैज्ञा. म.प्र.प्र.नि.वा. भोपाल 2. डॉ. तसीम रूफी वैज्ञा. का.भोपाल

24.	"Source apportionment study and Air Quality Index For capacity building of SPCB officials for preparation of Air Quality Index plans for Non-Attainment cities for overall improvement of Ambient air quality Index" regarding.	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल	भोपाल	21 दिसम्बर 2015	1. डॉ. रीता कोरी मुंगे, अधि.म.प्र.नि.बो. भोपाल 2. डॉ. स्वामीनाथ तिवारी मुख्य रसा. म.प्र.प्र.नि.बो. भोपाल 3.डॉ. राजश्री शुक्ला वैज्ञ. म.प्र.प्र.नि.बो. भोपाल वै.अधि. / प्रयोग्य प्रभारी भोपाल उच्चायर, ग्यालियर, जबलपुर, इन्दौर, सांगर, रातना, देवरा, नागदा,
25.	Training Programme on Waste minimization in Automobile & Pharma Industries	मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल	इन्दौर	06 से 08 जनवरी 2016	1. श्री अमय सराफ अधी.यंत्री म.प्र.प्र.नि.बो. भोपाल 2. श्री छोपाल साय अधी.यंत्री म.प्र.प्र.नि.बो. भोपाल
26.	Training Programme water quality management plan	Central for Science Environmental, New Delhi	नई दिल्ली	18 से 22 जनवरी 2016	1. श्री वी.एस. गाहरवार कल्पि.वै.का. म.प्र.प्र.नि.बो. जबलपुर 2. श्री आर.के. मासतकर है.कार्या. भोपाल
27.	Training Programme on Environmental data interpretation, Compilation, analysis, presentation and reporting	INDIAN STATISTICAL INSTITUTE, New Delhi	नई दिल्ली	01 से 06 फरवरी 2016	1. श्रीगति ऊपा याथम कल्पि.वै.का. म.प्र.प्र.नि.बो. भोपाल 2. श्रीगति आशा कुमारी प्र.यो.परिचायक का.क्षे. म.प्र.प्र.नि.बोर्ड छिन्दपाड़ा
28.	Training programme on "Compliance, Monitoring and Enforcement" for State pollution control office	Central for Science Environmental, New Delhi	नई दिल्ली	01 से 19 फरवरी 2016	1. श्री संजय झोड़ प्र.यो.परिचायक का.क्षे.म.प्र.प्र.नि.बो. ग्यालियर 2. श्रीगति आशा कुमारी प्र.यो.परिचायक का.क्षे. म.प्र.प्र.नि.बोर्ड छिन्दपाड़ा 3. श्री के.वी. शर्मा प्र.यो.परिचायक का.क्षे. का. म.प्र.प्र.नि.बो. गुरुग्राम
29.	Training Programme on "Roadmap for Brick Kiln Sector. Challenges and Opportunities"	Central for Science Environmental, New Delhi	नई दिल्ली	08 फरवरी 2016	1. श्री आलीक जेन अधि.यंत्री म.प्र.प्र.नि.बो. ग्यालियर
30.	CPCB sponsored Training Programme on "Ambient air and Stack Monitoring techniques"	INDIAN INSTITUDTE OF TOXICOLOGY RESEARCH, Lucknow	लखनऊ	15 से 17 फरवरी 2016	1. श्री राजमोहन गामड वैज्ञ. से.का. म.प्र.प्र.नि.बो. इन्दौर 2. श्री एस.एस. चौहान कलि. वैज्ञ. से.का. म.प्र.प्र.नि.बो. इन्दौर

31	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम 1977 के तहत राजस्व वर्गीय	मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल	प्रशासन अकादमी भोपाल	29 फरवरी 2016	<ol style="list-style-type: none"> श्री एस. पण्डिया वैज्ञानिक मुख्यालय भोपाल श्री ऋविशराज सेंगर कार्य. यंत्री. हे. कर. भोपाल श्रीमति संगीता आर. दानी मु. रसा. हे. कार्या. भोपाल डॉ. अरुण कुमार श्रीवारत्मय मु. रसा. हे. कार्या. सिंगरीयी डॉ. अभिनाश चन्द्र करेरा मु. रसा. हे. कर. कार्या. भोपाल श्री लक्ष्मी नारायण माहोर अनु. अधि. मु. कार्या. भोपाल श्री विष्णु किशोर वधेल वैज्ञा. म.प्र. प्र. नि.वो. जबलपुर श्री संजीव चावलेना क वैज्ञा. हे. कार्या. म.प्र. प्र.नि.वो. भोपाल डॉ. आनन्द किशोर दुर्वे वैज्ञा. हे. कार्या. प्र.नि.वो. शहडोल श्री संजय वर्मा सहा. यंत्री हे. कार्या. प्र.नि.वो. कटनी डॉ. सुनील तिवारी वैज्ञानिक हे. कार्या. म.प्र. प्र.नि.वो. डॉ. एस. के. खरे वैज्ञा. हे. कार्या. म.प्र. प्र.नि.वो. जबलपुर श्री संजीव कुमार महेश जयी. यंत्री हे. प्र.नि.वो. उज्जैन डॉ. राजेश जैन मु. रसा. हे. कार्या. प्र.नि.वो. सामग्र श्री हेमन्त कुमार तिवारी हे.कीर्ति अधि. प्र.नि.वो. कटनी श्री कैलाश नारायण कटारे कार्य. यंत्री. हे. कार्या. प्र.नि.वो. छिन्दवाडा श्री अशोक कुमार विसेन कार्य. यंत्री. प्र.नि.वो. इंदौर श्री के.पी. शोनी कार्य. यंत्री हे. कार्या. प्र.नि.वो. इंदौर
32.	International Conference on Environment	International Conference on Global Environmental issue, New Delhi	नई दिल्ली	04 से 06 मार्च 2016	<ol style="list-style-type: none"> श्री ए. मिशा गदवय तांडिया म.प्र. प्र.नि.वो. भोपाल श्री एच.एस. मालवीय अधि. यंत्री म.प्र.प्र.नि.वो. भोपाल श्री सुधीर श्रीवारत्मय विधि अधिकारी म.प्र. प्र.नि.वो. भोपाल श्री सविन के. वर्मा काउसलर म.प्र. शासन मु.ए.इ.डी. भोपाल

33.	Training programme on Environmental management of Renewable Energy projects	Center for science and Environment	भोपाल	14 से 16 मार्च 2016	1. श्री अमय सराफ़ अधी. यंत्री भोपाल 2. श्री दी. के. जैन कार्य. यंत्री भोपाल 3. श्री ए. रसी. गरेसा - मु. रसा. शे. यंत्र. भोपाल 4. श्री मनोज कुमार जैन कानि. वैज्ञा. भोपाल
34	"Urban Transportation and Traffic Management to Control Environmental Pollution of Automotives"	गौलाना आजाद प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल	भोपाल	17 से 19 मार्च 2016	1. श्री अमय सराफ़ अधी. यंत्री मु. भोपाल 2. श्री दी. के. जैन कार्य. यंत्री मु. भोपाल 3. श्री एस.एन. पाटील मु. रसा. शे. कार्या. भोपाल 4. श्री हर्षवर्दन उत्तमर वैज्ञा. मु. भोपाल 5. श्री एन.पी. त्रिपाठी कानि. वैज्ञा. मु. भोपाल
35.	How to conduct departmental Enquiry and various issues related to GAD	मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल	प्रशासन अकादमी भोपाल	30 एवं 31 मार्च 2016	1. श्री पी.एस. बुद्धेला शे. अधी. शे. कार्या. भोपाल 2. श्री एस.एन. कटारे कानि. वैज्ञा. शे. कार्या. इन्हार 3. श्री सुनिल श्रीवास्तव मु. रसा. शे. कार्या. उज्ज्वल 4. श्री एन.पी. सिंह शे. अधी. शे. कार्या. मुना 5. श्री आलोक रिंचड अधी. यंत्री शे. कार्या. घार 6. श्री एस.पी. ज्ञा शे. अधी. शे. कार्या. शहडोल 7. श्री आलोक जैन शे. अधी. शे. कार्या. ग्वालियर 8. श्री ए.के. श्रीवास्तव शे. अधी. शे. कार्या. सिंगरीली 9. श्री आर.एस. परिहार शे. अधी. शे. कार्या. लालना 10. श्री. पी.आर. देव शे. अधी. शे. कार्या. तिलबाड़ा 11. श्री आदेश श्रीवास्तव शे. अधी. शे. कार्या. सागर 12. श्री एस.एन. हिंदेंदी शे. अधी. शे. कार्या. जबलपुर 13. श्री मनोज मठराई अधी. यंत्री मु. भोपाल 14. श्री दी.एस. राय अधी. यंत्री मु. भोपाल 15. श्री संजय यमी राहा. यंत्री. शे. कार्या. कटनी 16. श्री मनोज जैन कानि. वैज्ञा. मु. भोपाल 17. श्री दी.के. अहिरवार मु. अभि. मु. भोपाल 18. श्री एन.एल. पटेल

36.	Training Programme on "Internet Protocol Version 6 (IPv4)"	M.P. State Electronics Development Corporation Ltd., Bhopal	भोपाल	30 एवं 31 मार्च 2016	1. डॉ. राजेन्द्र चतुर्वेदी देशा, मु. भोपाल 2. श्री डॉ.डी. चौरे प्रोग्रामर मु. भोपाल
37.	Training Programme for data management collection and analysis	Center for science and Environment, New Delhi	नई दिल्ली	11 से 15 अप्रैल 2016	1. श्री. वी.एम. पटेल कनिष्ठ, शे.का.मप्रप्र नियो. शहडोल 2. श्री. एस.एन. कटारे कनिष्ठ, का. नप्रप्र नियो. इन्दौर



8. पर्यावरणीय जागरूकता एवं जन-भागीदारी

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 17(1) (ग,ड) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 17(1) (ग,ध) के अन्तर्गत प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन-मानस में जागरूकता एवं जन-भागीदारी की भावना उत्पन्न करना एक महत्वपूर्ण कार्य है।

बोर्ड नियमित रूप से विभिन्न कार्यक्रमों, प्रचार एवं जनशिक्षा के माध्यम से पर्यावरण की वर्तमान स्थिति, उनको हानि पहुँचाने वाले तत्वों तथा पर्यावरण सुधार के लिए वांछित जन अपेक्षाओं पर प्रकाश डालने का प्रयास करता है।

विचाराधीन वर्ष में इस दिशा में किये गये कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :

प्रदर्शनियों में सहभाग :

बोर्ड समय-समय पर राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रदर्शनियों में भाग लेता है। विभिन्न अवसरों पर नुककड़ प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया जाता है। बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा धार्मिक पर्वों के अवसर पर प्रदर्शनीयों आदि लगाई जाती हैं।

18 से 22 फरवरी को बी.एच.ई.एल. दशहरा मैदान में विज्ञान भारती एवं एम.पी. काउन्सिल ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी द्वारा आयोजित भोपाल विज्ञान मेला 2016 में एक विशाल प्रदर्शनी लगाई गई। जिसमें विभिन्न मॉडलों, उपकरणों एवं फोटोग्राफ द्वारा बोर्ड की गतिविधियों प्रदूषण के दुष्प्रभाव एवं किये जा रहे उपायों को प्रदर्शित किया गया।

विश्व पर्यावरण दिवस :

प्रतिवर्ष पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण जन-चेतना हेतु बोर्ड द्वारा विभिन्न जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। विचाराधीन वर्ष में 01 जून से ही पर्यावरण जन-जागरूकता सप्ताह का आयोजन पूरे प्रदेश में किया गया। क्षेत्रीय कार्यालयों में जनजागृति रैली, पॉलीथीन मुक्त शहर हेतु पॉलीथीन का बहिष्कार, वृक्षारोपण आदि कार्य किये गए।

पर्यावरण हितैषी पहल

गणेश उत्सव एवं दुर्गा पूजा उत्सव पर निर्मित प्रतिमाओं में प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ-साथ रासायनिक रंगों का उपयोग होता है जो कि पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली द्वारा मूर्ति विसर्जन से होने वाले प्रदूषण एवं इसके नियंत्रण हेतु जारी दिशा-निर्देशों को मैदानी स्तर पर लागू करने हेतु बोर्ड के समर्त क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वे अपने-अपने क्षेत्रों में प्रतिमाओं के निर्माण व इसके विसर्जन से होने वाले प्रदूषण के प्रति मूर्तिकारों गणेश व दुर्गा उत्सव समितियों के पदाधिकारियों स्थानीय संस्थाओं एवं जन-साधारण में जन-जागरूकता हेतु वृहद स्तर पर कार्यशालाओं एवं जन-जागृति कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

कार्यशालाओं का आयोजन

पर्यावरण प्रदूषण के प्रति जन—जागृति बढ़ाने के उद्देश्य से बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों में विचाराधीन वर्ष में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन, ई—अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन आदि विषयों पर कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण पुरस्कार

पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले उद्योग / खदानों को पर्यावरण पुरस्कार के लिये वर्ष 2013–2014 के राज्य स्तरीय पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित कर दिनांक 05 जून 2015 को वितरण किये गये :—



क्र.	उद्योग श्रेणी	पुरस्कृत संस्था का नाम	पुरस्कार की राशि (₹० में)
1.	अत्यंत प्रदूषणकारी उद्योग	मेसर्स संजय गौड़ी थर्मल पॉवर स्टेशन, म.प्र. पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिलो, बिरसिंहपुर, जिला—उमरिया (म.प्र.)	1,50,000.00
2.	समान्य उद्योग	मेसर्स सेन्चुरी डेनिम, (सेन्चुरी टेक्सटाइल एण्ड इंडस्ट्रीज लिलो), ग्राम व पोस्ट—सतराती, जिला—खरगौन (म.प्र.)	1,00,000.00
3.	उत्खननरत खदानें	1. मेसर्स कंचन ओपन कास्ट माईन, ई.सी.एल, जोहिला एरिया, नौरोजाबाद, जिला—उमरिया (म.प्र.) 2. मेसर्स ए.पी.त्रिवेदी संस, मैगनीज माईन रामरामा, वारसिवनी जिला—बालाघाट (म.प्र.)	प्रत्येक को 50,000.00 + 50,000.00 <u>कुल 1,00,000.00</u>
4.	लघु उद्योग	मेसर्स मैथोडेक्स सिस्टम लिलो, इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर-3, पीथमपुर, जिला—धार (म.प्र.)	1,00,000.00

9. पर्यावरणीय अधिनियमों के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा की गई न्यायालयीन कार्यवाही

विचाराधीन वर्ष में म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से निम्नलिखित उद्योगों/संस्थानों के विरुद्ध विभिन्न न्यायालयों में दायर किये गये प्रकरणों की जानकारी :-

क्र.	उद्योग / संस्थान का नाम	प्रकरण क्रमांक व दिनांक/वर्ष	अधिनियम की धारा	प्रकरण दायर करने का कारण
1	मेसर्स ग्रेसिम इंड लि.(स्टेपर फाइबर डिवी) विरलाग्राम नागदा उज्जैन	2015	वायु अधिनियम 1981 की धारा — 37 एवं 40	सम्मति शर्तों के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित न करने के कारण
2	मेसर्स लैंडमार्क मैरिज गार्डन, हलालपुरा भोपाल	17/4/15	जल अधिनियम की धारा — 25,44 एवं 47	जल अधिनियम के अन्तर्गत बिना सम्मति एवं बिना प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं की स्थापना के मैरिज गार्डन का संचालन के कारण
3	मेसर्स मूनलाईट गार्डन, (मैरिज गार्डन) हलालपुरा भोपाल	17/4/15	जल अधिनियम की धारा — 25,44 एवं 47	जल अधिनियम के अन्तर्गत बिना सम्मति एवं बिना प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं की स्थापना के मैरिज गार्डन का संचालन के कारण
4	मेसर्स बागोबहार मैरिज गार्डन खानूगांव, भोपाल	17/4/15	जल अधिनियम की धारा — 25,44 एवं 47	जल अधिनियम के अन्तर्गत बिना सम्मति एवं बिना प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं की स्थापना के मैरिज गार्डन का संचालन के कारण
5	मेसर्स मेरीगोल्ड मैरिज गार्डन क्वीआइपी रोड भोपाल	17/4/15	जल अधिनियम की धारा — 25,44 एवं 47	जल अधिनियम के अन्तर्गत बिना सम्मति एवं बिना प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं की स्थापना के मैरि ज गार्डन का संचालन
6	मेसर्स सनसिटी गुड गार्डन सेलीब्रेशन (मैरिज गार्डन) हलालपुरा भोपाल	17/4/15	जल अधिनियम की धारा — 25,44 एवं 47	जल अधिनियम के अन्तर्गत बिना सम्मति एवं बिना प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं की स्थापना के मैरिज गार्डन का संचालन
7	नगर पालिका परिषद नरसिंहगढ़ राजगढ़	27/4/15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं 17	नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम 2000 के प्रावधान अनुसार अपशिष्टों के उचित प्रबन्धन हेतु व्यवस्था की स्थापना न कर प्रावधानों का उल्लंघन
8	नगर पालिका निगम (स्लाटर हाउस) जूनी इन्डौर	13669 14/5/15	जल अधिनियम की धारा — 25,44 एवं 47	जल अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से जल सम्मति प्राप्त नहीं करने के कारण
9	नगर पालिका निगम (स्लाटर हाउस) खजराना इन्डौर	13670 14/5/15	जल अधिनियम की धारा — 25,44 एवं 47	जल अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से जल सम्मति प्राप्त नहीं करने के कारण
10	नगर पालिका निगम (स्लाटर हाउस) जूनीरिसाला	13671 14/5/15	जल अधिनियम की धारा — 25,44 एवं 47	जल अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से जल सम्मति प्राप्त नहीं करने के कारण

11	नगर पालिका निगम (स्लाटर हाउस) बुरहानपुर	1626 29/5/15	जल अधिनियम की धारा –25,44 एवं 47	जल अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से जल सम्मति प्राप्त नहीं करने के कारण
12	मे.अजय कुमार पाठक, कोटर लाइम स्टोन माइन्स रकवा 23.237 हे.	2299/15 30/6/15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं 16	ईआईए नोटिफिकेशन 1994 एवं 2006 के प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किये बिना खदान का संचालन करने के कारण।
13	मेसर्स शार्प एग्रीकॉम लि. मंडीदीप रायसेन	18/6/15	जल अधिनियम की धारा—25,44 एवं 47 वायु अधिनियम की धारा—21,37 एवं 40	जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से स्थापना सम्मति प्राप्त किये बिना उद्योग स्थापित करने के कारण
14	मेसर्स मोल्डलेज इण्डिया फूड्स लि. (मेसर्स केडवरी इ.लि.) मालनपुर	434/15 3/7/15	जल अधिनियम की धारा —43,44 एवं 49	सम्मति शर्तों के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित न करने के कारण
15	मेसर्स एचईजी लि० (ग्रेफाइड इलेक्ट्रोड यूनिट) मंडीदीप रायसेन	15/7/15	वायु अधिनियम की धारा —21,37, 39 एवं 40	वायु अधिनियम के प्रावधान अनुसार प्रदूषण नियंत्रण हेतु सक्षम प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना किये बिना उत्पादन कर प्रदूषण फैलाने के कारण
16	मेसर्स एचईजी लि० (केटिव पावर प्लांट) मंडीदीप रायसेन	15/7/15	वायु अधिनियम की धारा —21,37, 39 एवं 40	वायु अधिनियम के प्रावधान अनुसार प्रदूषण नियंत्रण हेतु सक्षम प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना किये बिना उत्पादन कर प्रदूषण फैलाने के कारण
17	नगर पालिका परिषद वैरसिया भोपाल	16/7/15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं 16	नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम 2000 के प्रावधान अनुसार अपशिष्टों के उचित प्रबंधन हेतु व्यवस्था की स्थापना न कर प्रावधानों का उल्लंघन
18	मे.आरोन डेवेलपर्स प्रा.लि.इन्डौर	22681 21/7/15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं 1916	ईआईए नोटिफिकेशन 1994 एवं 2006 के प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किये बिना निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के कारण।
19	नगर पालिका परिषद व्यावरा राजगढ़	23/7/15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं 17	नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम 2000 के प्रावधान अनुसार अपशिष्टों के उचित प्रबंधन हेतु व्यवस्था की स्थापना न करना
20	मेसर्स वालमार्ट इंडिया प्रा.लि. (वेस्ट प्राइज मार्डन होलसेल यूनिट-1) रासलाखेडी भोपाल	23/7/15	जल अधिनियम की धारा —25,44 एवं 47 वायु अधिनियम की धारा —21,37 एवं 40	जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत बिना सम्मति एवं बिना प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना के इकाई का संचालन करने के कारण
21	मेसर्स वालमार्ट इंडिया प्रा.लि.(वेस्ट प्राइज मार्डन होलसेल यूनिट-2)	23/7/15	जल अधिनियम की धारा —25,44 एवं 47 वायु अधिनियम की धारा —21,37 एवं 40	जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत बिना सम्मति एवं बिना प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना के इकाई का संचालन

22	कौशल्या पिंक हेरीटेज (युप हाउसिंग प्रोजेक्ट) हिनोतिया काढान एवं सेमराकला, भोपाल	23/7/15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं 16 जल अधिनियम की धारा -25,44 एवं 47 एवं वायु अधिनियम की धारा-21,37 एवं 40	इआईए नोटिफिकेशन 1994 एवं 2006 के प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किये बिना निर्माण कार्य प्रारम्भ करने एवं जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत बिना सम्मति प्राप्त किये टाउनशिप का निर्माण करना।
23	विराशा हाईट्स (युप हाउसिंग प्रोजेक्ट) बजारी भोपाल	23/7/15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं 16 एवं जल अधिनियम की धारा -25,44 एवं 47 एवं वायु अधिनियम की धारा-21,37 एवं 40	इआईए नोटिफिकेशन 1994 एवं 2006 के प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किये बिना निर्माण कार्य प्रारम्भ करने एवं जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत बिना सम्मति प्राप्त किये टाउनशिप का निर्माण करना।
24	गोविन्द रियल्टी प्रा. लि0 आसिमॉ माल मल्टीप्लेक्स कन शॉपिंग काम्पलेक्स बाबड़ियाकला भोपाल	23/7/15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं 16 जल अधिनियम की धारा -25,44 एवं 47 एवं वायु अधिनियम की धारा-21,37 एवं 40	इआईए नोटिफिकेशन 1994 एवं 2006 के प्रावधान अनुसार पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किये बिना निर्माण कार्य प्रारम्भ करने एवं जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत बिना सम्मति प्राप्त किये टाउनशिप का निर्माण करना।
25	मेसर्स सतपुडा थर्मल पावर स्टेशन(2x250 मेगावाट यूनिट) म.प्र.पावर जनरेटिंग क.लि. सारणी वैतूल	24/7/15	जल अधिनियम की धारा -25, 44 एवं 47 एवं वायु अधिनियम की धारा -21,37 एवं 40	जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत बिना सम्मति प्राप्त किये उद्योग का संचालन प्रारम्भ करना
26	मेसर्स सतपुडा थर्मल पावर स्टेशन (111हेक्टेक्ट्र नवीन राखड वांध) म.प्र. पावर जनरेटिंग क.लि. सारणी वैतूल	24/7/15	जल अधिनियम की धारा -25,44 एवं 47	इआईए नोटिफिकेशन के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति एवं जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत बिना सम्मति के राखड वांध का निर्माण एवं संचालन करना
27	नगर परिषद करैरा	25/7/15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं 17	नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2000 के प्रावधान अनुसार अपशिष्टों के उचित प्रबंधन हेतु व्यवस्था की स्थापना न कर प्रावधानों का उल्लंघन
28	नगर पालिका परिषद अशोकनगर	10/8/15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं 17	नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम 2000 के प्रावधान अनुसार अपशिष्टों के उचित प्रबंधन हेतु व्यवस्था की स्थापना न कर प्रावधानों का उल्लंघन
29	नगर पालिका परिषद सीहोर (स्लाटर हाउस)	17/8/15	जल अधिनियम की धारा -25,43, 44 एवं 48	जल अधिनियम के अन्तर्गत सम्मति एवं दूषित जल उपचार व्यवस्था की स्थापना के बिना स्लाटर हाउस संचालन

30	नगर पालिका परिषद पचोर राजगढ़	24/8/15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं 17	नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम 2000 के प्रावधान अनुसार अपशिष्टों के उचित प्रबन्धन हेतु व्यवस्था की स्थापना न कर प्रावधानों का उल्लंघन
31	नगर पालिका परिषद सारगंपुर राजगढ़	25/8/15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं 17	नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम 2000 के प्रावधान अनुसार अपशिष्टों के उचित प्रबन्धन हेतु व्यवस्था की स्थापना न कर प्रावधानों का उल्लंघन
32	नगर पालिका निगम स्लाटर हाउस जबलपुर	9425/15	जल—24,25,26,43,44, 47 एवं 48	स्लाटर हाउस का बिना वैध सम्मति के संचालन करने एवं दूषित जल का निस्सारण करने के कारण।
33	जनता डेयरी ग्राम सालीवाडा जबलपुर	01/15 24/8/15	जल—25,33 "क" 41 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत सम्मति प्राप्त नहीं करना, निसाव के उपचार हेतु व्यवस्था की स्थापना नहीं करते हुये दूषित जल नदी में निस्सारित करने के कारण।
34	नगर पालिका परिषद पनागर जबलपुर	03/15 24/8/15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं 16	नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम 2000 के प्रावधान अनुसार अपशिष्टों के उचित प्रबन्धन हेतु व्यवस्था की स्थापना न करना
35	वाहिद डेयरी गोरेया घाट जबलपुर	04/15 24/8/15	जल—25,33 "क" 41 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से सम्मति प्राप्त किये बिना कार्यरत रहने एवं दूषित जल नदी में निस्सारित करने के कारण।
36	खन्नी डेयरी ग्राम सालीवाडा जबलपुर	05/15 24/8/15	जल—25,33 "क" 41 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से सम्मति प्राप्त किये बिना कार्यरत रहने एवं दूषित जल नदी में निस्सारित करने के कारण।
37	गुलशन डेयरी ग्राम कटियाघाट जबलपुर	20/15 24/8/15	जल—25,33 "क" 41 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से सम्मति प्राप्त किये बिना कार्यरत रहने एवं दूषित जल नदी में निस्सारित करने के कारण।
38	मुन्ना डेयरी ग्राम सालीवाडा जबलपुर	21/15 24/8/15	जल—25,33 "क" 41 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से सम्मति प्राप्त किये बिना कार्यरत रहने एवं दूषित जल नदी में निस्सारित करने के कारण।
39	जवाहर डेयरी ग्राम इमलिया जबलपुर	22/15 24/8/15	जल—25,33 "क" 41 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से सम्मति प्राप्त किये बिना कार्यरत रहने एवं दूषित जल नदी में निस्सारित करने के कारण।
40	नगर पालिका परिषद पनानगर	23/15 24/8/15	जल—25,33 "क" 41 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से सम्मति प्राप्त किये बिना कार्यरत रहने एवं दूषित जल नदी

41	भुज्जन डेयरी ग्राम इमलिया जबलपुर	09 / 15 24 / 8 / 15	जल—25.33 "क" 41 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से सम्मति प्राप्त किये विना कार्यरत रहने एवं दूषित जल नदी में निस्सारित करने के कारण ।
42	सौकी डेयरी ग्राम करौदानाला जबलपुर	10 / 15 24 / 8 / 15	जल—25.33 "क" 41 एवं 44	विना सम्मति कार्यरत रहने एवं दूषित जल नदी में निस्सारित करने के कारण ।
43	प्रकाश पटेल डेयरी जबलपुर	13 / 15 24 / 8 / 15	जल—25.33 "क" 41 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से सम्मति प्राप्त किये विना कार्यरत रहने एवं दूषित जल नदी में निस्सारित करने के कारण ।
44	पांडे डेयरी ग्राम इमलिया जबलपुर	14 / 15 24 / 8 / 15	जल—25.33 "क" 41 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से सम्मति प्राप्त किये विना कार्यरत रहने एवं दूषित जल नदी में निस्सारित करने के कारण ।
45	बडगाँया डेयरी जबलपुर	15 / 15 24 / 8 / 15	जल—25.33 "क" 41 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से सम्मति प्राप्त किये विना कार्यरत रहने एवं दूषित जल नदी में निस्सारित करने के कारण ।
46	पंकज डेयरी ग्राम इमलिया जबलपुर	11 / 15 24 / 8 / 15	जल—25.33 "क" 41 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से सम्मति प्राप्त किये विना कार्यरत रहने एवं दूषित जल नदी में निस्सारित करने के कारण ।
47	लल्लू डेयरी ग्राम इमलिया जबलपुर	08 / 15 24 / 8 / 15	जल—25.33 "क" 41 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से सम्मति प्राप्त किये विना कार्यरत रहने एवं दूषित जल नदी में निस्सारित करने के कारण ।
48	भगवान चन्द्र नेमनाणी स्टोन केशर पंधाना खण्डवा	4651 2 / 9 / 15	वायु अधिनियम की धारा —21.37 एवं 40	क्षमता विस्तार हेतु बोर्ड से सम्मति प्राप्त किये विना बढ़ी हुई उत्पादन क्षमता से उद्योग संचालन के कारण
49	पुरनी इन्फा. प्रा.लि. स्टोन केशर पुनासा खण्डवा	4652 2 / 9 / 15	वायु अधिनियम की धारा —21.37 एवं 40	क्षमता विस्तार हेतु बोर्ड से सम्मति प्राप्त किये विना बढ़ी हुई उत्पादन क्षमता से उद्योग संचालन के कारण
50	साधना दीक्षित स्वराज स्टोन केशर खण्डवा	4650 2 / 9 / 15	वायु अधिनियम की धारा —21.37 एवं 40	क्षमता विस्तार हेतु बोर्ड से सम्मति प्राप्त किये विना बढ़ी हुई उत्पादन क्षमता से उद्योग संचालन के कारण
51	मनोहर डेयरी ग्राम इमलिया जबलपुर	12481 / 15 22 / 9 / 15	जल—25.33 "क" 41 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से सम्मति प्राप्त किये विना कार्यरत रहने एवं दूषित जल नदी में निस्सारित करने के कारण ।
52	धरमपाल डेयरी ग्राम इमलिया जबलपुर	12480 / 15 22 / 9 / 15	जल—25.33 "क" 41 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से सम्मति प्राप्त किये विना कार्यरत रहने एवं दूषित जल नदी में निस्सारित करने के कारण ।

65	वर्मा डेयरी ग्राम खैरी जबलपुर	12664 / 15 22 / 9 / 15	जल—25,33 "क" 41 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से सम्मति प्राप्त किये बिना कार्यरत रहने एवं दूषित जल नदी में निस्सारित करने के कारण ।
66	सेठी डेयरी ग्राम इमलिया जबलपुर	12729 / 15 22 / 9 / 15	जल—25,33 "क" 41 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से सम्मति प्राप्त किये बिना कार्यरत रहने एवं दूषित जल नदी में निस्सारित करने के कारण ।
67	सेठी डेयरी ग्राम इमलिया जबलपुर	12734 / 15 22 / 9 / 15	जल—25,33 "क" 41 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से सम्मति प्राप्त किये बिना कार्यरत रहने एवं दूषित जल नदी में निस्सारित करने के कारण ।
68	सौकी डेयरी ग्राम खैरी जबलपुर	12736 / 15 22 / 9 / 15	जल—25,33 "क" 41 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से सम्मति प्राप्त किये बिना कार्यरत रहने एवं दूषित जल नदी में निस्सारित करने के कारण ।
69	रामदीन डेयरी ग्राम इमलिया जबलपुर	12731 / 15 22 / 9 / 15	जल—25,33 "क" 41 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से सम्मति प्राप्त किये बिना कार्यरत रहने एवं दूषित जल नदी में निस्सारित करने के कारण ।
70	प्रेम सिंह डेयरी ग्राम इमलिया जबलपुर	12732 / 15 22 / 9 / 15	जल—25,33 "क" 41 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से सम्मति प्राप्त किये बिना कार्यरत रहने एवं दूषित जल नदी में निस्सारित करने के कारण ।
71	दिनेश डेयरी ग्राम इमलिया जबलपुर	12728 / 15 22 / 9 / 15	जल—25,33 "क" 41 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से सम्मति प्राप्त किये बिना कार्यरत रहने एवं दूषित जल नदी में निस्सारित करने के कारण ।
72	काके डेयरी ग्राम इमलिया जबलपुर	12727 / 15 22 / 9 / 15	जल—25,33 "क" 41 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से सम्मति प्राप्त किये बिना कार्यरत रहने एवं दूषित जल नदी में निस्सारित करने के कारण ।
73	गुप्ता डेयरी ग्राम खैरी जबलपुर	12735 / 15 22 / 9 / 15	जल—25,33 "क" 41 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से सम्मति प्राप्त किये बिना कार्यरत रहने एवं दूषित जल नदी में निस्सारित करने के कारण ।
74	कचन डेयरी ग्राम इमलिया जबलपुर	12730 / 15 22 / 9 / 15	जल—25,33 "क" 41 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से सम्मति प्राप्त किये बिना कार्यरत रहने एवं दूषित जल नदी में निस्सारित करने के कारण ।
75	राजनाथ डेयरी ग्राम इमलिया जबलपुर	12733 / 15 22 / 9 / 16	जल—25,33 "क" 41 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से सम्मति प्राप्त किये बिना कार्यरत रहने एवं दूषित जल नदी में निस्सारित करने के कारण ।
76	सी.बी.डब्लू.टी.एफ रतलाम	6 / 11 / 15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं 16	जीव विकित्सा अपशिष्टों के प्रबंधन हेतु नियमों के अनुरूप सी.बी.डब्लू.टी.एफ में बिना आवश्यक उपकरणों की स्थापना के अपशिष्टों का अवहन कर

77	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) भोपाल	17/11/15	जल अधिनियम की धारा -25, 44 एवं 47 एवं वायु अधिनियम की धारा -21,37 एवं 40	जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत विना उत्पादन सम्मति एवं विना प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना के हास्पिटल का संचालन प्रारम्भ करना।
78	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) भोपाल	17/11/15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं 16	जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन एवं हस्तन नियम 1998 के प्रावधानों के अनुरूप चि कित्सा अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु व्यवस्था स्थापित नहीं करना।
79	भोपाल इस्निरेटर गोविन्दपुरा भोपाल	17/11/15	जल अधिनियम की धारा -25, 44 एवं 47 एवं वायु अधिनियम की धारा -21,37 एवं 40	जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत विना सम्मति एवं विना प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना के संस्थान का संचालन करना।
80	मे.एस.आर.कार लालधाटी भोपाल	17/11/15	जल अधिनियम की धारा -25,44 एवं 47	जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत विना सम्मति एवं विना प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना के संस्थान का संचालन करना।
81	मे.टी .क्ली.एस. मिसरौद भोपाल	17/11/15	जल अधिनियम की धारा -25,44 एवं 47	जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत विना सम्मति एवं विना प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना के संस्थान का संचालन करना।
82	मे. मानिक सुजुकी कोहेफिजा भोपाल	17/11/15	जल अधिनियम की धारा -25,44 एवं 47	जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत विना सम्मति एवं विना प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना के संस्थान का संचालन करना।
83	मे. रजीत निशान होशंगाबाद रोड भोपाल	17/11/15	जल अधिनियम की धारा -25,44 एवं 47	जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत विना सम्मति एवं विना प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना के संस्थान का संचालन करना।
84	मेसर्स अनिल लाइफ साइंसेस ग्राम सलैया तह चौरई छिंदवाडा	4/12/15	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 49 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 41	जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत विना सम्मति एवं विना प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था की स्थापना के कार्य प्रारम्भ करना।
85	मे.ए.आर. इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रा .लि. इन्दौर	22681 7/12/15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं 16	ईआईए नोटिफिकेशन 2006 के प्रावधानों के अनुसार विना पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ करना

86	मेसर्स लायन सिटी एन्जोरा (मैरिज गार्डन) हलालपुरा भोपाल	09 / 12 / 15	जल अधिनियम की धारा –25, 44 एवं 47 वायु अधिनियम की धारा –21,37 एवं 40	जल अधिनियम के अन्तर्गत बिना सम्मति एवं बिना प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं की स्थापना के मैरिज गार्डन का संचालन के कारण
87	मेसर्स ग्रीनसिटी गार्डन (मैरिज गार्डन) लालधाटी भोपाल	09 / 12 / 15	जल अधिनियम की धारा –25, 44 एवं 47 वायु अधिनियम की धारा –21,37 एवं 40	जल अधिनियम के अन्तर्गत बिना सम्मति एवं बिना प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं की स्थापना के मैरिज गार्डन का संचालन के कारण
88	मेसर्स गुलशन एण्ड स्वागत (मैरिज गार्डन) लालधाटी भोपाल	09 / 12 / 15	जल अधिनियम की धारा –25, 44 एवं 47 वायु अधिनियम की धारा –21,37 एवं 40	जल अधिनियम के अन्तर्गत बिना सम्मति एवं बिना प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं की स्थापना के मैरिज गार्डन का संचालन के कारण
89	गुल्ले यादव डेयरी ग्राम इमलिया जबलपुर	128860 / 15 18 / 12 / 15	जल–25,33 "क" 41 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से सम्मति प्राप्त किये बिना कार्यरत रहने एवं दूषित जल नदी में निस्सारित करने के कारण ।
90	भगतजी डेयरी ग्राम ललपुर जबलपुर	128873 / 15 18 / 12 / 15	जल–25,33 "क" 41 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से सम्मति प्राप्त किये बिना कार्यरत रहने एवं दूषित जल नदी में निस्सारित करने के कारण ।
91	शंकर यादव डेयरी ग्राम ललपुर जबलपुर	128872 / 15 18 / 12 / 15	जल–25,33 "क" 41 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से सम्मति प्राप्त किये बिना कार्यरत रहने एवं दूषित जल नदी में निस्सारित करने के कारण ।
92	सुजीत डेयरी ग्राम खैरी जबलपुर	128871 / 15 18 / 12 / 15	जल–25,33 "क" 41 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से सम्मति प्राप्त किये बिना कार्यरत रहने एवं दूषित जल नदी में निस्सारित करने के कारण ।
93	प्रताप डेयरी ग्राम खैरी जबलपुर	128869 / 15 18 / 12 / 15	जल–25,33 "क" 41 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से सम्मति प्राप्त किये बिना कार्यरत रहने एवं दूषित जल नदी में निस्सारित करने के कारण ।
94	मामा डेयरी ग्राम जमतरा जबलपुर	128866 / 15 18 / 12 / 15	जल–25,33 "क" 41 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से सम्मति प्राप्त किये बिना कार्यरत रहने एवं दूषित जल नदी में निस्सारित करने के कारण ।
95	तुलसी डे यरी ग्राम खैरी जबलपुर	128864 / 15 18 / 12 / 15	जल–25,33 "क" 41 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से सम्मति प्राप्त किये बिना कार्यरत रहने एवं दूषित जल नदी में निस्सारित करने के कारण ।

109	मेसर्स एजी 8 वेन्चुर्स लि. (आकृति एक्वासिटी ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट फंदाकला भोपाल	26 / 12 / 15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 ए वं 16 जल अधिनियम की धारा —25,44 एवं 47 एवं वायु अधिनियम की धारा—21,37 एवं 40	बोर्ड से ईआईए नोटिफिकेशन के अन्तर्गत पर्यावणीय स्वीकृति एवं जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत स्थापना सम्मति प्राप्त किये बिना निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के कारण ।
110	मेसर्स एजी 8 वेन्चुर्स लि. (आकृति हाईलेण्ड ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट फंदा कला भोपाल	26 / 12 / 15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 ए वं 16 जल अधिनियम की धारा —25,44 एवं 47 एवं वायु अधिनियम की धारा—21,37 एवं 40	बोर्ड से ईआईए नोटिफिकेशन के अन्तर्गत पर्यावणीय स्वीकृति एवं जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत स्थापना सम्मति प्राप्त किये बिना निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के कारण ।
111	मेसर्स दानिश गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित (वेस्टन एवन्यु ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट) दामखेड़ा कोलार रोड भोपाल	26 / 12 / 15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 ए वं 16 जल अधिनियम की धारा —25,44 एवं 47 एवं वायु अधिनियम की धारा —21,37 एवं 40	बोर्ड से ईआईए नोटिफिकेशन के अन्तर्गत पर्यावणीय स्वीकृति एवं जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत स्थापना सम्मति प्राप्त किये बिना निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के कारण ।
112	मेसर्स अल्टीमेट विल्डर्स (अल्टीमेट इंगिलिश विलाज ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट बोरदा कोलार रोड भोपाल	26 / 12 / 15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 ए वं 16 जल अधिनियम की धारा —25,44 एवं 47 एवं वायु अधिनियम की धारा —21,37 एवं 40	बोर्ड से ईआईए नोटिफिकेशन के अन्तर्गत पर्यावणीय स्वीकृति एवं जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत स्थापना सम्मति प्राप्त किये बिना निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के कारण ।
113	मेसर्स जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स प्रा.लि. ग्राम चिपल्या भीरा सीहोर	4 / 1 / 16	जल अधिनियम की धारा —25,31(क) 41,44 एवं 47 एवं वायु अधिनियम की धारा —21,37 एवं 40	जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु उपचार व्यवस्था की स्थापना नहीं कर निस्ताव परिसर के बाहर फैलाना, बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप उत्पादन प्रक्रिया बन्द न करना ।
114	मे.आरकेडीएफ मेडीकल कॉलेज एंड हास्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर जाटखेड़ी भोपाल	17 / 2 / 16	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा—15 एवं 16	ईआईए नोटिफिकेशन अनुसार पर्यावणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के कारण
115	मे.आरकेडीएफ मेडीकल कॉलेज एंड हास्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर जाटखेड़ी भोपाल	17 / 2 / 16	जल अधिनियम की धारा —25, 44 एवं 47 एवं वायु अधिनियम की धारा —21,37 एवं 40	जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से स्थापना सम्मति प्राप्त किये बिना निर्माण प्रारम्भ करना ।
116	मे.आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी गाधीनगर भोपाल	17 / 2 / 16	जल अधिनियम की धारा —25, 44 एवं 47 एवं वायु अधिनियम की धारा —21,37 एवं 40	जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से स्थापना सम्मति प्राप्त किये बिना निर्माण प्रारम्भ करना ।

117	अमर सिंह डेयरी जबलपुर	4245 / 15 14 / 3 / 16	जल—25.33 "क" 41 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से सम्मति प्राप्त किये विना कार्यरत रहने एवं दूषित जल नदी में निस्सारित करने के कारण ।
118	प्रमोद डेयरी जबलपुर	4244 / 15 14 / 03 / 16	जल—25.33 "क" 41 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से सम्मति प्राप्त किये विना कार्यरत रहने एवं दूषित जल नदी में निस्सारित करने के कारण ।
119	महेन्द्रा डेयरी जबलपुर	4255 / 15 14 / 03 / 16	जल—25.33 "क" 41 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से सम्मति प्राप्त किये विना कार्यरत रहने एवं दूषित जल नदी में निस्सारित करने के कारण ।
120	मिट्टूलाल डेयरी जबलपुर	4246 / 15 14 / 03 / 16	जल—25.33 "क" 41 एवं 44	जल अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से सम्मति प्राप्त किये विना कार्यरत रहने एवं दूषित जल नदी में निस्सारित करने के कारण ।
121	रेवाकृपा शुगर मिल ग्राम पौडीफाटक	2696 / 16	जल—24,25,33(क) 43,44, एवं 45(ए) वायु 21,31(क)37 एवं 39	बोर्ड के सम्मति पत्र में उल्लेखित मानकों तक नियाव के उपचार हेतु व्यवस्था की स्थापना न करना, सम्मति शर्तों का पालन न करना
122	वंशिका शुगर मिल एण्ड पावर प्लांट ग्राम बिलगुआ नरसिंहपुर	56 / 16 07 / 01 / 16	जल—25.44 एवं 45 ए वायु 21,37 एवं 39	बोर्ड के सम्मति पत्र में उल्लेखित मानकों तक नियाव के उपचार हेतु व्यवस्था की स्थापना न करना, सम्मति शर्तों का पालन न करना
123	मेसर्स ट्रेट केमीकल इंडस्ट्रीज मेधनगर झावुआ	21 / 1 / 16	जल अधिनियम 1974 की धारा— 25 वायु अधिनियम 1986 की धारा 21	बोर्ड से जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सम्मति प्राप्त किये विना निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के कारण ।
124	मेसर्स राकेश एजेन्सी माइन्स सिंहा कोठार रकवा 16.187 हे.तह. मझगढ़ जिला सतना	472 / 16 8 / 2 / 16	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं 16	ईआईए नोटिफिकेशन 1994 एवं 2006 अनुसार पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किये विना खदान का संचालन करना
125	मेसर्स म.प्र.मिनरल्स सप्लाई क. माइन्स नौगढ़ रकवा 4.70 हे. तह.मझगढ़ जिला सतना	473 / 16 8 / 2 / 16	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं 16	ईआईए नोटिफिकेशन 1994 एवं 2006 अनुसार पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किये विना खदान का संचालन करना
126	मेसर्स राकेश एजेन्सी माइन्स बरुई रकवा 5.10 हे. तह.मझगढ़ जिला सतना	475 / 16 8 / 2 / 16	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं 16	ईआईए नोटिफिकेशन 1994 एवं 2006 अनुसार पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किये विना खदान का संचालन करना
127	मेसर्स राकेश एजेन्सी माइन्स सिंहा कोठार रकवा 12.14 हे.तह.	474 / 16 8 / 2 / 16	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं 16	ईआईए नोटिफिकेशन 1994 एवं 2006 अनुसार पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किये विना खदान का संचालन करना

128	मेसर्स राकेश एजेन्सी माइन्स नौगवाँ रकवा 10. 767हे.तह. मझगवाँ जिला सतना	470 / 16 8/2/16	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं 16	ईआईए नोटिफिकेशन 1994 एवं 2006 अनुसार पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किये बिना खदान का संचालन करना
129	मेसर्स म.प्र.भिनरल्स सप्लाई क. माइन्स सिंद्वा कोठार रकवा 10.623हे.तह. मझगवाँ जिला सतना	471 / 16 8/2/16	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं 16	ईआईए नोटिफिकेशन 1994 एवं 2006 अनुसार पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किये बिना खदान का संचालन करना
130	मेसर्स श्री राधवेन्द्र कुमार अग्रवाल माइन्स बर्लई रकवा 11.009 हे.तह. मझगवाँ जिला सतना	469 / 16 8/2/16	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं 16	ईआईए नोटिफिकेशन 1994 एवं 2006 अनुसार पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किये बिना खदान का संचालन करना
131	मेसर्स श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल माइन्स कारीगोडी रकवा 8.094 हे.तह. मझगवाँ जिला सतना	476 / 16 8/2/16	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं 16	ईआईए नोटिफिकेशन 1994 एवं 2006 अनुसार पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किये बिना खदान का संचालन करना
132	मेसर्स श्री शरद कुमार बंसल माइन्स बटेहरा रकवा 11.65 हे.तह. मझगवाँ जिला सतना	468 / 15 8/2/16	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 एवं 16	ईआईए नोटिफिकेशन 1994 एवं 2006 अनुसार पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किये बिना खदान का संचालन करना
133	मेसर्स कष्टभंजन इन्टरप्राइजेज इंडस्ट्रीज मेधनगर झावुआ	09 / 2 / 16	जल अधिनियम 1974 की धारा—24,25 / 26,43 एवं 44 वायु अधिनियम 1981 की धारा 37 व 40	जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना के उत्पादन करने के कारण
134	मेसर्स सिंद्वी विनायक इन्टरप्राइजेज मेधनगर झावुआ	09 / 2 / 16	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा—15 एवं 16	जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना के उत्पादन करने के कारण
135	मेसर्स सेप फाईन केम मेधनगर झावुआ	09 / 2 / 16	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा—15 एवं 16	जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना के उत्पादन करने के कारण

136	आकृति शुगर मिल प्रा.लि. ग्राम तुमडा गाडरवारा नरसिंहपुर	298 / 16 18 / 02 / 16	जल—24 ए 25,33 ए 44, एवं 45(ए) वायु 21,31 ए 37 एवं 39	जल सम्मति में उल्लेखित मानकों तक निष्ठाव के उपचार हेतु उपचार व्यवस्था की स्थापना न करना
137	शक्ति शुगर मिल प्रा.लि. ग्राम कोडिया नरसिंहपुर	297 / 16 18 / 02 / 16	जल—25,44 एवं 45 ए वायु 21,37 एवं 39	जल सम्मति में उल्लेखित मानकों तक निष्ठाव के उपचार हेतु उपचार व्यवस्था की स्थापना न करना
138	नर्मदा शुगर मिल प्रा.लि. ग्राम पोडार गाडरवारा नरसिंहपुर	296 / 16 18 / 02 / 16	जल—25,44 एवं 45 ए वायु 21,37 एवं 39	जल सम्मति में उल्लेखित मानकों तक निष्ठाव के उपचार हेतु उपचार व्यवस्था की स्थापना न करना
139	करेली शुगर मिल प्रा.लि. ग्राम करेली नरसिंहपुर	2016	जल—25,44 एवं 45 ए वायु 21,37 एवं 39	जल सम्मति में उल्लेखित मानकों तक निष्ठाव के उपचार हेतु उपचार व्यवस्था की स्थापना न करना
140	महाकौशल शुगर एण्ड पावर इण्डस्ट्रीज लि. ग्राम बचई नरसिंहपुर	02 / 03 / 16	जल—25,26,33(क) 43,44 एवं 45 ए वायु 21,31(क) 37 एवं 39	जल सम्मति में उल्लेखित मानकों तक निष्ठाव के उपचार हेतु उपचार व्यवस्था की स्थापना न करना
141	मे. दीपक फास्टनर्स प्रा.लि.ग्राम खोखरी जिला सीहोर	29 / 03 / 16	जल अधिनियम की धारा—24,25,45 एवं 47	जल सम्मति में उल्लेखित मानकों तक निष्ठाव के उपचार हेतु उपचार व्यवस्था की स्थापना न करना
142	नगर परिषद विजयराघवगढ़	5019 / 15	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा—15 एवं 17	नगरीय टोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम 2000 के प्रावधान अनुसार अपशिष्टों के उचित प्रबन्धन हेतु व्यवस्था की स्थापना न कर प्रावधानों का उल्लंघन
143	मेसर्स एस.एन. संडरसन एण्ड क. अमेहटा लाइम स्टोन माइन	5877 / 15	जल अधिनियम 1974 की धारा—25,42 एवं 44 वायु अधिनियम 1981 की धारा 21,37 व 49	जल एवं वायु अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड से उत्पादन सम्मति प्राप्त किये बिना उत्पादन प्रारम्भ करने के कारण

उद्योगों संस्थानों के विरुद्ध दायर न्यायालयीन प्रकरणों में बोर्ड के पक्ष में हुये निर्णय

क्र.	प्रकरण क्रमांक एवं वर्ष	उद्योग का नाम	अधिनियम एवं धारा जिसमें प्रकरण दायर किया गया	पारित आदेश एवं आदेश दिनांक
1	800 / 08	मैसर्स मैहर सीमेंट वर्क्स तिलौरा लाईम स्टोन माईन्स रकवा 193.25 हेक्टेयर	वर्ष 1980 से 23.7.2007 तक बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के खदान संचालन कर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 / 16 का उल्लंघन	संस्थान द्वारा वर्तमान में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर लेने व प्रथम अपराध मानते हुये माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 28.1.2016 को आदेश पारित कर सजा से दण्डित न करते हुये सभी चार अभियुक्तों को पृथक—पृथक रूपये 50000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
2	367 / 09	मैसर्स मैहर सीमेंट वर्क्स भदनपुर लाईम स्टोन माईन्स रकवा 663 हेक्टेयर	वर्ष 2002 से 20/08/2008 तक बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के खदान संचालन कर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 / 16 का उल्लंघन	संस्थान द्वारा वर्तमान में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर लेने व प्रथम अपराध मानते हुये माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 28.1.2016 को आदेश पारित कर सजा से दण्डित न करते हुये सभी तीन अभियुक्तों को पृथक—पृथक 50000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
3	366 / 09	मैसर्स मैहर सीमेंट वर्क्स भदनपुर लाईम स्टोन माईन्स रकवा 296.956 हेक्टेयर	वर्ष 1979 से 26/08/2008 तक बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के खदान संचालन कर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 / 16 का उल्लंघन	संस्थान द्वारा वर्तमान में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर लेने व प्रथम अपराध मानते हुये माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 28.1.2016 को आदेश पारित कर सजा से दण्डित न करते हुये सभी तीन अभियुक्तों को पृथक—पृथक 50000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
4	365 / 06	मैसर्स मैहर सीमेंट वर्क्स भदनपुर लाईम स्टोन माईन्स रकवा 217.68 हेक्टेयर	वर्ष 1979 से 25/08/2008 तक बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के खदान संचालन कर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 / 16 का उल्लंघन	संस्थान द्वारा वर्तमान में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर लेने व प्रथम अपराध मानते हुये माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 28.1.2016 को आदेश पारित कर सजा से दण्डित न करते हुये सभी तीन अभियुक्तों को पृथक—पृथक 50000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
5	7265 / 15	मैसर्स इन्डौर ट्रेजर टाउन प्रा०लि० (21 सेंचुरी डेवलपर्स प्रा०लि०) एवं उसके तीन संचालक	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 / 16 का उल्लंघन	सभी चारों अभियुक्तों को पृथक—पृथक रूपये 50000/- के अर्थदण्ड एवं श्री मनीष कालानी, श्री बी राजेश नायर, श्री पवन कुमार जैन को न्यायालय उठाने तक की सजा से दण्डित किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त आदेश में अर्थदण्ड की राशि जमा न करने पर एक—एक माह के कठोर कारावास पृथक से भुगताये जाने का भी उल्लेख है।

माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त आदेश में अर्थदण्ड की राशि जमा न करने पर 6—6 माह के कठोर कारावास पृथक से भुगताये जाने का उल्लेख है। उपरोक्त प्रकरणों में बोर्ड की ओर से नियुक्त अधिवक्ता श्री सुधाकर प्रसाद भिश्म द्वारा पत्र दिनांक 6.2.2016 अनुसार सभी अभियुक्तों हेतु उपरोक्त सभी प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश अनुसार कुल राशि रूपये 6.50 लाख की राशि माननीय न्यायालय में जमा कर दी गई है।

8	5771 / 06	मै. अशोक उद्योग, खण्डवा एवं अशोक पिता श्री देवकीनन्दन अग्रवाल	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 40 एवं 39	अभियुक्तगण को न्यायालय उठने तक सजा एवं रूपये पांच-पांच हजार का अर्थदण्ड
9	728 / 08	मैसर्स अंजता प्रोसेस खण्डवा रोड बुरहानपुर	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 41	अभियुक्तगण रूपये आठ-आठ हजार का अर्थदण्ड एवं राशि जमा न करने पर एक माह साधारण कारावास
10	1134 / 08	मैसर्स अंजता प्रोसेस खण्डवा रोड बुरहानपुर	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 40 एवं 39	अभियुक्तगण रूपये आठ-आठ हजार का अर्थदण्ड एवं राशि जमा न करने पर एक माह साधारण कारावास
11	5769 / 06	मै.0 सत्यनारायण ट्रेडिंग कम्पनी खण्डवा एवं श्री लखमीचन्द्र अग्रवाल	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 40 एवं 39	अभियुक्तगण को न्यायालय उठने तक सजा एवं रूपये पांच-पांच हजार का अर्थदण्ड
12	1550 / 99	मै. मेटनमेल पाईप मेन्युफेक्शन कम्पनी इन्डौर	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 40 एवं 39	आरोपी एक को रूपये 5000/- के अर्थदण्ड, आरोपी दो एवं तीन को न्यायालय उठने तक कारावास एवं रूपये पांच-पांच हजार का अर्थदण्ड
13	1551 / 99	मै. मेटनमेल पाईप मेन्युफेक्शन कम्पनी इन्डौर	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 41 एवं 47	सभी तीन आरोपियों को न्यायालय उठने तक कारावास एवं रूपये पांच-पांच हजार का अर्थदण्ड
14	727 / 15	मै. हाईवे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइलि ० एवं चार अन्य	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 / 16 का उल्लंघन	अभियुक्त क २-५ को पृथक-पृथक रूपये 50000/- के अर्थदण्ड व न्यायालय उठने तक की सजा से दण्डित किया गया है । माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त आदेश में अर्थदण्ड की राशि जमा न करने पर ०३-०३ माह के कठोर कारावास पृथक से भुगताये जाने का भी उल्लेख है ।
15	5770 / 06	मै. गोयल उद्योग खण्डवा एवं श्री गोविंद गोयल	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 40 एवं 39	अभियुक्तगण को न्यायालय उठने तक सजा एवं रूपये पांच-पांच हजार का अर्थदण्ड
16	2429 / 06	मैसर्स केडिया ग्रेट गेलियन लि० एवं इन्य	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 24, 25 / 26, 43 एवं 47	कम्पनी पर पोल्यूटर पे सिद्धान्त पर रूपये 7.50 लाख का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है ।
17	2422 / 06	मैसर्स केडिया ग्रेट गेलियन	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण)	कम्पनी पर पोल्यूटर पे सिद्धान्त पर रूपये 7.50 लाख का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया

18	1336 / 10	श्री व्ही.के.सिंह, श्री ए.के.सिंह एवं श्री ललित मोहन तिवारी	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम 1974 की धारा 44 एवं 47	सभी अभियुक्तगण को रूपये एक—एक हजार का अर्थदण्ड एवं 6—6 माह सश्रम कारावास अर्थात् जमान करने पर एक—एक माह का सश्रम कारावास
19	1349 / 10	श्री व्ही.के.सिंह, श्री ए.के.सिंह एवं श्री ललित मोहन तिवारी	वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम 1981 की धारा 40 एवं 39	सभी अभियुक्तगण को रूपये एक—एक हजार का अर्थदण्ड एवं 6—6 माह सश्रम कारावास अर्थात् जमान करने पर एक—एक माह का सश्रम कारावास
20	1335 / 10	श्री व्ही.के.सिंह, श्री ए.के.सिंह एवं श्री ललित मोहन तिवारी	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 / 16	सभी अभियुक्तगण को रूपये एक—एक हजार का अर्थदण्ड एवं 6—6 माह सश्रम कारावास अर्थदण्ड जमान करने पर एक—एक माह का सश्रम कारावास



10. बोर्ड के वित्त एवं लेखे

इस अध्याय में वर्ष 2015–16 के ऑकड़े अपरीक्षित लेखों से लिये गये हैं। जल एवं वायु अधिनियमों की संबंधित धाराओं की अपेक्षानुसार बोर्ड के परीक्षित लेखें शासन को पृथक से प्रस्तुत किये जावेंगे।

अनुदान एवं आयः—

वर्ष 2015–16 में बोर्ड को विभिन्न स्त्रोतों से कुल प्राप्त राशि रु. 6,351.66 लाख है जिसमें राज्य शासन से प्राप्त राशि रु. 1,600.00 लाख है। जिसमें सिंहस्थ आयोजन हेतु रु. 100.00 लाख की राशि सम्मिलित है। केन्द्र शासन से जलउपकर अंशदान प्राप्त राशि रु. 900.85 लाख है। संबंधित वर्ष में ईज ऑफ डुईग बिजनेस अन्तर्गत ऑनलाईन आवेदन एवं फीस भुगतान की व्यवस्था लागू करते हुए सम्मति शुल्क, वार्षिक नवीनीकरण शुल्क, एच.एस.एम.डी. प्राधिकार शुल्क के रूप में संयुक्त राशि रु. 2,237.45 लाख प्राप्त हुए हैं। अन्य प्राप्तियों के रूप में प्राप्त राशि रु. 1,613.36 लाख जिसमें केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की विभिन्न परियोजना के परिचालन हेतु प्राप्त राशि रु. 6.72 लाख, बैंक जमा पर ब्याज रु. 432.07 लाख एवं कर्मचारियों से अग्रिम वसूली के रूप में रु. 11.24 लाख की राशि भी सम्मिलित है।

आधिक्य एवं राजस्व व्ययः

विचाराधीन वर्ष में बोर्ड की प्राप्त आय के विरुद्ध व्यय कुल रु 4,409.53 लाख हुआ है। वर्ष में कुल व्यय राशि रु. 4,409.53 लाख का 75.70 प्रतिशत प्रशासनिक एवं स्थापना व्यय, 9.86 प्रतिशत पूँजीगत व्यय एवं 14.44 प्रतिशत अन्य आवर्ति व्यय है।

11. वार्षिक योजना 2016–2017

वर्ष 2015–16 में राज्य शासन के बजट में ₹ 1500.00 लाख का प्रावधान किया गया था, जिसके विरुद्ध राज्य शासन से ₹ 1500.00 लाख तथा सिंहस्थ–2016 हेतु ₹. 100.00 लाख की राशि प्राप्त हुई है। वर्ष 2016–17 वार्षिक योजना में प्रस्तावित योजनाओं के लिये ₹ 1350.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

राज्य अनुदान के तहत वर्ष 2016–17 हेतु प्रस्तावित योजनाओं का विवरण नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है :—

क्र	योजना का नाम	राशि (लाख रु में)	राशि (लाख रु में)
1.	अनुसंधान एवं विकास (41) 1.1 सर्वे एवं मॉनिटरिंग 1.2 ई-वेस्ट इन्वेन्टराइजेशन 1.3 अनुसंधान विकास केन्द्र	275.00 05.00 218.00	498.00
2.	संगठन का सुदृढ़ीकरण (42)		621.24
3.	राज्य स्तरीय पर्यावरण पुरस्कार (2539)		13.00
4.	कार्यशाला, प्रशिक्षण, जन-जागरूकता एवं सूचनाओं का आदान-प्रदान (2002)		62.75
5.	आई.टी./ई-गर्वनेंस (सूचना एवं प्रौद्योगिकी) (10144)		100.00
6.	पॉलिसी रिफार्म इंटरप्राइस रिसोर्स प्लानिंग -विजन 2018 (10145)		0.01
7.	ऑन लाईन मानिटरिंग सिस्टम की स्थापना (10008)		55.00
		कुल योग	1350.00

12. राज्य बोर्ड द्वारा किए गए अन्य महत्वपूर्ण कार्य

बोर्ड में सूचना प्रौद्योगिकी : विकास एवं क्रियान्वयन

प्रदेश में पर्यावरण से संबंधित अधिनियमों, नियमों, अधिसूचनाओं के अन्तर्गत मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों को जन मानस तक पहुँचाने की दिशा में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग अत्यंत कारगर साबित हुआ है। बोर्ड की वेब साईट राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, नई दिल्ली के सर्वर पर पूँजीचबड़पवण्पद डोमेन साथ में कार्यरत है एवं वेब साईट का अपडेशन संधारण एवं संचालन बोर्ड की आई.टी. शाखा द्वारा स्वयं के संसाधनों से प्रारंभ किया है।

सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग बोर्ड के कार्यों में पारदर्शित लाने की दिशा में किया जा रहा है। वृहद एवं मध्यम श्रेणी उद्योगों के सम्मति आवेदन पत्र के तकनीकी प्रस्तुतीकरण करने के उपरान्त बोर्ड के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत निष्कर्ष / निर्णय को उसी दिवस को बोर्ड की वेब साईट पर प्रदर्शित किया जाता है, जो के वेब साईट पर ओपन एक्सेस होता है। उद्योग उक्त विवरण को पढ़कर तदानुसार जानकारी प्रस्तुत कर सकते हैं। जिससे प्रकरण का शीघ्र निराकरण होता है।

वर्तमान में जल एवं वायु अधिनियम एवं परिसंकटमय अपशिष्ट नियम के अन्तर्गत सम्मति प्रधिकार के आवेदन ऑनलाइन प्राप्त कर उनका निराकरण एक्सजीएन साटवेयर के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। इस सॉटवेयर में कुल 16 मॉडल्यूस् सम्मिलित है, जिसमें वर्तमान में 06 मॉडल्यूस् के अन्तर्गत तकनीकी शाखा, मॉनीटरिंग शाखा, जीव चिकित्सा अपशिष्ट शाखा तथा खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन शाखा से संबंधित कार्य प्रारंभ किया गया है। सॉटवेयर के डाटाबेस में लगभग 17000 उद्योगों के आंकड़े शामिल हैं। सॉटवेयर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त किये जा रहे हैं। “ईज आफ छूईग बिजनेस” के अन्तर्गत सम्मति / प्रधिकार प्रदाय करने की प्रक्रिया को त्वरित करने की दृष्टि से निम्नानुसार प्रावधान प्रारम्भ किये गये हैं:-

- ♦ एक्स.जी.एन. साटवेयर में ऑनलाइन यूजर एवं पासवर्ड बनाने की सुविधा।
- ♦ सम्मति / प्रधिकार शुल्क जमा करने हेतु इन्टरनेट वेकिंग के माध्यम से ऑनलाइन शुल्क जमा करने का प्रावधान।
- ♦ सम्मति / प्रधिकार को आधार कार्ड आधारित डिजीटल सिग्नेचर के माध्यम से ऑनलाइन जारी करने का प्रावधान।
- ♦ ऑनलाइन कन्सेन्ट रजिस्टर का प्रावधान।

इसके अतिरिक्त बोर्ड के दैनिकी कार्यों के लिये एक एम.आई.एस. साटवेयर तैयार किया गया है, जिसका संचालन प्रारम्भ हुआ है। इस साटवेयर में निम्नानुसार ऑनलाइन प्रावधान सम्मिलित है:-

- ♦ अधिकारी / कर्मचारियों के स्थापना संबंधी प्रकरण जैसे छुटटीयों के ऑनलाइन आवेदन निराकरण।
- ♦ लेखा शाखा का कम्प्युट्रीकरण।
- ♦ ई.आर.सी., पुर्नचकित प्लास्टिक रजिस्ट्रेशन, नगरीय ठोस अपशिष्ट प्राधिकार आदि के ऑनलाइन आवेदन व्यवस्था।

जल उपकर

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संसाधनों में वृद्धि करने की दृष्टि से केन्द्र शासन ने जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 पारित किया है, इस अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्न उद्योगों एवं स्थानीय संस्थाओं पर उनके द्वारा उपयोग किये गये जल के प्रयोजन एवं मात्रा के आधार पर शुल्क निर्धारित किया जाता है। जल उपकर अधिनियम 1977 एवं संशोधित अधिनियम 2003 अनुसूची-2 में अंकित दरों के आधार पर जल उपकर वसूला जाता है।

वर्ष 2015-16 में उद्योगों/ स्थानीय संस्थाओं पर निर्धारित की गई राशि उनसे प्राप्त राशि केन्द्र शासन को भेजी गई राशि तथा केन्द्र शासन से प्राप्त राशि का विवरण तालिका में प्रस्तुत है:-

क्र.	विवरण	राशि (लाख में)
1	निर्धारित जल उपकर की राशि	1047.47
2	वसूल की गई राशि	821.85
3	केन्द्र सरकार को हस्तांतरित राशि	821.85
4	केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि	429.54
5	जल उपकर में छूट की राशि	निरंक

आपात अनुक्रिया केन्द्र (इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर)

रासायनिक दुर्घटनाओं एवं अन्य संबंधित परिस्थितियों में उद्योगों, शासकीय संस्थाओं एवं अन्य एजेंसियों को तकनीकी मार्गदर्शन देने हेतु इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर की स्थापना भारत शासन द्वारा की गई है। जिसका संचालन मध्यप्रदेश राज्य में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया जा रहा है।

इस केन्द्र द्वारा राज्य आपदा समूह के साथ समन्वय के अलावा भारत सरकार द्वारा बनाये गये सेन्ट्रल क्राइसिंस ग्रुप अलर्ट सिस्टम एवं नेशलन रजिस्टर ऑफ पोटेंशियली टॉकिसक केमिकल्स से सतत सम्पर्क रखा जाता है। इस केन्द्र द्वारा रसायनों से संबंधित तकनीकी मार्गदर्शन शासकीय एवं अर्ध शासकीय संस्थाओं के अतिरिक्त औद्योगिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों एवं समान्य नागरिक जनों को आवश्यकता अनुरूप समय-समय पर दिया जाता है। इस केन्द्र की कार्य सीमा प्रदेश स्तर तक ही सीमित नहीं है। अन्य प्रदेशों को भी आवश्यकता पड़ने पर तकनीकी मार्गदर्शन दिया जाता है। वर्तमान में 375 उद्योग इस केन्द्र के सदस्य हैं।

आपात अनुक्रिया केन्द्र से संबंधित मुख्य जानकारी निम्नानुसार है:-

- इस आपात केन्द्र द्वारा लगभग 200 विष पदार्थों से संबंधित मोनोग्राफ 75 से अधिक खतरनाक पेस्टिसाईड्स के बारे में तकनीकी सूचना पत्रक 150 से अधिक परिसंकटमय सूक्ष्म जीवों से बचाव संबंधी जानकारी एवं 500 से अधिक रासायनों की छपें विश्लेषण विधियों का संकलन किया गया है। जिनका उपयोग आवश्यकतानुसार किया जा सकता है।
- इस केन्द्र द्वारा व आतंकी गतिविधियों में उपयोग किए जाने वाले घातक रसायनों से संबंधित तकनीकी जानकारी भी तैयार की गयी है। केमिकल वीपन्स कन्वेशन अधिनियम के अन्तर्गत निर्दिष्ट भारत सरकार की जिम्मेदारियों के क्रियान्वयन किया जा रहा है।
- रासायनों के प्रभाव क्षेत्र (पदसिनमदबम् वदम्) की जानकारी भी इस केन्द्र द्वारा तैयार की गई है, जिससे दुर्घटनाओं एवं अन्य आपात परिस्थितियों में दुर्घटना स्थल के आस-पास के संभावित प्रभावित क्षेत्रों की जानकारी में प्रशासन को दी जा सके। इस जानकारी के आधार पर दुर्घटना प्रभावित क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित स्थान पर पुर्णस्थापित करने में सहायता होती है। प्रदेश में रीजनल रजिस्टर फॉर पोटेंशियल टॉकिसक केमिल्स से संबंधित कार्य भी आपात अनुक्रिया केन्द्र द्वारा संपादित किया जा रहा है। यह भारत सरकार की योजना है।

- ♦ आपात अनुक्रिया केन्द्र द्वारा स्टेट क्राइसिस ग्रुप से समन्वय संबंधित कार्य एवं खतरनाक रासायनों एवं दुर्घटनाओं से संबंधित नियमों को भी देखा जा रहा है। प्रदेश में स्टेट क्राइसिस ग्रुप के अतिरिक्त 45 जिलों में डिस्ट्रीक्ट क्राइसिस ग्रुप एवं चार औद्योगिक क्षेत्रों में लोकल क्राईसिस ग्रुप का गठन किया जा चुका है। प्रदेश के 24 जिलों में 73 मेजर एक्टीडेंट हेजार्ड उद्योग इकाईयों को चिह्नित किया गया है। प्रत्येक जिले द्वारा ऑफ साईट इमरजेंसी प्लॉन तैयार किये जा चुके हैं।
- ♦ इस केन्द्र के द्वारा वर्तमान तक प्रदेश के समस्त औद्योगिक क्षेत्रों में जाकर आउट-रीच कार्यक्रम के अंतर्गत रासायनिक दुर्घटनाओं व रासायनों से संबंधित अन्य विषयों पर जन जागरूति कार्यक्रम संपादित किये गए हैं, जिसमें औद्योगिक प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधिगणों के अलावा जिला प्रशासन के अधिकारी, पुलिस विभाग, दमकल विभाग, जिला उद्योग केन्द्र, नगर निगम, औद्योगिक एवं सुरक्षा आदि के प्रतिनिधियों की भी सहभागिता रही। कार्यक्रमों में विषय विशेषज्ञों के संबोधन के अतिरिक्त मॉकड्रिल, समस्त खतरनाक रसायनों से संबंधित जानकारी सी.डी. के रूप में प्रदान की गयी जिससे सभी तकनीकी रूप से सुदृढ़ हो सकें। कार्यशाला के माध्यम से यह भी सुनिश्चित किया गया कि उद्योगों एवं विशेषज्ञों के बीच संपर्क स्थापित हो सके, जिससे रासायनिक आपात परिस्थितियों एवं अन्य दुर्घटनाओं के समय आपसी समन्वय से उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो सके।
- ♦ हाल ही में प्रदेश में उद्योगों से होने वाले प्रदूषण एवं पर्यावरण की रीयल टाईम के आगार पर सतत निगरानी हेतु पर्यावरण निगरानी केन्द्र की स्थापना की गई है, जिसकी योजना, रचना, विकास एवं क्रियाशील करने का कार्य इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर द्वारा किया गया है। प्रदेश के समस्त उद्योगों से होने वाले जल एवं वायु प्रदूषण की निगरानी आई.टी. की विकसित तकनीक द्वारा दूर से ही की जा सकती है। वर्तमान में 17 प्रकार के अति प्रदूषणकारी उद्योगों की निगरानी के साथ कार्य प्रारंभ किया गया है। अगले चरण में अन्य उद्योगों व संस्थाओं को भी निगरानी के दायरे में लाया जायेगा।
- ♦ वर्तमान तक प्रदेश में ऑनलाईन रीयल टाईम मॉनिटरिंग के अंतर्गत उद्योगों में 169 स्थानों पर उत्सर्जन मापन यंत्र, 59 स्थानों पर परिवेशीय वायु मापन यंत्र एवं 33 स्थानों पर दूषित जल मापन यंत्र स्थापित हो चुके हैं। इनके अतिरिक्त 44 उद्योगों द्वारा आई.पी. कैमरे भी स्थापित किये जा चुके हैं जिनके माध्यम से उद्योगों के प्रदूषण की स्थिति की सतत निगरानी की जा रही है।
- ♦ आपात अनुक्रिया केन्द्र द्वारा आपात परिस्थितियों में जानकारियों का त्वरित आदान-प्रदान हो सके, इस हेतु फोन ई-मेल एवं फैक्स इत्यादि सुविधायें प्रदान की गयी हैं। जन सामान्य, उद्योगों एवं अन्य संबंधितों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु वेब साईट पोर्टल, मूमतबउच्चण्दपबण्द बनाया गया है जिस पर महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराई गई हैं। आपात अनुक्रिया केन्द्र से संपर्क हेतु दूरभाष नं. 0755-2469180 एवं ई-मेल पता मतबउच्चबइ / दपबण्द का उपयोग किया जा सकता है।


राज्य बोर्ड के सदस्यों की सूची

परिशिष्ट – 1

राज्य शासन द्वारा आदेश दिनांक 28 नवम्बर 2011 द्वारा गठित संचालक मण्डल

क्र.	नाम एवं पदनाम	पद
1	श्री मलय श्रीवास्तव अध्यक्ष, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल	अध्यक्ष
2	प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, भोपाल	सदस्य
3	प्रमुख सचिव, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग अथवा उनका प्रतिनिधि	सदस्य
4	संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सेवायें भोपाल	सदस्य
5	मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, भोपाल	सदस्य
6	आयुक्त – सह संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल	सदस्य
7	श्रीमति कृष्णा गौर, महापौर नगरपालिक निगम, भोपाल	सदस्य
8	श्री प्रभात साहू, महापौर, नगरपालिक निगम, जबलपुर	सदस्य
9	श्री रामेश्वर अखण्ड, महापौर, नगरपालिक निगम, उज्जैन	सदस्य
10	डॉ. अनिल तिवारी, अध्यक्ष, नगर पंचायत, त्योंथर, जिला— रीवा	सदस्य
11	श्रीमति अर्चना गुड़ू सिंह, अध्यक्ष नगर पालिक परिषद, छतरपुर	सदस्य
12	श्री हरभजन शिवहरे, ई-८ / 21, भरत नगर, अरेरा कॉलोनी, भोपाल	सदस्य
13	श्री अमय दारे (बी.ई.सिविल) 45, द्वारिका बिहार कॉलोनी, तिली वार्ड, सागर	सदस्य
14	श्री अनिल यादव, पत्रकार, 7 जैन पाठशाला, गंजबासोदा, जिला—विदिशा	सदस्य
15	कार्यपालन संचालक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन, भोपाल	सदस्य
16	प्रबंध संचालक, म.प्र. लघु उद्योग निगम, भोपाल	सदस्य
17	श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल	सदस्य सचिव

बोर्ड की संरचना



वर्ष 2015–16 में दूषित जल उपचार संयंत्र में सुधार/उन्नयन/निर्माण करने वाले वृहद्, मध्यम, लघु उद्योगों/संस्थानों/खदानों की सूची

क्र.	उद्योग/संस्थान/खदान का नाम
1.	मेसर्स करेली शुगर मिल, करेली
2.	मेसर्स महाकौशल शुगर मिल, बचई, नरसिंहपुर
3.	मेसर्स नर्मदा शुगर मिल, सालीचौका, नरसिंहपुर
4.	मेसर्स आकृति शुगर मिल, दुमड़ा, नरसिंहपुर
5.	मेसर्स वंशिका शुगर पावर इण्डस्ट्रीज, बिलगुआ, नरसिंहपुर
6.	मेसर्स शक्ति शुगर मिल, कोडिया, नरसिंहपुर
7.	मेसर्स रेवा कृपा शुगर मिल, पौड़ी, जबलपुर
8.	मेसर्स हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड, मलौजखण्ड, बालाघाट
9.	मेसर्स के.इ.सी. इंटरनेशनल, पनागर, जबलपुर
10.	मेसर्स अर्चना हाइटेक आटोमेशन, हरगढ़, जबलपुर
11.	मेसर्स पेसिफिक आयरन मेन्युफेक्चरिंग, सिहोरा, जबलपुर
12.	मेसर्स एस्सेल जबलपुर, एम.एस.डब्ल्यू प्रा.लिमि., जबलपुर
13.	मेसर्स जे.पी. सीधी सीमेंट यूनिट ऑफ जयप्रकाश एसोसियेट्स लिमिटेड, जिला सीधी
14.	मेसर्स विन्ध्या टेलीलिंक्स लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र चोरहटा, जिला रीवा
15.	मेसर्स विरला इरिक्षन आर्टिकल प्रा.लिमि., औद्योगिक क्षेत्र चोरहटा, जिला रीवा
16.	मेसर्स डाबर इंडिया लिमिटेड, जिला कटनी
17.	मेसर्स अल्ट्राटेक विरला व्हाईट सीमेंट कंपनी लिमिटेड, जिला कटनी
18.	मेसर्स रेमण्ड लिमिटेड, ग्राम बोरगाँव, जिला छिंदवाड़ा
19.	मेसर्स अनिल लाइफ साइंस, ग्राम सलैया, जिला छिंदवाड़ा
20.	मेसर्स नन्दन कोल वाशरी दमुआ, डब्ल्यू.सी.एल. कन्हान एरिया, जिला छिंदवाड़ा
21.	मेसर्स भंसाली इंजीनियरिंग पोलीमर, ग्राम सतनूर, जिला छिंदवाड़ा
22.	मेसर्स एच.एण्ड आर. जानसन, देवास
23.	मेसर्स अंबिका मिल्क एण्ड मिल्क प्रोडक्ट, देवास
24.	मेसर्स महाकाली फूड्स (यूनिट-3), देवास
25.	मेसर्स जाजू सर्जिकल, देवास
26.	मेसर्स शारदा मिनरल्स एण्ड केमिकल्स, देवास
27.	मेसर्स यशराज फूड्स, देवास
28.	मेसर्स टाटा इंटरनेशनल, देवास
29.	मेसर्स केशव इण्डस्ट्रीज, देवास
30.	मेसर्स राजाराम एण्ड ब्रदर्स, मंदसौर
31.	मेसर्स अंजु श्री इन, उज्जैन
32.	मेसर्स होटल मिल्लल ऐवेन्यू, उज्जैन
33.	मेसर्स होटल इम्पीरियल, उज्जैन
34.	होटल रुद्राक्ष, उज्जैन


35.	मेसर्स विन्ध्याचल सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, विन्ध्यानगर, फेज -5, जिला सिंगरौली
36.	मेसर्स सासन पावर लिमिटेड मोहेर एण्ड मोहेर कोल माइन, सिंगरौली
37.	मेसर्स एम.बी. पावर (एम.पी.) लिमिटेड, जैतहरी, अनूपपुर
38.	मेसर्स राजेन्द्रा यू.जी. माईन, एस.ई.सी.एल. जमुना कोतमा एरिया, जिला अनूपपुर
39.	मेसर्स भद्रा यू.जी. माईन, एस.ई.सी.एल. जमुना कोतमा एरिया, जिला अनूपपुर
40.	मेसर्स मोहिनी फाईबर्स, पीथमपुर, जिला धार
41.	मेसर्स म.प्र. वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, पीथमपुर, जिला धार
42.	मेसर्स महीमा प्लूरेस्पन, पीथमपुर, जिला धार
43.	मेसर्स कामशियल सिन्वेग, पीथमपुर, जिला धार
44.	मेसर्स जयदीप ग्लास वकर्स (यूनिट-1), पीथमपुर, जिला धार
45.	मेसर्स जयदीप ग्लास वकर्स (यूनिट-2), पीथमपुर, जिला धार
46.	मेसर्स रिट्राप्रिन इण्डस्ट्रीज, पीथमपुर, जिला धार
47.	मेसर्स एल एण्ड टी (ई.सी.सी. डिवीजन), पीथमपुर, जिला धार
48.	मेसर्स नमोकार स्पेशलिटी प्रा.लिमि., पीथमपुर, जिला धार
49.	मेसर्स बायोफिल कैमिकल एण्ड फॉर्मास्युटिकल, पीथमपुर, जिला धार
50.	मेसर्स गुप्ता हॉस्पिटल, जिला धार
51.	मेसर्स जे.के. फाईल्स एण्ड टूल्स लिमि., पीथमपुर, जिला धार
52.	मेसर्स बी.पी. फूड्स प्रोडक्ट्स लिमि., पीथमपुर, जिला धार
53.	मेसर्स सिपला लिमिटेड (एसईजेड), पीथमपुर, जिला धार
54.	मेसर्स ग्लेमार्क जेनेरिक्स लिमिटेड (एसईजेड), पीथमपुर, जिला धार
55.	मेसर्स सिम्बायोटिक लेब लिमिटेड (एसईजेड), पीथमपुर, जिला धार
56.	मेसर्स एडवांस एन्जाइम टेक्नालॉजी (एसईजेड), पीथमपुर, जिला धार
57.	मेसर्स शंकर सोया कोनसैप्ट (एसईजेड), पीथमपुर, जिला धार
58.	मेसर्स एसीजी केप्सूल लिमिटेड (एसईजेड), पीथमपुर, जिला धार
59.	मेसर्स ट्रेन्ट कैमीकल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, मेघनगर, जिला झाबुआ
60.	मेसर्स लावण्य केमटेक इंडिया प्रा.लिमि., पीथमपुर, जिला धार
61.	मेसर्स जहाज महल होटल प्रा.लिमि., माण्डू, जिला धार
62.	मेसर्स अंजनिया इण्डस्ट्रीज, मेघनगर, जिला झाबुआ
63.	मेसर्स ब्रोमोस कैमीकल्स, मेघनगर, जिला झाबुआ
64.	मेसर्स भास्कर इण्डस्ट्रीज लि. (स्पिनिंग एवं वीविंग यूनिट), औ. क्ष. मण्डीदीप, रायसेन
65.	मेसर्स हर्ष इंडिया प्रा.लि.(फूड डिवीजन), न्यू औद्योगिक क्षेत्र, मण्डीदीप, रायसेन
66.	मेसर्स सी.जे. जिलेटिन प्रोडक्ट्स. लि., न्यू इण्डस्ट्रीयल एरिया, मण्डीदीप, रायसेन
67.	मेसर्स एस.एम.व्ही ब्रेवरीजेस, न्यू इण्डस्ट्रियल एरिया, मण्डीदीप, रायसेन
68.	मेसर्स आयशर ट्रैक्टर (टैके मोटर्स एण्ड ट्रैक्टर यूनिट लि.), औद्योगिक क्षेत्र, मण्डीदीप, रायसेन
69.	मेसर्स प्रोक्टर एण्ड गेम्बल होम प्रोडक्ट्स लि. इण्डस्ट्रियल एरिया, मण्डीदीप, रायसेन
70.	मेसर्स इसुलेटर एण्ड इलेक्ट्रिकल कॉर्पोरेशन, न्यू औद्योगिक क्षेत्र मण्डीदीप, रायसेन
71.	मेसर्स पारले एग्रो प्रा.लि., न्यू औद्योगिक क्षेत्र, मण्डीदीप, रायसेन
72.	मेसर्स मैक्सन न्यूट्रीशन फूड प्रा.लि., औद्योगिक क्षेत्र, मण्डीदीप, रायसेन
73.	मेसर्स एग्रो साल्वेट प्रोडक्ट्स प्रा.लि., रायसेन
74.	मेसर्स एशार्प एग्रोकाम लिमिटेड, औ.क्ष. मण्डीदीप, रायसेन
75.	मेसर्स सोम डिस्ट्रीज प्रा. लि., सेहतगंज, रायसेन

76.	मेसर्स सोम डिस्ट्रीज एण्ड ब्रेवरीज लि., राजराचक, रायसेन
77.	मेसर्स ट्रायडेंट लिमिटेड, बुधनी, सीहोर
78.	मेसर्स वर्धमान फेन्रिक्स (टेक्सटाइल यूनिट), पीलीकरार— तलपुरा, सीहोर
79.	मेसर्स चिरायु मेडिकल कॉलेज एंड हास्पिटल एवं कैंसर रिसर्च एंड डायनोस्टिक सेंटर, भैंसखेड़ी, भोपाल
80.	मेसर्स चिरायु चेरीटेबल फाउण्डेशन (नर्सिंग कॉलेज), भौंरी, भोपाल
81.	मेसर्स ओमेगा रेंक वियरिंग प्रा.लि., आनंद नगर, भोपाल
82.	मेसर्स शिवलोक ग्रीन, खजूरी कलां, भोपाल
83.	मेसर्स वर्थ इन्कास्ट्रक्चर, अमरावत खुर्द, भोपाल
84.	मेसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि., पिपलानी, भोपाल
85.	मेसर्स जुबली ब्रेवरेजेस लि. (आई.एम.एफ.एल. बॉटलिंग प्लांट), भोपाल
86.	मेसर्स यूनाइटेड स्प्रिट लि., (आई.एम.एफ.एल. बॉटलिंग प्लांट), भोपाल
87.	मेसर्स कोच रिहेविलीटेशन वर्कशॉप (वेस्ट सेंट्रल रेलवे), भोपाल
88.	मेसर्स सिक्युरिटी पेपर मिल, होशंगाबाद
89.	मेसर्स रामदेव शुगर प्रा.लि., ठैनी, होशंगाबाद
90.	मेसर्स केशर मल्टी मॉडल लाजिस्टिक लिमिटेड, होशंगाबाद
91.	मेसर्स अडानी एग्री लाजिस्टिक्स, होशंगाबाद
92.	मेसर्स अडानी एग्री लाजिस्टिक्स, विदिशा
93.	मेसर्स अडानी एग्री लाजिस्टिक्स, हरदा
94.	मेसर्स अल्फा प्राटीन्स प्रा.लि., भाऊखेड़ी, सीहोर
95.	मेसर्स जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स प्रा.लि., सीहोर
96.	मेसर्स सांघी आटोमोबाइल्स, एमपी नगर, भोपाल
97.	मेसर्स शिरानी ऑटोमोबाइल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल
98.	मेसर्स विन विन ऑटोमोबाइल्स, मिसरोद, भोपाल
99.	मेसर्स वरेण्यम मोटर्स, रायसेन रोड, भोपाल
100.	मेसर्स साई मोटर्स, बैरसिया रोड, भोपाल
101.	मेसर्स हरिओम यामहा, अशोका गार्डन, भोपाल
102.	मेसर्स ओम ऑटो होण्डा, रायसेन रोड, भोपाल
103.	मेसर्स सुराना होण्डा, हलालपुर, भोपाल
104.	मेसर्स वीर मोटर्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल
105.	मेसर्स अभिकरण होण्डा, जे.के.रोड, भोपाल
106.	मेसर्स रंजीत आटोमोबाइल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल
107.	मेसर्स मानिक ऑटो मोबाइल्स प्रा.लि., कोहेफिजा, भोपाल
108.	मेसर्स एस.आर.कार प्रा.लि., लालघाटी, भोपाल
109.	मेसर्स कोहिनूर मोटर्स, बैरसिया रोड, भोपाल
110.	मेसर्स सुरजीत बजाज, कोलार रोड, भोपाल
111.	मेसर्स बीजीएस होण्डा, कोलार रोड, भोपाल
112.	मेसर्स राजपाल अभिकरण भोपाल (प्रा.) लि., होशंगाबाद रोड, भोपाल
113.	मेसर्स माई कार (भोपाल) प्रा.लि., जिंसी, भोपाल
114.	मेसर्स सत्यम मोटर्स (माई च्याइस), होशंगाबाद रोड, भोपाल
115.	मेसर्स जीवन मोटर्स प्रा.लि., औ.क्षे. गोविंदपुरा, भोपाल
116.	मेसर्स आरएमजे मोटर्स (प्रा.) लि., जे.के.रोड, भोपाल

117.	मेसर्स टीव्हीएस सुन्दरम आयंकर एंड संस, करोड, भोपाल
118.	मेसर्स सी.आई.फिनलीज लि., जिंसी, भोपाल
119.	मेसर्स एक्सल कौकल प्रा.लि., मैंदा मिल, होशंगाबाद रोड, भोपाल
120.	मेसर्स फोरसीजन मैरिज गार्डन, कोहेफिजा, भोपाल
121.	मेसर्स महामाया मैरिज गार्डन, होशंगाबाद रोड, भोपाल
122.	मेसर्स लेकव्यू मैरिज गार्डन, कोहेफिजा, भोपाल
123.	मेसर्स वैभव मैरिज गार्डन, कोलार रोड, भोपाल
124.	मेसर्स लॉयनसिटी मैरिज गार्डन, हलालपुरा, इंदौर रोड, भोपाल
125.	मेसर्स गुलशन स्वागत मैरिज गार्डन, हलालपुर, भोपाल
126.	मेसर्स एचरग्रीन मैरिज गार्डन, भैंसाखेडी, भोपाल
127.	मेसर्स सिल्वर मैरिज गार्डन, हलालपुर, भोपाल
128.	मेसर्स सनसिटी गार्डन, हलालपुर, भोपाल
129.	मेसर्स मून लाइट मैरिज गार्डन, हलालपुर, भोपाल
130.	मेसर्स लेडमार्क मैरिज गार्डन, हलालपुर, भोपाल
131.	मेसर्स बागोबहार मैरिज हॉल, खानूगांव, भोपाल
132.	मेसर्स आकाश पिकनिक मैरिज गार्डन, बैरागढ़ कलां, भोपाल
133.	मेसर्स आग्रश्री गार्डन, कोलार रोड, भोपाल
134.	मेसर्स श्री रामनंद आश्रम (मानस उद्यान), गुफामंदिर रोड, लालधाटी, भोपाल
135.	मेसर्स संस्कार उपवन मैरिज गार्डन, कोलार रोड, भोपाल
136.	मेसर्स सुंदरवन मैरिज गार्डन, हलालपुर, भोपाल
137.	मेसर्स आमेर मेजेस्टिक, होशंगाबाद रोड, रतनपुर, भोपाल
138.	मेसर्स मैक्शन हेल्थ केयर प्रा.लि., औ. क्षे. मण्डीदीप, रायसेन
139.	मेसर्स नेशनल इण्डस्ट्रीज, न्यू औद्योगिक क्षेत्र, मण्डीदीप, रायसेन
140.	मेसर्स ट्राई स्टार ब्रेवरेजेस प्रा.लि., न्यू इण्डस्ट्रीयल एरिया-2, मण्डीदीप, रायसेन
141.	मेसर्स विस्टा ऑर्गेनिक्स प्रा.लि., न्यू औद्योगिक क्षेत्र, मण्डीदीप, रायसेन
142.	नगर निगम, इन्दौर
143.	मेसर्स मेडीकेयर हास्पिटल, ओल्ड पलासिया, इन्दौर
144.	मेसर्स सी.एच.एल. कार्डिकेयर, ए.बी. रोड, इन्दौर
145.	मेसर्स एप्पल हास्पिटल, भंवरकुआ रोड, इन्दौर
146.	मेसर्स शैल्वी लि. हास्पिटल, आर.एस. भंडारी मार्ग, इन्दौर
147.	मेसर्स आस्था फाउंडेशन फॉर एजुकेशन समिति, (गार्डन इस्टीट्यूट ऑफ मेडीकल सोर्स), कनाडिया रोड, इन्दौर
148.	मेसर्स होटल गोपाल भिडवे, मोरटक्का, खंडवा
149.	मेसर्स होटल श्रीमाया, आर.एन.टी. मार्ग, इन्दौर
150.	मेसर्स होटल श्रीमाया, ए.बी. रोड, इन्दौर
151.	मेसर्स मीड इंडिया कियेशन एल.एल.पी. (ग्रांड भगवती होटल) बाय पास, इन्दौर
152.	मेसर्स जलसा गार्डन, निपानिया, इन्दौर
153.	मेसर्स एम.जी. ऑयल्स लि., खण्डवा
154.	मेसर्स पेरेन्ट्रल ड्रग्स (इण्डिया) लि., पानवा, खरगोन

155.	मेसर्स एच.डी. वायर इण्डस्ट्रीय एरिया, सांवेर रोड इन्दौर
156.	मेसर्स डी एण्ड एच सेचरान लि., लक्ष्मीबाई नगर, इन्दौर
157.	मेसर्स आइनोक्स विन्ड लि., जुलवानिया, बड़वानी
158.	मेसर्स गीता टेक्सटाइल्स, बुरहानपुर
159.	मेसर्स अग्रवाल इन्डोटेक्स, खण्डवा
160.	मेसर्स आशा कन्फेशनरी, इण्डस्ट्रीयल एरिया सांवेर रोड इन्दौर
161.	मेसर्स एम.बी. वेकर्स प्रा.लि., इण्डस्ट्रीयल एरिया सांवेर रोड इन्दौर
162.	मेसर्स तपस्वी फलालेन, इण्डस्ट्रीयल एरिया सांवेर रोड इन्दौर
163.	मेसर्स ओसीयन मोटर्स प्रा.लि., इन्दौर
164.	मेसर्स गेरॉन डिहाइड्रेट्स प्रा.लि., इन्दौर
165.	मेसर्स सेवन स्टार पॉलिटेक्स प्रा.लि., इण्डस्ट्रीयल एरिया सांवेर रोड इन्दौर
166.	मेसर्स नाकोड़ा इण्डस्ट्रीज, इन्दौर
167.	मेसर्स नवजीवन प्रोसेसर्स, इण्डस्ट्रीयल एरिया सांवेर रोड इन्दौर
168.	मेसर्स विस्क्स इण्डस्ट्रीज, मांगलिया रोड इन्दौर
169.	मेसर्स खनवीलकर इण्डस्ट्रीज, इन्दौर
170.	मेसर्स संघवी ब्रदर्स (पिपलियाकुमार इण्डस्ट्रीज प्रा.लि.), इन्दौर
171.	मेसर्स कृशु मोटर, इन्दौर
172.	मेसर्स हाइटेक मेटल फार्मिंग, बरदरी, इन्दौर
173.	मेसर्स टेकफोर्स कम्पोसिट, इन्दौर
174.	मेसर्स मिलेनियम स्ट्रक्चर्स, इण्डस्ट्रीयल एरिया सांवेर रोड इन्दौर
175.	मेसर्स साइटोकेम इण्डस्ट्रीज, इण्डस्ट्रीयल एरिया सांवेर रोड इन्दौर
176.	मेसर्स तृष्णि एल्कोब्रेव लिमि., महटोली, जिला मुरैना
177.	मेसर्स जे.के. इण्डस्ट्रीज, बामौर, जिला मुरैना
178.	मेसर्स मोण्डलेज इंडिया लिमि., मालनपुर, जिला भिण्ड
179.	मेसर्स टेवा ए.पी.आई. लिमि., मालनपुर, जिला भिण्ड
180.	मेसर्स सनकार्मा लिमि., मालनपुर, जिला भिण्ड
181.	मेसर्स ग्वालियर एल्कोब्रुव लिमि., रायरु, जिला ग्वालियर
182.	मेसर्स पार्वती स्वीटनर्स एण्ड पॉवर लिमि., भितरवार, जिला ग्वालियर
183.	मेसर्स शांति सॉल्वेक्स लिमि., औद्योगिक क्षेत्र बामौर, जिला मुरैना
184.	मेसर्स अम्बा शक्ति, बामौर, जिला मुरैना
185.	मेसर्स प्राइम गोल्ड सेल जेवीसी लिमि., ग्राम बिलौआ, तहसील डवरा, जिला ग्वालियर
186.	मेसर्स डी.बी. सिटी, ग्वालियर
187.	मेसर्स सुप्रीम इण्डरस्ट्रीज रोटोमोल्डिंग डिवीजन, मालनपुर, भिण्ड
188.	मेसर्स भारत पेट्रोलियम, रायरु, जिला ग्वालियर

189.	मेसर्स डबरा एग्रो, डबरा, जिला ग्वालियर
190.	मेसर्स रामरतन मल्टी फूड, जिला मुरैना
191.	मेसर्स मार्लति इंटरप्राइजेज, ग्वालियर
192.	मेसर्स प्रेम मोटर्स, झांसी रोड, ग्वालियर
193.	मेसर्स विनायक गेस्ट हाउस, ग्वालियर
194.	मेसर्स होटल शेल्टर पड़ाव, ग्वालियर
195.	मेसर्स प्रिया जैगरी एण्ड एग्रो प्रोडक्ट, डबरा, जिला ग्वालियर
196.	मेसर्स साक्षी फूड प्रोडक्ट, जड़ेरुआ, जिला मुरैना
197.	मेसर्स यूनिलाईट बायो साइंस प्रा.लिमि., मालनपुर, जिला भिण्ड



वर्ष 215–16 में वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों में सुधार/उन्नयन/निर्माण करने वाले वृहद्, मध्यम, लघु उद्योगों/संस्थानों/खदानों की सूची

क्र.	उद्योग / संस्थान / खदान का नाम
1.	मेसर्स करेली शुगर मिल, करेली
2.	मेसर्स नर्मदा शुगर मिल, सालीचौका, नरसिंहपुर
3.	मेसर्स वंशिका शुगर एण्ड पावर इण्डस्ट्रीज लिमि., विलगुआ, नरसिंहपुर
4.	मेसर्स शवित शुगर मिल, कोडिया, नरसिंहपुर
5.	मेसर्स एरसेल जबलपुर, एम.एस.डब्ल्यू.प्रा.लिमि., जबलपुर
6.	मेसर्स अर्चना हाइटेक आटोमेशन, हरगढ़, जबलपुर
7.	मेसर्स पेसिफिक आयरन मेन्युफेक्चरिंग, सिहोरा, जबलपुर
8.	मेसर्स जे.पी. रीवा सीमेट प्लांट, रीवा
9.	मेसर्स जे.पी. बेला सीमेट प्लांट, जे.पी.पुरम, रीवा
10.	मेसर्स जे.पी. सीधी सीमेट प्लांट, जे.पी.पुरम, सीधी
11.	मेसर्स गायत्री स्टोन केशर प्लांट, ग्राम मध्येपुर, तहसील हुजूर, जिला रीवा
12.	मेसर्स श्रीराम स्टोन केशर, ग्राम गढ़वा, तहसील हुजूर, जिला रीवा
13.	मेसर्स लक्ष्मी स्टोन केशर, ग्राम सकरवट, तहसील हुजूर, जिला रीवा
14.	मेसर्स मॉ शारदा स्टोन केशर, ग्राम बनकुइया, तहसील हुजूर, जिला रीवा
15.	मेसर्स महिमान स्टोन केशर, ग्राम डाढ़ी, तहसील हुजूर, जिला रीवा
16.	मेसर्स प्रदीप स्टोन केशर, ग्राम बनकुइया, तहसील हुजूर, जिला रीवा
17.	मेसर्स न्यू साई स्टोन केशर, ग्राम कंचूर, तहसील हुजूर, जिला रीवा
18.	मेसर्स लद्द स्टोन केशर, ग्राम रहट, तहसील हुजूर, जिला रीवा
19.	मेसर्स सिमता स्टोन केशर, ग्राम बनकुइया, तहसील हुजूर, जिला रीवा
20.	मेसर्स महामाया मिनिरल्स स्टोन केशर, ग्राम मरहा, तहसील हुजूर, जिला रीवा
21.	मेसर्स जय हनुमान स्टोन केशर, ग्राम अतरैली, तहसील हुजूर, जिला रीवा
22.	मेसर्स मॉ स्टोन केशर, ग्राम कौआङ्डान, तहसील हुजूर, जिला रीवा
23.	मेसर्स त्रिवेणी स्टोन केशर, ग्राम बनकुइया, तहसील हुजूर, जिला रीवा
24.	मेसर्स सोहगोरा स्टोन केशर, ग्राम बनकुइया, तहसील हुजूर, जिला रीवा
25.	मेसर्स विकास इण्डस्ट्रीज केशर, ग्राम डिल्डिया, पोस्ट परसवार, तहसील सिहावल, जिला सीधी
26.	मेसर्स प्रेमकान्ता स्टोन केशर, ग्राम यूनिट-2, ग्राम कठोतहा (अकौरी) तहसील गोपद वनास, जिला सीधी
27.	मेसर्स केल्डरीज इडिया लिमिटेड, कटनी
28.	मेसर्स अल्ट्राटेक विरला व्हाईट सीमेट कंपनी लिमिटेड, कटनी
29.	मेसर्स जे.के. व्हाईट वाल पुट्टी प्लांट, कटनी
30.	मेसर्स रेमण्ड लिमिटेड, ग्राम बोरगाँव, जिला छिंदवाड़ा
31.	मेसर्स अनिल लाइफ साइंस, ग्राम सलैया, जिला छिंदवाड़ा
32.	मेसर्स नन्दन कोल वाशरी दमुआ, डब्ल्यू.सी.एल. कन्हान एरिया, जिला छिंदवाड़ा
33.	मेसर्स भंसाली इजीनियरिंग पोलीमर, ग्राम रातनूर, जिला छिंदवाड़ा
34.	मेसर्स धानुका इण्डस्ट्रीज, नीमच
35.	मेसर्स एग्रो फॉस लिमिटेड, देवास
36.	मेसर्स अनिक इण्डस्ट्रीज, देवास
37.	मेसर्स विष्णी इण्डस्ट्रीज, देवास
38.	मेसर्स अमृत रिफायनरी, नीमच
39.	मेसर्स जिग्राल्टर माईन्स प्रा.लिमि., छतरपुर
40.	मेसर्स होटल सायना, खजुराहो, जिला छतरपुर

41.	मेसर्स डायमण्ड सीमेंट (वेस्ट हीट रिकवरी प्लांट), नरसिंहगढ़, जिला दमोह
42.	मेसर्स एम.बी. पावर (एम.पी.) लिमिटेड, जैतहरी, अनूपपुर
43.	मेसर्स ओरियंट पेपर मिल, कारिटिक सोडा यूनिट, अमलई, अनूपपुर
44.	मेसर्स कामन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी, ग्राम इटोर, जिला शहडोल
45.	मेसर्स टाटा स्टील, पीथमपुर, जिला धार
46.	मेसर्स जे.के. फाईल्स एण्ड टूल्स लिमिटेड, पीथमपुर, जिला धार
47.	मेसर्स अम्बिका डेकोर, पीथमपुर, जिला धार
48.	मेसर्स वरोक पॉलीमर, पीथमपुर, जिला धार
49.	मेसर्स त्रिरूपति स्टार्च लिमिटेड, सेजवाया, घाटा विल्लौद, जिला धार
50.	मेसर्स ओएसिस डिस्टलरी लिमिटेड, ग्राम बोराली, बदनावर, जिला धार
51.	मेसर्स ग्रेट गेलन लिमिटेड, सेजवाया, जिला धार
52.	मेसर्स एसआरएफ लिमिटेड (एसईजेड), पीथमपुर, जिला धार
53.	मेसर्स रिमवायोटेक फार्मा लिमिटेड (एसईजेड), पीथमपुर, जिला धार
54.	मेसर्स ड्रेन्ट केमीकल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, मेघनगर, जिला झाबुआ
55.	मेसर्स मनीश एग्रोटेक, पीथमपुर, जिला धार
56.	मेसर्स न्यूट्राविएन पॉलीमर इनजी प्रा.लिमि., पीथमपुर, जिला धार
57.	मेसर्स एस.के.एम. इण्डस्ट्रीज, पीथमपुर, जिला धार
58.	मेसर्स वर्धमान पायरोफ्युल (इडिया) प्रा.लिमि., पीथमपुर, जिला धार
59.	मेसर्स बालाजी इन्फाटेक एण्ड कन्ट्रेक्शन प्रा.लिमि. (हॉट मिक्स प्लांट), पीथमपुर, जिला धार
60.	मेसर्स बालाजी इन्फाटेक एण्ड कन्ट्रेक्शन प्रा.लिमि. (केशर प्लांट), पीथमपुर, जिला धार
61.	मेसर्स श्रीराम रस्टोन केशर, कुकी, जिला धार
62.	मेसर्स मक्सूद अली रस्टोन केशर
63.	मेसर्स पंकज जैन स्टोन केशर, मनावर, जिला धार
64.	मेसर्स साई रस्टोन केशर, जिला धार
65.	मेसर्स अंजनिया इण्डस्ट्रीज, मेघनगर, जिला झाबुआ
66.	मेसर्स ब्रोमोस केमीकल्स, मेघनगर, जिला झाबुआ
67.	मेसर्स हर्पे इडिया प्रा.लि.(फूड डिवीजन), न्यू औद्योगिक क्षेत्र, मण्डीदीप, रायसेन
68.	मेसर्स भारकर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड (स्पिनिंग एण्ड वीविंग यूनिट), औष्ठे, मण्डीदीप, रायसेन
69.	मेसर्सएस.डी. बंसल आयरन एण्ड स्टील प्रा.लि., न्यू औद्योगिक क्षेत्र, मण्डीदीप, रायसेन
70.	मेसर्स सोनिक बायोकेम एक्सट्रेक्शन लिमिटेड, मध्येरी, रायसेन
71.	मेसर्स नाहर पॉलीफिल्म्स, मण्डीदीप, रायसेन
72.	मेसर्स पारले एग्रो प्रा.लि., न्यू औद्योगिक क्षेत्र, मण्डीदीप, रायसेन
73.	मेसर्स नोसलर इंटरनेशनल प्रा. लि., औ. क्षे. मण्डीदीप, रायसेन
74.	मेसर्स आर.व्ही. आर. टेक्नोलॉजी लि., औ. क्षे. मण्डीदीप, रायसेन
75.	मेसर्स नाहर पॉली फिल्म्स लि., इटायाकला, मण्डीदीप, रायसेन
76.	मेसर्सएच.ई.जी. लि. (ग्रेफाइट प्लांट), औ. क्षे. मण्डीदीप, रायसेन
77.	मेसर्सएस.डी.बंसल आयरन एण्ड स्टील, औ. क्षे. मण्डीदीप, रायसेन
78.	मेसर्स जाहनवी इस्पात प्रा.लि., औ. क्षे. मण्डीदीप, रायसेन
79.	मेसर्स रोम डिस्टरीज प्रा. लि., सेहतगंज, रायसेन
80.	मेसर्स लीला संस ब्रेवरीज लि., भोपाल
81.	मेसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि., पिपलानी, भोपाल
82.	मेसर्स परमाली वैलेसा प्रा.लि., होशंगाबाद रोड, भोपाल
83.	मेसर्स इटारसी ऑयल एण्ड पलोस प्रा. लि., इटारसी, होशंगाबाद
84.	मेसर्स वैतूल ऑयल एण्ड पलोर लि. (एसईपी एण्ड सोया ऑयल रिफाइनरी), औ. क्षे. कोसभी, वैतूल
85.	मेसर्स इंदर सिंह ठाकुर स्टोन केशर, सीहोर
86.	मेसर्स माहेश्वरी स्टोन केशर, सीहोर
87.	मेसर्स चरनजीत सिंह अरोरा स्टोन केशर, वैतूल

88.	मेसर्स बीरेन्ड्र सिंह ठाकुर स्टोन कशर, सीहोर
89.	मेसर्स रामप्रसाद वर्मा स्टोन कशर, सीहोर
90.	मेसर्स अर्जुन पाटीदार स्टोन कशर, सीहोर
91.	मेसर्स रंधीर सिंह ठाकुर स्टोन कशर, सीहोर
92.	मेसर्स दीपक पाटीदार स्टोन कशर, सीहोर
93.	मेसर्स सागर गेरे फास्टफूड कार्नर, 07 नंबर स्टाप, शिवाजी नगर, भोपाल
94.	मेसर्स सागर गेरे फास्टफूड कार्नर, 10 नंबर स्टाप, अरेरा कॉलोनी, भोपाल
95.	मेसर्स सागर गेरे फास्टफूड कार्नर, भवानी धाम, नरेला शंकरी, भोपाल
96.	मेसर्स रोली गुप्ता स्टोन कशर, सीहोर
97.	मेसर्स मोहम्मद हनीफ कुरैशी स्टोन कशर, सीहोर
98.	मेसर्स शैलेन्द्र तिवारी स्टोन कशर, सीहोर
99.	मेसर्स मोटेकालौं लि. (स्टोन कशर) रायसेन
100.	मेसर्स अशोक ठाकुर स्टोन क्रशर, सीहोर
101.	मेसर्स विशाल अग्रवाल स्टोन क्रशर बैतूल
102.	मेसर्सयावर मोहम्मद खान स्टोन क्रशर, हिनौती सड़क, भोपाल
103.	मेसर्स कुमेर सिंह मेवाड़ा स्टोन क्रशर, सीहोर
104.	मेसर्स सुनील कुमार आर्य स्टोन क्रशर, बैतूल
105.	मेसर्स व्ही.व्ही.सी. रियलइन्फा प्रा.लि., (हॉट मिक्स प्लांट), भोपाल
106.	मेसर्स अनिल कुमार जैन स्टोन क्रशर, सीहोर
107.	मेसर्स ज्ञान सिंह स्टोन क्रशर सीहोर
108.	मेसर्स सोहन सिंह स्टोन क्रशर, भोपाल
109.	मेसर्स नरेन्द्र कुमार पाटीदार स्टोन क्रशर, सीहोर
110.	मेसर्स ट्रान्सट्राय इण्डिया लिमिटेड, नीमपानी, बैतूल
111.	मेसर्स मंजू राजपूत स्टोन क्रशर, विदिशा
112.	मेसर्सएम.एन. पाण्डेय स्टोन क्रशर, छोशंगाबाद
113.	मेसर्स देवेश मीणा स्टोन क्रशर, विदिशा
114.	मेसर्स विनोद तिवारी स्टोन क्रशर, रायसेन
115.	मेसर्स हाईपर स्टील कास्टिंग प्रा.लि., औ. क्षे. मण्डीदीप, रायसेन
116.	मेसर्स रहमान टिम्बर इण्डस्ट्रीज, न्यू औद्योगिक क्षेत्र, मण्डीदीप, रायसेन
117.	मेसर्स नर्मदा सीरियल प्रा.लि., न्यू औद्योगिक क्षेत्र, मण्डीदीप, रायसेन
118.	मेसर्स संतरंग स्टील ऐलायज प्रा.लि., न्यू औद्योगिक क्षेत्र, मण्डीदीप, रायसेन
119.	मेसर्स केशव ग्रीन फ्यूल प्रोसेसर्स प्रा.लि., खनपुरा गोहरगंज, रायसेन
120.	मेसर्स महेश्वरी इंजीनियर्स एण्ड कान्टेक्टर्स औद्योगिक क्षेत्र मण्डीदीप, रायसेन
121.	मेसर्स राजस्थान उद्योग, औ.क्षेत्र, मण्डीदीप, रायसेन
122.	मेसर्स ईएमईएस बैटरी एण्ड एलाईड प्रोडक्ट्स प्रा.लि., औ. क्षेत्र मण्डीदीप, रायसेन
123.	मेसर्स विस्टा आर्गनिक्स प्रा.लि., न्यू औ.क्षे. मण्डीदीप रायसेन
124.	मेसर्स केशव ग्रीन फ्यूल प्रोसेसर्स प्रा.लि., खनपुरा गोहरगंज, रायसेन
125.	मेसर्स महेश्वरी इंजीनियर्स एण्ड कान्टेक्टर्स औद्योगिक क्षेत्र मण्डीदीप, रायसेन
126.	मेसर्स राजस्थान उद्योग, औ.क्षेत्र, मण्डीदीप रायसेन
127.	मेसर्स ईएमईएस बैटरी एण्ड एलाईड प्रोडक्ट्स प्रा.लि., औ. क्षेत्र मण्डीदीप, रायसेन
128.	मेसर्स एम.जी. ऑयल लि., खण्डवा
129.	मेसर्स पेरेन्ड्रल ड्रग्स (इण्डिया) लि., पानवा, खरगोन
130.	मेसर्स सेवनस्टार पॉलिटेक प्रा.लि. (वेग फिल्टर), इन्दौर
131.	मेसर्स प्लेटिनम इण्डस्ट्रीज (वेग फिल्टर), इन्दौर
132.	मेसर्स विस्कस इण्डस्ट्रीज, देवास नाका इन्दौर

133.	मेसर्स सनी पेन्ट एण्ड वरनीसेस, इन्दौर
134.	मेसर्स शिवम ऑयल, इन्दौर
135.	मेसर्स के.के. फूड, इण्डस्ट्रीयल एरिया सांवेर रोड, इन्दौर
136.	मेसर्स विस्कस इण्डस्ट्रीज, देवास नाका इन्दौर
137.	मेसर्स पशुपति प्लायबुड इण्डस्ट्रीज, इन्दौर
138.	मेसर्स गेरॉन डिहाइड्रेट, इन्दौर
139.	मेसर्स प्रोसेस एग्रोकेम इण्डस्ट्रीज, इन्दौर
140.	मेसर्स आषीश ट्रेडर्स, इन्दौर
141.	मेसर्स प्रतिभा पेक्षेल, इन्दौर
142.	मेसर्स आरएस प्लास्टिक, इन्दौर
143.	मेसर्स माधव डोर, इन्दौर
144.	मेसर्स ग्वालियर एल्कोब्रेव लिमि., महटौली, जिला मुरैना
145.	मेसर्स ओम स्मेलटर्स, डबरा, जिला ग्वालियर
146.	मेसर्स प्रिया जैगरी एण्ड एग्रो प्रोडक्ट, डबरा, जिला ग्वालियर
147.	मेसर्स साक्षी फूड, जड़ेरुआ, जिला मुरैना
148.	मेसर्स प्राइम गॉल्ड सेल जेवीसी लिमि., ग्राम बिलोआ, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर
149.	मेसर्स अम्बा शक्ति, बामौर, जिला मुरैना
150.	मेसर्स पार्वती स्वीटनर्स एण्ड पॉवर लिमि., भितरवार, जिला ग्वालियर

प्रकाशन

- Report: Study of Trihalomethans in chlorinated drinking water of Sagar city.
- Report: Studies of Ground Water Pollution Status of Richhai Industrial area of MP
- Report: Study on Presence of Particle Bound Mercury in Source Emission & Ambient Atmosphere of Satpura Thermal Power Plants, Sarni, MP
- Report: Interim report of Biomonitoring of River Narmada

